ध्येयIAS®
most trusted since 2003

PERFECT 7

साप्ताहिक
समसामयिकी

दिसम्बर 2018 अंक 1

विषय सूची

दिसम्बर 2018
अंक–1

सात महत्वपूर्ण मुद्दे 01–18

- न्यायाधीशों की कमी: एक अनवरत चुनौती
- खुले में शौच की समस्या: आचरण में बदलाव की आवश्यकता
- विश्व बाल दिवस और बाल अधिकार संरक्षण
- विश्व मलेरिया रिपोर्ट-2018 और भारत
- भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच बढ़ती रणनीतिक सहभागिता
- आईएनएसटीसी: मध्य एशिया तथा यूरेशिया का मार्ग
- आरटीआई अधिनियम के विस्तार की आवश्यकता का परीक्षण

सात विषयनिष्ठ प्रश्न और उनके मॉडल उत्तर 19–24

सात महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरें 25–30

सात ब्रेन बूस्टर्स तथा उन पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न 31–39

सात महत्वपूर्ण तथ्य 40

सात महत्वपूर्ण अंतरिक्ष मिशन 41–43

सात महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न (मुख्य परीक्षा हेतु) 44

सात महत्वपूर्ण मुद्दे

1. न्यायाधीशों की कमीः एक अनवरत चुनौती

चर्चा का कारण

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने निचली अदालतों (अधीनस्थ न्यायालयों) में न्यायिक अधिकारियों की भर्ती प्रक्रिया की सुस्ती पर गहरी नाराजगी जताई है। न्यायिक अधिकारियों के पाँच हजार से ज्यादा पद रिक्त हैं। अदालत ने देश के सभी 24 उच्च न्यायालयों और सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से न्यायिक अधिकारियों के रिक्त पदों की जानकारी और उन्हें भरने की समय सीमा की जानकारी देने को कहा है।

प्रधान न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस यू. यू. ललित और जिस्टस के. एम. जोसेफ की तीन सदस्यीय पीठ (Bench) ने न्यायिक अधिकारियों की भर्ती प्रक्रिया और बुनियादी सुविधाओं की जानकारी लेने के लिए दिल्ली और इलाहाबाद समेत 10 उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को तलब किया क्योंकि न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति संबंधित राज्य और उच्च न्यायालय करते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि उसने सभी उच्च न्यायालय और राज्य एवं केन्द्रशासित प्रदेशों को चार वर्गों में बांट रखा है और बारी-बारी से सभी जगहों पर रिक्तियों और बुनियादी सुविधाओं के मामलों को देखेगा। सबसे पहले उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, दिल्ली और पूर्वोत्तर राज्यों में रिक्तियों के मुद्दे को लिया जाएगा। पीठ ने इन राज्यों के रजिस्ट्रार जनरल को व्यक्तिगत रूप से अदालत में मौजूद रहने को कहा है।

परिचय

भारतीय शासन प्रणाली का तीसरा आधार स्तम्भ न्यायपालिका है। भारत की शासन प्रणाली संघीय है किन्तु न्यायपालिका (Judiciary) एकीकृत (Integrated) है। इसका तात्पर्य है कि पूरे देश के लिए एक सर्वोच्च न्यायालय है। केन्द्र और राज्यों के लिए पृथक-पृथक न्यायिक व्यवस्था नहीं हैं हालाँकि प्रत्येक राज्यों के लिए अलग-अलग स्तर पर अलग-अलग न्यायालय हैं। विभिन्न तरह की अदालतें देश में कई स्तर की न्यायपालिका बनाती हैं। भारत की शीर्ष अदालत नई दिल्ली स्थित सर्वोच्च न्यायालय है और उसके नीचे विभिन्न राज्यों में उच्च न्यायालय हैं। उच्च न्यायालय के नीचे जिला अदालतें और उसकी अधीनस्थ अदालतें हैं जिन्हें निचली अदालत कहा जाता है। भारतीय न्यायपालिका के ढ़ाँचे को इस प्रकार से समझा जा सकता है-

नोटः राज्य द्वारा अधीनस्थ न्यायिक सेवा की संगठनात्मक संरचना, अधिकार क्षेत्र एवं अन्य शर्तों का निर्धारण किया जाता है। हालाँकि एक राज्य से दूसरे राज्य में इनकी प्रकृति भिन्न हो सकती है। तथापि सामान्य रूप से उच्च न्यायालय से नीचे के दीवानी एवं फौजदारी न्यायालयों के तीन स्तर होते हैं।

न्यायिक नियुक्तियाँ

सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए वर्तमान में 'कॉलेजियम पद्धति' मौजूद है। इसमें भारत के

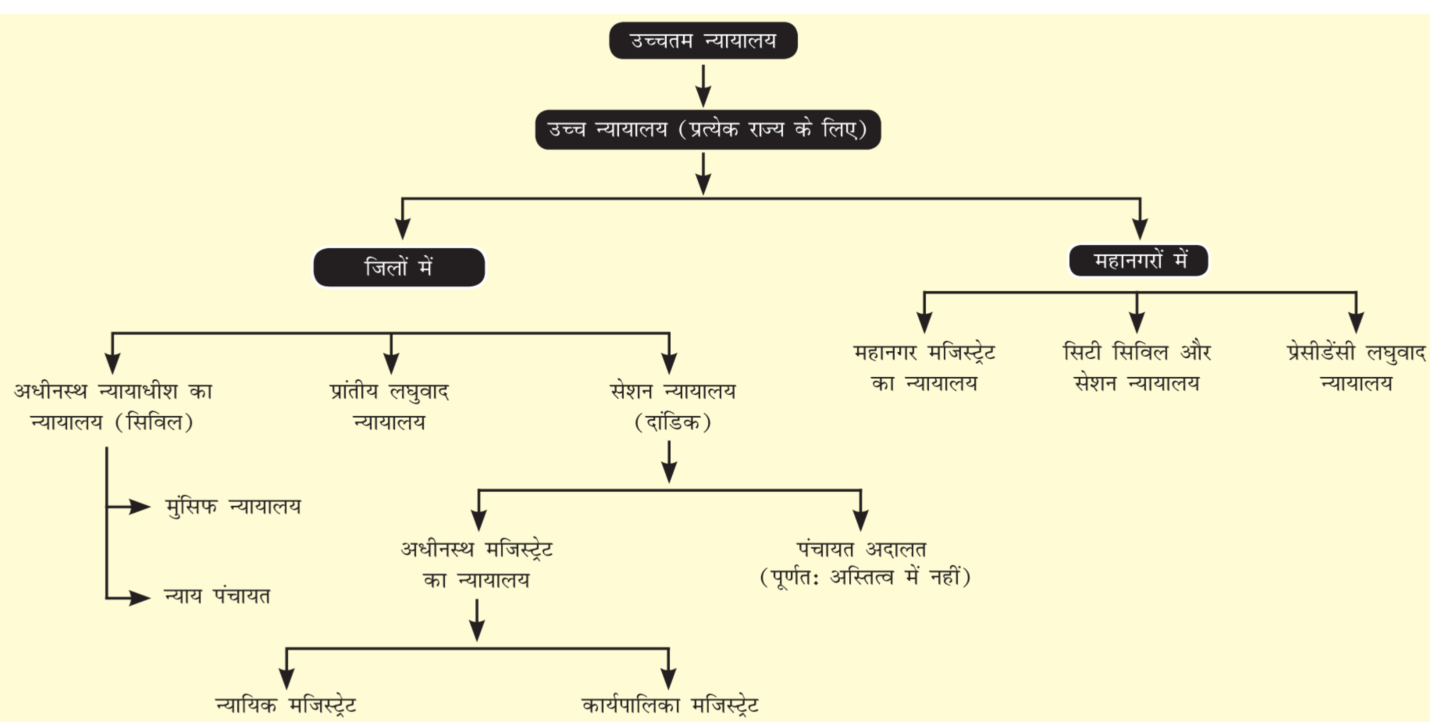

मुख्य न्यायाधीश सहित उच्चतम न्यायालय के चार अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशों का एक कॉलेजियम/दल होता है जो उच्चतम व उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु राष्ट्रपति को नाम सुझाता है। कॉलेजियम की सिफारिश के मुताबिक ही राष्ट्रपति, जजों (सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के लिए) की नियुक्ति करता है।

अधीनस्थ न्यायालयों में जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल संबंधित उच्च न्यायालय से परामर्श (consultation) करके करता है। जिला न्यायाधीश के नीचे के न्यायिक अधिकारियों (या सबऑर्डिनेट जज) की नियुक्ति हेतु राज्यपाल द्वारा नियम बनाये जाते हैं। ये नियम विभिन्न राज्यों के लिए भिन्न-भिन्न होते हैं। तथापि सामान्य रूप से सबऑर्डिनेट जजों की नियुक्ति राज्य के उच्च न्यायालय व 'राज्य लोक सेवा आयोग' मिलकर 'परीक्षा पद्धति' के द्वारा करते हैं।

न्यायिक नियुक्तियों में देरी के कारण

वर्तमान में देश में कमोवेश रूप से न्यायिक व्यवस्था का हर स्तर न्यायाधीशों की कमी से जूझ रहा है, किन्तु अधीनस्थ न्यायालयों में यह स्थिति काफी गंभीर रूप धारण किये हुए है, जिसे 31 मार्च, 2018 में राज्यसभा में प्रश्नोत्तर के इस आँकड़े से समझा जा सकता है-

''फिलहाल देश में अधीनस्थ न्यायाधीशों के कुल पद 22,036 हैं, जिसमें से 5,133 खाली पड़े हुए हैं अर्थात् अधीनस्थ न्यायाधीशों के कुल पदों का लगभग एक-चौथाई हिस्सा विभिन्न कारणों से भरा नहीं जा सका है। मेघालय, उत्तर प्रदेश और बिहार आदि राज्यों में यह स्थिति काफी भयावह रूप धारण किये हुए है। इन राज्यों में अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों के खाली पड़े पदों का आंकड़ा प्रतिशत रूप में क्रमशः 59.79, 42.18 और 37.23 है।''

उपर्युक्त स्थिति के निम्नलिखित मुख्य कारण हो सकते हैं-

1. **अगंभीरता (Non-seriousness):** अधीनस्थ न्यायालयों में नियुक्तियों को लेकर कमोवेश रूप से सभी राज्य उदासीन रहते हैं। उनका भर्ती के विज्ञापन से लेकर नियुक्ति तक का भर्ती चक्र (Recruitment Cycle) काफी लम्बा होता है (सामान्यतः 2 से 4 वर्ष तक का)। राज्यों के द्वारा 'भर्ती चक्र' के प्रति उदासीनता की झलक सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय में भी देखने को मिलती है-

    ''सन् 2007 में अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर लम्बे समय तक खिंचने वाले 'भर्ती चक्र' (Recruitment Cycle) पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यों की इस प्रकार की उदासीनता से छात्रों का भविष्य अधर में लटकता है, इसके साथ-साथ मुकदमों की संख्या पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अतः उच्चतम न्यायालय ने अधीनस्थ न्यायालयों में भर्ती हेतु अपनी गाइडलाइन जारी की, जिसमें भर्ती चक्र की समयसीमा को कम करने के लिए निम्नांकित प्रावधान किए गये हैं-

    - जो राज्य अधीनस्थ न्यायाधीशों की भर्ती हेतु 'टू-टियर' (प्रारम्भिक परीक्षा और साक्षात्कार) में परीक्षा कराते हैं, उन्हें संबंधित भर्ती चक्र को 153 दिनों में पूरा करना होगा।
    - जो राज्य अधीनस्थ जजों की भर्ती हेतु 'थ्री-टियर' (प्रारम्भिक परीक्षा, लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार) में परीक्षा कराते हैं, उन्हें संबंधित भर्ती चक्र को 273 दिनों में पूरा करना होगा।

    किन्तु कुछ राज्यों के अलावा अन्य किसी ने भी सुप्रीम कोर्ट की उक्त गाइडलाइन का समुचित ढंग से पालन नहीं किया, जो उनकी उदासीनता को प्रकट करता है।

2. **विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय:** अधीनस्थ न्यायालयों की नियुक्ति से संबंधित नियम व परीक्षा आदि में संबंधित उच्च न्यायालय व राज्य लोक सेवा आयोग की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है, किन्तु इन दोनों संस्थाओं के बीच समन्वय की कमी देखने को मिलती है।

3. **संसाधन (Resources):** अधीनस्थ न्यायालयों के जजों की जब नियुक्ति होती है तो उनकी सहायता व सुविधा हेतु विभिन्न संसाधनों की आवश्यकता होती है। यथा- स्थान, सहायतार्थ हेतु कर्मचारी और वित्त (वेतन आदि के लिए) इत्यादि। राज्य इन संसाधनों को जुटाने से बचने के लिए, जजों की भर्ती प्रणाली या भर्ती चक्र को लम्बा खींचते हैं।

4. **भ्रष्टाचार:** आज भ्रष्टाचार ने सभी क्षेत्रों में अपनी जड़ें जमा रखी हैं। बड़ी-बड़ी परियोजनाओं से लेकर रोजमर्रा के सरकारी कामकाज तक, हर जगह इसने अपनी पैठ बना रखी है। इसलिए न्यायपालिका यदि सशक्त हुयी तो राजनेताओं और नौकरशाहों दोनों को ही नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि इन दोनों के गठजोड़ से भ्रष्टाचार फल-फूल रहा है।

न्यायिक नियुक्तियों में देरी से पड़ने वाले प्रभाव

- न्यायिक नियुक्तियों में देरी (खासकर अधीनस्थ न्यायालयों में) से सीधे आम आदमी प्रभावित होता है, क्योंकि न्यायिक नियुक्तियों में देरी से जजों की अनुपलब्धता बढ़ जाती है जो सीधे तौर पर मुकदमों के निपटान पर असर डालती है। यदि आवश्यकतानुरूप जज और संबंधित न्यायिक आधारभूत संरचना नहीं होगा तो न्यायालय में आने वाले मुकदमों के निपटान में देरी आती है और इनका न्यायालय में एक भारी बैकलॉग (संग्रह) हो जाता है। यह बैकलॉग न सिर्फ कानून के शासन को लागू करने को प्रभावित करता है बल्कि अर्थव्यवस्था में भी रुग्णता लाता है। क्योंकि मुकदमों में तारीख पर तारीख मिलने से आम आदमी और न्यायालय दोनों का अमूल्य समय व्यर्थ होता है जो अर्थव्यवस्था को बढ़ाने वाली दूसरी गतिविधियों में उपयोग हो सकता था। इसके अलावा, लम्बी खिंचने वाली न्यायिक प्रक्रिया से आम आदमी हताश होता है और देश में एक अजीब-सा अनिश्चितता का माहौल जन्म लेता है। यह अनिश्चितता हर प्रकार की रुग्णता को जन्म देती है, जो फिर से न्यायिक नियुक्तियों में देरी के लिए जिम्मेदार बन जाती है। इससे देश की न्यायिक व्यवस्था एक दुष्चक्र में फँस जाती है, जिसका अन्तिम रूप से आम आदमी को ही नुकसान होता है तथा न्याय व्यवस्था पर लोगों का विश्वास कम होता है।

न्यायिक व्यवस्था में सुधार हेतु किये गए प्रयास

राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग: न्यायिक नियुक्तियों में देरी से संबंधित मामले समय-समय पर उठते रहते हैं, जिन पर सरकार के तीनों अंगों (विधायिका, न्यायपालिका व कार्यपालिका) ने ध्यान दिया है। जैसे, केन्द्र सरकार ने न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम (2014) और 99वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2014 के द्वारा 'राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग' (NJAC) की स्थापना की, जो सर्वोच्च न्यायालय व सभी उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित राष्ट्रपति को सिफारिश देता। हालाँकि बाद में इसे सुप्रीम कोर्ट ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता के नाम पर खारिज कर दिया।

परिवार न्यायालय (Family Court): परिवार न्यायालयों की स्थापना 'कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984' के अधीन की गई थी, जिसका उद्देश्य पारिवारिक विवादों को मैत्रीपूर्ण समझौते द्वारा शीघ्रता से सुलझाना है।

ई-अदालत (e-court): ई-कोर्ट परियोजना का उद्देश्य, नागरिक केन्द्रित सेवाओं को सूचना व संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से तत्काल व समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराना है। यह न्यायिक प्रक्रिया की उत्पादकता को गुणात्मक और मात्रात्मक तरीके से बढ़ाने और न्याय प्रणाली को सस्ती, सुलभ व पारदर्शी बनाने में मदद करती है। ई-कोर्ट के माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जेल परिसर में ही अपराधियों की पेशी और उनके मामले में सुनवाई की जाती है। देश का पहला ई-कोर्ट 8 फरवरी, 2009 को अहमदाबाद में शुरू किया गया था।

लोक अदालत: गरीब और पिछड़े लोगों को त्वरित गति से न्याय दिलाने के लिए इनकी स्थापना 'विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987' के माध्यम से की गयी थी। इन अदालतों में कानूनी प्रक्रियाओं से पृथक आपसी समझौते द्वारा तीव्र और सरलता से न्याय सुलभ कराने की एक व्यवस्था है।

ग्राम न्यायालय: इनकी स्थापना, न्यायिक समावेशन एवं न्यायिक विकेन्द्रीकरण की अवधारणा से प्रेरित है। इसके माध्यम से आम जनता तक न्याय की शीघ्र एवं सहज पहुँच को सुनिश्चित किया गया है। उल्लेखनीय है कि 'ग्रामीण न्यायालय अधिनियम, 2008' के प्रावधानों के तहत 2 अक्टूबर, 2009 को ग्राम न्यायालय की स्थापना की गई थी।

प्ली बारगेनिंग (Plea Bargaining): किसी भी न्यायपूर्ण एवं सभ्य समाज का उद्देश्य आपराधिक मनोवृत्तियों में परिवर्तन लाना तथा आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों को सुधरने का अवसर देना होता है। वस्तुत: प्ली बारगेनिंग इसी भावना को बल देने वाली अवधारणा है। इसके तहत यदि कोई अभियुक्त अपने अपराध को स्वीकार करता है तथा न्यायालय की सहमति से वादी एवं प्रतिवादी के मध्य समझौता हो जाता है, तो अभियुक्त को निर्धारित सजा से कम सजा दी जाती है। इस प्रकार इस प्रक्रिया के माध्यम से मुकदमें की लंबी कार्यवाही से बचा जा सकता है तथा न्यायालय व दोनों पक्षों के समय व धन की बचत होती है। उल्लेखनीय है कि भारत में मालिमथ समिति की संस्तुति पर प्ली बारगेनिंग की व्यवस्था वर्ष 2006 में शुरू की गई।

फास्ट ट्रैक न्यायालय (Fast track court): यह न्यायालय आपराधिक प्रकृति के लंबित मामलों को एक निर्धारित समय सीमा के भीतर निपटाने के उद्देश्य से शुरू किया गया। उल्लेखनीय है कि 11 वें वित्त आयोग की सिफारिश पर इन फास्ट ट्रैक न्यायालयों का गठन किया गया था।

नालसा (राष्ट्रीय विधिक सहायता प्राधिकरण): इसका गठन 1995 में 'कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987' के तहत समाज के नि:शक्त वर्गों को सहज एवं सर्वसुलभ न्याय हेतु विधिक सहायता के लिए किया गया था। इसने सन् 2010 में 'विधिक सहायता क्लीनिक' योजना प्रारम्भ की।

अर्द्ध न्यायिक निकाय (Quasi-Judicial Bodies): संविधान में 42वें संशोधन (1976) के द्वारा इनकी स्थापना की गयी। इनकी स्थापना का उद्देश्य न्यायालयों के भार को कम करके विशेषज्ञों द्वारा त्वरित निर्णय उपलब्ध कराना है। वर्तमान में प्रमुख अर्द्ध-न्यायिक निकाय हैं- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग और आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण इत्यादि।

आगे की राह

न्यायिक नियुक्ति में देरी मुकदमों का बैकलॉग तैयार करती है जिसका सबसे अधिक प्रभाव समाज के नि:शक्त, पिछड़े एवं हाशिए पर स्थित वर्गों पर पड़ता है। अत: सरकार के तीनों अंगों (विधायिका, न्यायपालिका एवं कार्यपालिका) को न्यायिक व्यवस्था के सशक्तिकरण हेतु मिलकर कार्य करना होगा। सरकार को न्यायिक नियुक्तियों से लेकर उसके आधारभूत संरचना को विकसित करने हेतु एक सुव्यवस्थित नीति का निर्माण करना होगा, ताकि जनता का 'कानून के शासन' (Rule of Law) पर भरोसा कायम हो सके।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्य - सरकार के मंत्रालय एवं विभाग, प्रभावक समूह और औपचारिक/ अनौपचारिक संघ तथा शासन प्रणाली में उनकी भूमिका।

■

2. खुले में शौच की समस्या: आचरण में बदलाव की आवश्यकता

चर्चा का कारण

हाल ही में विश्व शौचालय दिवस (World Toilet Day) 19 नवंबर, 2018 को मनाया गया। इस दिवस का आयोजन बेहतर पोषण और स्वास्थ्य में सुधार के तथ्य पर बल देते हुए शौचालय के महत्व पर पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित करने के लिए किया जाता है। यह विभिन्न बीमारियों के प्रसार को रोकने में भी मदद करता है। विश्व शौचालय दिवस, वैश्विक स्वच्छता संकट से निपटने हेतु प्रेरित करने वाला एक महत्वपूर्ण दिवस है। वर्ष 2018 के लिए विश्व शौचालय दिवस का विषय ''व्हेन नेचर कॉल्स'' (When Nature Calls) है। विश्व में सभी लोगों को शौचालय की सुविधा उपलब्ध करवाना संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों का हिस्सा है। शौचालय, शक्तिशाली अर्थव्यवस्था बनाने, स्वास्थ्य में वृद्धि करने और लोगों की गरिमा व सुरक्षा के संरक्षण आदि में, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

ओपन डेफिकेशन क्या है?

यूनिसेफ के अनुसार, खुले में शौच (Open Defecation) इस अभ्यास को संदर्भित करती है कि लोग शौचालय का उपयोग करने के बजाय खेतों, झाड़ियों, जंगलों, पानी के खुले निकायों/ स्रोतों या अन्य खुली जगहों का उपयोग करते हैं।

परिचय

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के अनुसार, दुनिया के लगभग 2.3 अरब लोगों की स्वच्छ, सुरक्षित शौचालयों तक पहुँच नहीं है। इसके लिए उन्हें एक सुरक्षित स्थान तक पहुँचने के लिए हर दिन मीलों की दूरी तय करना पड़ती है जहां वे खुले में शौच करते हैं। जिससे वे दस्त, कॉलरा, टाइफाइड, आंतों में कीड़े, स्किस्टोसोमायसिस और ट्रेकोमा जैसी घातक बीमारियों के संपर्क में आ जाते हैं। इसके अलावा, अपर्याप्त स्वच्छता सालाना दुनिया भर में 2,80,000 मौतों का कारण बनती है। यही नहीं खुले में शौच के कारण विशेष रूप से महिलाओं के बीच बलात्कार, अपमान और स्कूल ड्रॉप-आउट जैसी समस्यायें उत्पन्न होती हैं।

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने साफ-सफाई और स्वच्छता को लेकर अहम बातें कही थीं। उनके अनुसार, स्वतंत्रता से ज्यादा महत्वपूर्ण स्वच्छता है

और हर आदमी को अपना खुद का सफाईकर्मी होना चाहिए। लेकिन आज हम उनकी कही हुई इन बातों को भुला बैठे हैं, भारत सहित दुनिया के कई देशों में तेजी से शौचालय बनाए भी जा रहे हैं। लेकिन विडंबना यह है कि ग्रामीण इलाकों में जिनके पास यह सुविधा उपलब्ध है, वे इसका इस्तेमाल करने से परहेज करते हैं।

विश्व शौचालय संगठन ने, 2001 में इस दिवस की शुरूआत की थी। 12 साल बाद 2013 में दुनिया में साफ-सफाई और स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिन को संयुक्त राष्ट्र के आधिकारिक दिवसों की सूची में शामिल किया। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक दुनिया भर में खुले में शौच करने वालों की संख्या करीब 89.2 करोड़ है। इसमें आधी हिस्सेदारी भारत से है। टिकाऊ विकास लक्ष्य 6 (एसडीजी-6) के तहत संयुक्त राष्ट्र ने लक्ष्य रखा था कि 2030 तक दुनिया के प्रत्येक वासी को साफ-सफाई और पानी की उपलब्धता और टिकाऊ प्रबंधन हासिल होगा। साथ ही 2030 तक खुले में शौच से पूरी दुनिया मुक्त हो जाएगी। स्पष्ट है कि दुनिया के लिए यह लक्ष्य मुश्किल होता जा रहा है।

ओपन डेफिकेशन के कारण

शौचालयों का उपयोग न करने वाले लोगों के लिए जो मुख्य कारण हैं, उसमें गरीबी मुख्य समस्या है जो ऐसी सुविधाओं की पहुँच से उन्हें दूर करती है। इसके अलावा, शौचालयों की व्यापक कमी के साथ ही सरकारी सहायता की कमी मुख्य चुनौती बनी हुई है। ऐसे मामलों में जहां शौचालय उपलब्ध हैं लेकिन लोग अभी भी खुले शौचालय को पसंद करते हैं तथा परिवार के सदस्यों के बीच शौचालय साझा करने से बचते हैं। इसके अलावा-

- सफाई की घटिया व्यवस्था।
- जागरूकता की कमी।
- शौचालयों की उपलब्धता तो बढ़ी है लेकिन लोगों की मानसिकता आज भी नहीं बदली है। जैसे कुछ लोगों का मानना है कि घर के अन्दर शौचालय की उपस्थिति से घर अशुभ हो जाता है।
- सार्वजनिक शौचालय उपलब्ध हैं लेकिन गहरे, गंदे, खराब या अवांछित स्थिति में हैं (रखरखाव की कमी के कारण)।
- सार्वजनिक शौचालय का घर के नजदीक उपलब्ध न होना है, जिससे रात में वहां पहुंचना खतरनाक हो सकता है।

वर्तमान स्थिति

यूनिसेफ की रिपोर्ट

- यूनिसेफ के अनुसार वैश्विक स्तर पर आज हर 7 में से 1 या 946 मिलियन लोग खुले में शौच जाते हैं।
- यूनिसेफ के अनुसार, ग्रामीण इलाकों में रहने वाले हर 10 में से 9 लोग खुले में शौच का प्रयोग करते हैं।
- विश्व में भारत, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, इथोपिया और पाकिस्तान 75 प्रतिशत खुले में शौच के लिए जिम्मेदार हैं।
- वैश्विक स्तर पर, 2.4 बिलियन लोग बेहतर स्वच्छता सुविधाओं का उपयोग नहीं करते हैं।

WHO की रिपोर्ट

डब्ल्यूएचओ (WHO) ने पहली बार वैश्विक स्वच्छता तथा स्वास्थ्य पर दिशा-निर्देश जारी किये हैं। इन दिशा-निर्देशों के द्वारा यह बताया गया है कि स्वच्छता कैसे हमारे जीवन में प्रभाव डाल सकती है साथ ही स्वच्छ रहने से हमारे स्वास्थ्य को कितना लाभ मिल सकता। डब्ल्यूएचओ के मुताबिक, शौच की समस्या से निपटने में करीब 90 देशों की प्रगति बेहद धीमी है, जबकि भारत इस चुनौती से निपटने के लिए अपने कदम तेजी से बढ़ा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मानना है कि विश्व की लगभग आधी आबादी खुले में शौच करने के लिए मजबूर है। विश्व भर में लगभग 4.5 अरब लोगों के पास सुरक्षित तरीके से प्रबंधित स्वच्छता सेवा उपलब्ध नहीं है। दुनिया भर में 2.3 अरब लोग शौचालय की बुनियादी स्वच्छता की सुविधा से वंचित हैं। पूरे विश्व में प्रत्येक वर्ष अस्वच्छ पानी, स्वच्छता और साफ सफाई में कमी के कारण डायरिया जैसी बीमारियों से लगभग 8,29,000 मौतें होती हैं।

भारत की स्वच्छता के प्रति जवाबदेही और इसके द्वारा इस दिशा में किये जा रहे कार्य उल्लेखनीय हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2030 तक दुनिया सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज के लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएगी, यह तब तक पूरा नहीं होगा, जब तक कि इससे जूझ रहे देश व्यापक नीति नहीं बनाते हैं और इसमें निवेश नहीं बढ़ाते हैं।

खुले में शौच करने से होने वाली बीमारियाँ निम्नलिखित हैं-

1. डायरिया 2. टाइफाइड 3. आँतों में कीड़े 4. ट्रेकोमा 5. हुक वार्म 6. मलेरिया 7. फाइलेरिया 8. पीलिया, 9. टिटनस इत्यादि।

दुष्प्रभावः दुनिया में एक बड़ी आबादी के खुले में शौच करने का मतलब है कि व्यापक पैमाने पर मानव मल का शोधन नहीं हो पा रहा है अर्थात् हम अपने पर्यावरण को खुला सीवर बनाते जा रहे हैं। लिहाजा खुले में शौच से जनस्वास्थ्य, काम करने की दशाओं, पोषण, शिक्षा और आर्थिक उत्पादकता पर गंभीर प्रतिकूल असर पड़ रहा है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2015 में पांच साल से कम आयु के 1,17,000 बच्चों के मरने का कारण डायरिया था। डायरिया से उनके शरीर में पोषक तत्वों को संपूर्ण जिंदगी के लिए धारण करने की क्षमता को नुकसान पहुंचता है। 'यूनिसेफ-इंडिया WASH (Water, Sanitation and Hygiene)' की प्रमुख निकोलस असवर्ट ने यूनिसेफ के सर्वे के हवाले से बताया कि गंदगी होने व शौचालय न होने के कारण प्रति घर दवाओं पर सालाना 50,000 रुपये खर्च करता है। इसमें समय की कीमत, मेडिकल पर होने वाले खर्च आदि शामिल हैं। यह सर्वे दस हजार भारतीय परिवारों पर कराया गया था और अध्ययन यह भी बताता है कि सैनिटेशन में सुधार पर निवेश किए गए एक रुपये से 4.3 रुपये की बचत होती है।

खुले में शौच और भारत

भारत में पिछले चार दशक में देश में विभिन्न सरकारों द्वारा ग्रामीण स्वच्छता के लिये अनेक कार्यक्रम शुरू किये गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित स्वच्छता का ऐसा प्रथम प्रयास केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम (1981) था। भारत में स्वच्छता को लेकर केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कायर्क्रम (सीआरएसपी) का प्रारंभ 1986 में पूरे देश में हुआ जो कि गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिये स्वास्थ्यप्रद शौचालय बनाने पर केन्द्रित था। इसके उद्देश्य सूखे शौचालयों को अल्प लागत से तैयार करना (खासतौर से ग्रामीण महिलाओं के लिये शौचालयों का निर्माण करना) तथा दूसरी सुविधाएँ जैसे हैंड पम्प, स्नान गृह, स्वास्थ्यप्रद हाथों की सफाई आदि थे। यह लक्ष्य था कि सभी उपलब्ध सुविधाएँ ठीक ढंग से ग्राम पंचायतों द्वारा पोषित की जाएगी। गाँव की उचित सफाई व्यवस्था जैसे जल निकासी व्यवस्था, सोखने वाला गड्ढा, ठोस और द्रव अपशिष्ट का निपटान, स्वास्थ्य शिक्षा के प्रति जागरूकता, सामाजिक, व्यक्तिगत, घरेलू और पर्यावरणीय स्तर पर साफ-सफाई व्यवस्था आदि की जागरूकता हो।

ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम (1981) का पुनर्निर्माण करने के लिये भारत सरकार द्वारा 1999

में 'पूर्ण स्वच्छता अभियान' (टीएससी) लाया गया। पूर्ण स्वच्छता अभियान को बढ़ावा देने के लिये जून 2003 में निर्मल ग्राम पुरस्कार की शुरूआत हुई।

निर्मल भारत अभियान की शुरूआत 2012 में हुई थी और उसके बाद स्वच्छ भारत अभियान की शुरूआत 2 अक्टूबर 2014 में हुई। जबकि पूर्व में सरकार द्वारा चलाए जा रहे है सभी स्वच्छता कार्यक्रम वर्तमान 2014 के स्वच्छ भारत अभियान जितना प्रभावकारी नहीं थे।

स्वच्छ भारत अभियान

स्वच्छता आंदोलन के रूप में भारत को स्वच्छ बनाने के लक्ष्य के साथ नई दिल्ली के राजघाट पर 2 अक्टूबर, 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस अभियान की शुरूआत हुई। इसका लक्ष्य 2 अक्टूबर, 2019 तक हर परिवार को शौचालय सहित स्वच्छता-सुविधा उपलब्ध कराना है। इसके अलावा, इस आंदोलन का लक्ष्य ठोस और द्रव अपशिष्ट निपटान व्यवस्था, गाँव में सफाई और सुरक्षित तथा पर्याप्त मात्रा में पीने का पानी उपलब्ध कराना भी है। साथ ही भारत के राष्ट्रपिता के 150वें जन्मदिवस के अवसर पर अर्थात् 2019 तक भारत को खुले में शौच से मुक्त करना है।

स्वच्छ भारत अभियान का उद्देश्य: स्वच्छ भारत अभियान के कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं-

- खुले शौचालयों को टैंक वाले सुरक्षित शौचालयों में बदलना,
- हाथों से मल की (Manual Scavenging) सफाई करने की व्यवस्था को समाप्त करना,
- लोगों के व्यवहार में बदलाव कर अच्छे स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनाना,
- जन-जागरूकता पैदा करने के लिये सार्वजनिक स्वास्थ्य और साफ-सफाई के कार्यक्रम से लोगों को जोड़ना।
- साफ-सफाई से संबंधित सभी व्यवस्था को नियंत्रित, डिजाइन और संचालन करने के लिये शहरी स्थानीय निकाय को मजबूत बनाना।
- पूरी तरह से वैज्ञानिक प्रक्रियाओं से निपटानों का दुबारा प्रयोग और म्यूनिसिपल ठोस अपशिष्ट का पुनर्चक्रण करना।
- सभी संचालनों के लिये पूँजीगत व्यय में निजी क्षेत्रकों को भाग लेने के लिये जरूरी वातावरण और स्वच्छता अभियान से संबंधित खर्च उपलब्ध कराना।

स्वच्छ भारत अभियान से जुड़ी मशहूर शख्सियतें

आमिर खान, अमिताभ बच्चन, रितिक रोशन, सचिन तेंदुलकर, मृदुला सिन्हा, अनिल अंबानी, बाबा रामदेव, शशि थरुर, कमल हसन, प्रियंका चोपड़ा, सलमान खान, तारक मेहता का उल्टा चश्मा की टीम, अनुपम खेर, परिणीति चोपड़ा, अक्षय कुमार, आलिया भट्ट, नेहा धूपिया, अजय देवगन, सुभाष घई (फिल्म निर्माता), गगन नारंग (भारतीय शूटर), विजेंदर सिंह (भारतीय बॉक्सर), मैरी कॉम, नागार्जुन, तमन्ना भाटिया, हेमा मालिनी इत्यादि।

मूल्यांकन

जब स्वच्छ भारत अभियान की शुरूआत हुई तो कुछ लोगों को ऐसा लगा था कि यह योजना थोड़ी बहुत प्रगति के साथ महज तस्वीर खिंचाने का अवसर साबित होगी। लेकिन स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह ऐसी योजना है जिसे देश के लोगों ने सरकार से छीनकर उसे जनता के आन्दोलन में बदल दिया। जब इस अभियान की घोषणा की गई थी तो भारत में ग्रामीण इलाकों में सफाई का कवरेज महज 39 फीसदी था इस योजना के चार साल पूरे होने के बाद स्वच्छता के कवरेज में लंबी छलांग लगी है। वर्तमान में यह 39 फीसदी से बढ़कर 92 फीसदी तक पहुँच चुका है।

इस आंदोलन की खास बात यह है कि यह आन्दोलन आज महिलाओं के आन्दोलन में बदल गया है क्योंकि ग्रामीण महिलाएँ इस आन्दोलन में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। साथ ही महिलाएँ इस अभियान की लाभार्थी की भूमिका से आगे बढ़कर इसको अपना नेतृत्व प्रदान कर रही हैं। उदाहरण स्वरूप शौचालयों के निर्माण में महिलाएँ बढ़-चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं क्योंकि इनका निर्माण अभी तक पुरूषों के हाथों में था। कई राज्यों में हजारों ग्रामीण महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों की मदद से राजमिस्त्री की तरह प्रशिक्षित किया जा रहा है। शौचालयों के निर्माण के जरिए महिलाएँ रोजी-रोटी कमा रही हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि 2019 तक जब देश खुले में शौच से मुक्त होगा, तब तक स्वच्छ भारत अभियान से 3 लाख लोगों की जिन्दगी बचाई जा सकेगी। देश के कई हिस्सों में शौचालयों को 'इज्जत घर' नाम दिया गया है। ऐसा पहली बार हुआ है जब शौचालय निर्माण अभियान का विलय राष्ट्रीय एजेंडे में प्रमुखता से अपनी जगह बना चुका है।

खुले में शौच से मुक्ति की बात की जाए तो आज देश के 22 राज्यों के 468 जिले और 4 लाख 68 हजार से अधिक गाँव खुले में शौच से मुक्त हो गये हैं। वही राज्यों की बात करें तो सिक्किम, केरल, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड, हरियाणा, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के साथ-साथ दो केन्द्र शासित प्रदेश (चंडीगढ़ और दमन एवं दीव) खुले में शौच से मुक्त हो चुके हैं। 2 अक्टूबर, 2014 से अब तक 8 लाख 59 हजार से अधिक व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों का निर्माण किया जा चुका है। पूरे विश्व में इस तरह की प्रगति कहीं नहीं देखी गई है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अध्ययन के अनुसार, स्वच्छ भारत मिशन के कार्यान्वयन से ग्रामीण क्षेत्रों में हर साल बड़ी संख्या में बच्चों को घातक बीमारियों से बचा पाने में सफलता मिली है। खुले में शौच से मुक्त गाँव के हर घर में प्रत्येक वर्ष करीब 50,000 रु. की बचत हो रही है।

देश के पंचायत प्रतिनिधियों ने भी स्वच्छ भारत मिशन में असाधारण दिलचस्पी दिखाई है। उन्होंने अपनी पंचायतों को खुले में शौच से मुक्त बनाने हेतु प्रभावी योजनाएँ बनाई हैं। उन्हें उत्साह और कुशलता के साथ कार्यान्वित किया और रखरखाव में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

स्वच्छ भारत मिशन को मनरेगा के साथ जोड़ा जा चुका है जिसके तहत घरेलू शौचालयों एवं सोख्ता गड्ढों के निर्माण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कार्यों तथा जल संरक्षण कार्यों पर जोर दिया जा रहा है। मनरेगा के माध्यम से वर्ष 2014-15 में लगभग 13.88 लाख व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों का निर्माण किया गया था। 2017-18 में करीब 9 लाख शौचालयों का निर्माण किया गया है। अतः कहा जा सकता है कि इस क्षेत्र में व्यापक प्रगति हुई है। साथ ही साथ राज्यों ने भी अपनी महती भूमिका निभाई है।

चुनौतियाँ

- विभिन्न समुदायों के अंदर स्वच्छता को लेकर सदियों से चले आ रहे मिथक (खासकर ग्रामीण भारत में) बने हुए हैं, जैसे- शौचालय केवल महिलाओं और बच्चों के काम के होते हैं, घर के अंदर शौचालय बनाने से घर अपवित्र हो जाता है तथा शौचालय की सफाई करना अपना कार्य नहीं है।
- स्वच्छता अभियान की निरंतरता को बनाये रखना।
- पारदर्शिता की कमी अर्थात् घटिया किस्म के शौचालयों का निर्माण धड़ल्ले से किया जा रहा है।

नोट: शौचालय निर्माण में गुणवत्ता की कमी है अर्थात् शौचालय निर्माण गाँव के ठेकेदारों द्वारा किया जाता है। जिससे भ्रष्टाचार और

निर्माण की खराब गुणवत्ता में वृद्धि होती है और ऐसे शौचालय कुछ वर्षों बाद उपयोग के लायक नहीं रहते हैं।

- ओडीएफ की उपलब्धियों के बाद भी लोगों की आदतों और मनोवृत्ति में स्थाई बदलाव का नहीं आना।
- स्वच्छता पखवाड़ा अवधि का सीमित होना।
- शौचालय के निर्माण के लिए केवल गड्ढे ही बनाये जाते हैं तथा ग्रामीण क्षेत्रों में जुड़वा पिट शौचालय मॉडल (Twin Pit Toilet Model) की उपलब्धता कम है।

जुड़वा पिट शौचालय मॉडल (Twin Pit Toilet Model)

इसमें शौलालय हेतु दो गड्ढों को बनाया जाता है। जब एक गड्ढा भर जाता है तो मल दूसरे गड्ढे में जाने लगता है। पहले भरे हुए गड्ढे के पदार्थ को चार-पाँच वर्ष बाद खाद सामग्री के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। इस प्रकार, दोनों गड्ढों में बारी-बारी से उपर्युक्त प्रक्रिया को अपनाया जाता है।

- सेप्टिक टैंक वाले शौचालयों के निर्माण में उच्च लागत आती है, जिसका वहन गरीब नहीं कर पाते हैं।
- राज्यों की सहभागिता एवं सहयोग में कमी।
- जागरूकता की कमी आदि।

आगे की राह

- विभिन्न समुदायों में प्रचलित मिथकों का जमीनी स्तर पर समाधान करने के साथ ही केन्द्रीय स्तर पर व्यापक प्रचार अभियान चलाए जाने की आवश्यकता है।
- अभियान के अंतर्गत बनाए गए हर शौचालय की भूगर्भिक पहचान (जिओ टैगिंग) करनी होगी, जिससे पारदर्शिता बनी रहे।
- ओडीएफ की उपलब्धियों के बाद भी उसकी प्रासंगिकता को बनाये रखने के लिए लोगों की आदतों और मनोवृत्ति में स्थायी बदलाव के लिए परस्पर संवाद चलाते रहने की आवश्यकता है।
- स्वच्छता पखवाड़ा अवधि को ज्यादा समय तक बनाए रखने की आवश्यकता है।
- शौचालय निर्माण के क्षेत्र में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए निगरानी तंत्र विकसित किये जाने की जरूरत है।
- सर्वोच्च स्तर पर राजनैतिक इच्छा शक्ति और नेतृत्व क्षमता को बनाए रखने की आवश्यकता है।
- धन की कमी को दूर करने के लिए केन्द्र और राज्यों को मिलकर कार्य करने की जरूरत है।
- विकास सहयोगियों, गैर-सरकारी संगठनों, निजी क्षेत्र, सिविल सोसाइटी और मीडिया को अपनी भूमिका प्रभावी तरीके से निभाने की जरूरत है।
- जागरूकता के साथ-साथ जन सहयोग और संपर्क बनाये रखने की जरूरत है।
- व्यक्तियों और समुदायों को मल-मूत्र के संपर्क से बचाने के लिये पूर्ण स्वच्छता प्रणाली के अंतर्गत स्थानीय स्वास्थ्य जोखिमों का आकलन किया जाना चाहिये।
- स्वास्थ्य मंत्रालय को सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिये स्वच्छता योजना में अधिक निवेश करना चाहिये और साथ ही समन्वयक की भूमिका निभानी चाहिये।
- स्वच्छता योजनाओं को नियमित रूप से स्थानीय सरकार की अगुवाई में लागू करना चाहिए। कई बार देखा गया है कि अपशिष्ट पदार्थों को पुन: संयोजित करने और स्थायित्व सुनिश्चित करने में भी काफी दिक्कतें होती हैं। इस पर लगने वाली लागत कम करनी चाहिए या केन्द्र तथा राज्यों द्वारा सब्सिडी भी दी जानी चाहिए।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न मुद्दे।
- स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे।

■

3. विश्व बाल दिवस और बाल अधिकार संरक्षण

चर्चा का कारण

20 नवंबर, 2018 को पूरी दुनिया में विश्व बाल अधिकार दिवस मनाया गया। बच्चों के विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा और मूलभूत अधिकारों के लिए समर्पित इस दिवस की स्थापना 1954 में की गई थी। 1959 में संयुक्त राष्ट्र ने 20 नवंबर को बाल अधिकारों की स्वतंत्र घोषणा की तथा 1989 में 20 नवंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय बाल अधिकार समझौते को संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा पारित किया गया था। दुनिया के अधिकतर देशों ने इस पर हामी भरते हुए अपने देश में बच्चों की स्थिति सुधारने के लिए वादा ही नहीं बल्कि हस्ताक्षर करके प्रतिबद्धता जताई थी। इस वर्ष विश्व के सभी बच्चों की शिक्षा के लिए यूनिसेफ (UNICEF) ने इसकी थीम "ब्लू डे" रखा है साथ ही यूनिसेफ दुनियाभर में "गो ब्लू अभियान" चला रहा है। ब्लू रंग को बाल अधिकारों का प्रतीक माना गया है जिसमें सभी प्रकार के अधिकार सम्मिलित हैं।

क्या है बाल अधिकार?

संयुक्त राष्ट्र की आम सभा के अनुसार वयस्कों से अलग बच्चों के अधिकारों को बाल अधिकार कहा जाता है। बाल अधिकार के तहत जीवन का अधिकार, पहचान, भोजन, पोषण और स्वास्थ्य, विकास, शिक्षा और मनोरंजन, नाम और राष्ट्रीयता, परिवार और पारिवारिक माहौल, उपेक्षा से सुरक्षा, बदसलूकी एवं दुर्व्यवहार से रक्षा, बच्चों का गैर-कानूनी व्यापार पर रोक आदि शामिल हैं।

बाल अधिकारों को चार अलग-अलग भागों में बाँटा गया है- जीवन जीने का अधिकार, संरक्षण का अधिकार, सहभागिता का अधिकार और विकास का अधिकार।

बाल अधिकार दिवस की आवश्यकता

यह सवाल हम सबके मन में उठता है कि आखिर बाल अधिकार दिवस की क्या आवश्यकता है? परंतु ऐसा नही है इसकी आवश्यकता का अपना ही महत्व है। विश्व बाल अधिकार दिवस का गठन बाल अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हुआ था। जैसा कि हम जानते हैं कि आज के समय में बच्चों के जीवन में उपेक्षा, दुर्व्यवहार, बाल मजदूरी, बाल यौन शोषण आदि की घटनाएँ काफी बढ़ गयी हैं। लोग अपने स्वार्थ के कारण बाल मजदूरी, बाल तस्करी जैसे अपराधों को करने में भी संकोच नही कर रहे हैं।

ऐसे में यह आवश्यक है कि बच्चे अपने अधिकारों के विषय में जाने ताकि अपने साथ किसी तरह के भेदभाव या अत्याचार होने पर वह इसके खिलाफ आवाज उठा सकें। इसके साथ ही

बाल अधिकार दिवस के इस खास दिन बच्चों में आत्मविश्वास जगाने के लिए विद्यालयों, गैर सरकारी संस्थाओं और संस्थानों द्वारा कई तरह के कार्यक्रम भी आयोजित किये जाते हैं जैसे कि भाषण प्रतियोगिता, कला प्रदर्शनी आदि। ऐसी गतिविधियाँ बच्चों के बौद्धिक विकास में भी सहायक होती हैं। बच्चों के संदर्भ में ऐसे दिन और भी महत्वपूर्ण इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उन पर कभी गंभीरता से ध्यान नहीं दिया जाता है। पिछले 10-20 सालों की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक किसी भी तरह की घटनाओं को लें, जो अखबार के प्रथम पृष्ठ पर आने से लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक ट्रेंड करती हैं, उनमें बहुत कम मुद्दे बच्चों के बारे में उठाया जाता है। वास्तव में तो हम ऐसे मामलों पर सचेत ही नहीं हैं, ओर यदि सचेत हों भी तो वह हमारी प्राथमिकता में नहीं है।

जवाहर लाल नेहरू का मानना था कि बच्चे किसी भी देश के विकास की नींव होते हैं, यानी अगर हमें अपना भविष्य संवारना है तो बच्चों को तंदुरुस्त और साक्षर बनाना होगा। कुछ आँकड़ों के आधार पर भारत में बच्चों की स्थिति पर एक नजर डालते हैं।

क्या कहते हैं आँकड़े-

- नीति आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध डेटा बताता है कि भारत में शिशु मृत्यु दर प्रति हजार पर 34 के करीब है। जबकि पाँच साल से कम उम्र के बच्चों में यह आँकड़ा देखा जाए तो यह प्रति हजार पर 39 है। इनमें से अधिकांश बच्चों की मृत्यु डायरिया और निमोनिया जैसी बीमारियों के चलते होती है। 2016 में केवल डायरिया और निमोनिया से करीब तीन लाख बच्चों की मौत हो गई थी। ये वे बीमारियाँ हैं जिनका इलाज आसानी से हो सकता है।
- इसके अलावा शिक्षा की बात करें तो लगभग 10 करोड़ बच्चों को स्कूल नसीब ही नहीं है। डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन (डाइस) की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि हर सौ में महज 32 बच्चे हीं स्कूली शिक्षा पूरी कर पा रहे हैं। इनमें करीब एक करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो घर की खराब हालत के चलते पढ़ाई के साथ काम करने के लिए भी मजबूर हैं।
- विश्व बैंक की मानव विकास रिपोर्ट के मुताबिक बाल अधिकारों के हनन के सर्वाधिक मामले भी भारत में ही होते हैं। इसके साथ ही स्कूली बच्चों में आत्महत्या की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ रही है। एकल परिवारों में बच्चे साइबर बुलिंग का भी शिकार हो रहे हैं।
- विश्व में 6.1 करोड़ बच्चे अब भी प्राथमिक शिक्षा से दूर हैं, इन बच्चों में 3.2 करोड़ लडकियाँ शामिल हैं। प्रत्येक 05 में से 01 बच्चा स्कूली शिक्षा पूरी नहीं कर पाता है।
- भारत की जनसंख्या का 40 प्रतिशत 14 साल से कम उम्र के बच्चों का है। उसमें हर सौ बच्चों में से लगभग 12 बच्चे, पाँच साल से कम उम्र के हैं। 100 जीवित पैदा हुए बच्चों में से पाँच की मृत्यु अपनी उम्र का एक साल पूरा करने से पहले ही हो जाती हैं। भारत में हर साल अकेले कुपोषण से ही 10 लाख से ज्यादा बच्चों की मौत हो जाती है- बिहार, मेघालय और मध्य प्रदेश उन भारतीय राज्यों में शुमार हैं जहां हर 10 में चार बच्चे कुपोषित हैं। देश में छह साल तक के 2.3 करोड़ बच्चे कुपोषण और कम वजन के शिकार हैं।
- अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार, दुनिया भर में 21 करोड़ से अधिक बच्चों से मजदूरी करवायी जाती है, जिनमें से 1.7 करोड़ बाल श्रमिक भारत में हैं। 19% बच्चे घरों में काम करते हैं, शहरों में 90% ग्रामीण बच्चों को घरेलू नौकर बना दिया जाता है। 85% बच्चे असंगठित क्षेत्रों में काम करते हैं, 80% बच्चे कृषि कार्यों में जुड़े हैं।
- 5 से 9 साल की उम्र के 25.33 लाख बच्चे तथा 10 से 14 वर्ष की उम्र के 75.95 लाख बच्चे विभिन्न हानिकारक और घरेलू कामों में संलिप्त हैं।
- उत्तरप्रदेश (21.76 लाख), बिहार (10.88 लाख), राजस्थान (8.48 लाख), महाराष्ट्र (7.28 लाख) और मध्यप्रदेश (7 लाख) समेत पाँच प्रमुख राज्यों में 55.41 लाख बच्चे श्रम में लगे हुए हैं। यह भारत में श्रम करने वाले बच्चों का 55 प्रतिशत है।

कुल मिलाकर ये आँकड़े तो यही बताते हैं कि हमें अपने भविष्य को सुधारने के लिए अभी काफी कार्य करने की जरूरत है।

भारत में बाल अधिकार और संवैधानिक प्रावधान:

- अनुच्छेद 14 -कानून के समक्ष समानता।
- अनुच्छेद 15 -राज्य किसी नागरिक के साथ भेद-भाव नहीं करेगा। इस अनुच्छेद में उल्लिखित कोई भी बात राज्य द्वारा महिलाओं तथा बच्चों के लिए विशेष प्रावधान किये जाने में अवरोध उत्पन्न नहीं करेगी।
- अनुच्छेद 21 -जीवन का अधिकार, अनुच्छेद 21ए- (आरटीई) राज्य स्वयं के कानूनों के अनुसार निर्दिष्ट तरीकों द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा।
- अनुच्छेद 23 -मनुष्यों के दुर्व्यापार तथा बाल श्रम का निषेध।
- अनुच्छेद 24 -कारखानों में बच्चों की नियुक्ति का निषेध।
- अनुच्छेद 39 (ई) तथा 39 (एफ)- बाल श्रम को रोकने के लिए प्रावधान करता है।
- अनुच्छेद 45-आरंभिक बाल्यावस्था में देख-भाल तथा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा के लिए प्रावधान।
- अनुच्छेद 47-पोषण स्तर तथा जीवनयापन के मानक को ऊँचा उठाने का प्रावधान।

सरकारी प्रयास

बाल श्रम को समाप्त करने के लिए प्रावधान:

- सरकार ने कुछ कार्यों में बच्चों की नियुक्ति को प्रतिबंधित करने और कुछ अन्य कार्यों में बच्चों की कामकाजी परिस्थितियों को विनियमित करने के लिए 'बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम' 1986, को प्रवर्तित किया है। यह अधिनियम 18 व्यवसायों और 65 प्रक्रियाओं में 14 वर्ष की आयु से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है।
- बाल मजदूरी से मुक्त कराए गए बच्चों के पुनर्वास के लिए सरकार ने देश के 266 जिलों में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना लागू की है। इस परियोजना के अंतर्गत ऐसे बच्चों को विशेष स्कूलों में दाखिल किया जाता है, जहां उन्हें औपचारिक शिक्षा प्रणाली में डालने से पहले शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, पौष्टिक आहार, स्वास्थ्य सुविधाएँ आदि प्रदान की जाती हैं।
- राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना की निगरानी, देखरेख और मूल्यांकन के लिए एक केन्द्रीय निगरानी समिति बनाई गई है।

पोषण के लिए मध्याह्न भोजन योजना (MDM)

- नामांकन बढ़ाने, प्रतिधारण और उपस्थिति के साथ-साथ बच्चों में पोषण के स्तर में सुधार करने के उद्देश्य से 15 अगस्त,

1995 को केन्द्र प्रायोजित योजना के रूप में प्रारंभिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पोषण सहायता कार्यक्रम (एनपी-एनएसपीई) शुरू किया गया था।

- **राष्ट्रीय पोषण मिशन योजना:** प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 8 मार्च 2018 को महिला दिवस के अवसर पर राजस्थान के झुंझुनू में राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरूआत की गयी। इस योजना के तहत ठिगनेपन, जन्म के समय नवजात शिशु के वजन में कमी, रक्त की कमी, भोजन में पोषक तत्वों का असंतुलन आदि के निवारण हेतु नियम बनाये जायेंगे। योजना के द्वारा व्यापक स्तर पर कुपोषण मुक्त भारत अभियान चलाया जायेगा।
- पहले चरण 2017-18 में 315 जिले, दूसरें चरण 2018-19 में 235 जिले तथा तीसरे चरण 2019-20 में शेष जिलों को राष्ट्रीय पोषण मिशन योजना के अंतर्गत शामिल किया जायेगा।
- देश से कुपोषण को जड़ से समाप्त करने के लिए विभिन्न योजनाओं के द्वारा कुपोषण की समस्या पर सर्वेक्षण के आधार पर निदान के उपायों का संचालन किया जायेगा। देश के जिलों में क्रियान्वित आंगनबाड़ी संस्थाओं एवं कर्मचारियों को तकनीकी सुविधाएँ उपलब्ध करायी जाएंगी।

बाल शिक्षा

- भारत में 6 से 14 वर्ष के हर बच्चे को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 बनाया गया है। यह पूरे देश में अप्रैल 2010 से लागू किया गया है।
- आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने 01 अप्रैल, 2018 से 31 मार्च, 2020 के लिए नई एकीकृत शिक्षा योजना बनाने के लिए स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। प्रस्तावित योजना में, सर्वशिक्षा अभियान (एसएसए), राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) और शिक्षक शिक्षण अभियान समाहित होंगे। प्रस्तावित योजना के लिए 75 हजार करोड़ रुपए मंजूर किये गये हैं। इसका लक्ष्य पूरे देश में प्री-नर्सरी से लेकर बारहवीं तक की शिक्षा सुविधा सबको उपलब्ध कराने के लिए राज्यों की मदद करना है।

स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों के लिए योजना के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं:

- गुणवत्तायुक्त शिक्षा की व्यवस्था और छात्रों के सीखने की क्षमता में वृद्धि
- स्कूली शिक्षा में सामाजिक और लैंगिक असमानता को पाटना
- स्कूली शिक्षा के सभी स्तर पर समानता और समग्रता सुनिश्चित करना
- स्कूली व्यवस्था में न्यूनतम मानक सुनिश्चित करना
- शिक्षा के साथ व्यावसायीकरण प्रशिक्षण को बढ़ावा देना
- नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार, 2009 को लागू करने के लिए राज्यों की मदद करना तथा
- राज्यों की शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषदों, शिक्षण संस्थाओं और जिला शिक्षण और प्रशिक्षण संस्थाओं (डीआईईटी) को शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए नोडल एजेंसी के रूप में सशक्त और उन्नत बनाना।
- **यौन शोषण:** बाल यौन शोषण आज समाज की बहुत बड़ी समस्या है। भारत में हर 15 मिनट में एक बच्चा इसका शिकार हो रहा है। ध्यान देने वाली बात ये है कि 99 फीसद मामलों में आरोपी घर का ही कोई सदस्य या रिश्तेदार होता है। इसको रोकने के लिए सरकार ने 2012 में पॉक्सो (प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज) नामक कानून बनाया है। कानून का मकसद बच्चों को एक सुरक्षित माहौल मुहैया कराना और बच्चों के साथ यौन अपराध करने वालों को जल्द से जल्द सजा दिलाना है। इस कानून के तहत बच्चे की पहचान को सुरक्षित रखना भी अनिवार्य है। कानूनी कार्रवाई के कारण बच्चे को मानसिक रूप से कष्ट ना पहुँचे, इसके लिए उसे बार-बार गवाही देने के लिए भी नहीं बुलाया जा सकता।
- सरकार ने एक ऐसे पोर्टल की शुरूआत की है जहां कोई भी नागरिक बच्चों को अश्लील यौन सामग्री प्रदान करने वाले और ऑनलाइन यौन दुर्व्यवहार करने वाले आदि के बारे में शिकायत दर्ज करा सकता है। इससे स्वत: प्राथमिकी दर्ज हो जाएगी और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकेगी। इस पोर्टल का नाम "cybercrime.gov.in" है। पोर्टल न केवल पीड़ितों और शिकायतकर्ताओं, बल्कि सिविल सोसाइटी संगठनों और जिम्मेदार नागरिकों की भी मदद करेगा
- राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एन.सी.पी.सी.आर.) की स्थापना संसद के एक अधिनियम (दिसम्बर 2005) द्वारा बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 के अंतर्गत मार्च 2007 में की गई थी। आयोग का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि समस्त विधियाँ, नीतियाँ, कार्यक्रम तथा प्रशासनिक तंत्र बाल अधिकारों के अनुरूप हों, जैसा कि भारत के संविधान तथा संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सम्मेलन (कन्वेंशन) में प्रतिपादित किया गया है। बालकों को 0 से 18 वर्ष के आयु वर्ग में शामिल व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है।

अन्य योजनाएँ

- समेकित बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) योजना।
- महिला तथा बाल विकास के क्षेत्र में सामान्य सहायता राशि योजना।
- समेकित बाल संरक्षण योजना (आईसीपीएस) इसका लक्ष्य कठिन परिस्थितियों में बच्चों के लिए संरक्षी वातावरण निर्मित करना है। इस योजना में प्रभावी रणनीतियों को क्रियान्वित करने तथा उनके परिणामों की निगरानी के लिए एक बाल संरक्षण आँकड़ा प्रबंधन प्रणाली की स्थापना की जायेगी।
- किशोरी शक्ति योजना।
- आरंभिक बाल्यावस्था बाल शिक्षा नीति।
- बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ पहल इत्यादि।

चुनौतियाँ

अमेरिकी श्रम मंत्रालय ने अपनी सालाना 'चाइल्ड लेबर एंड फोर्स्ड लेबर' नामक रिपोर्ट में कहा है कि 2017 में भारत के बाल श्रम के सबसे खतरनाक रूप को समाप्त करने के प्रयासों में उल्लेखनीय प्रगति की है। लेकिन Human Rights Watch की एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में 6.1 करोड़ बच्चे अब भी प्राथमिक शिक्षा से दूर हैं जिसमें आधे से ज्यादा संख्या लड़कियों की है। बाल अधिकार को लेकर किये गये प्रयास सराहनीय है लेकिन अभी चुनौतियाँ बहुत हैं जो निम्न हैं-

गरीबी: गरीबी की वजह से बच्चे स्कूली शिक्षा से वंचित रह जाते हैं क्योंकि परिवार के मुखिया द्वारा उनको काम में लगा दिया जाता है।

भ्रष्टाचार: भ्रष्टाचार की वजह से कई स्कूलों में मिड-डे मिल खानापूर्ति करने के लिए होती हैं क्योंकि जब बच्चों को अच्छा खाना नहीं मिलता तो वे स्कूलों से दूरी बना लेते हैं।

सरकारी संस्थाओं के कार्यान्वयन में कमी: सरकार या निजी स्कूलों का यह कर्तव्य है कि वे अपनी कुल सीट को 25% गरीब व वंचित बच्चों के लिए आरक्षित रखें लेकिन सरकारी नीतियों का क्रियान्वयन सही से न हो पाना एक बड़ी चुनौती है। ठीक वही हाल अपराधों को लेकर भी है। सरकार ने बाल अपराध रोकने के लिए कानून तो बनाया है लेकिन उसका क्रियान्वयन ठीक से नहीं हो पा रहा है।

शिक्षा: आज भी भारत में एक बड़ी आबादी शिक्षा से दूर है। जो शिक्षा से दूर है वो अपने अधिकारों को कैसे पहचान सकता है।

जागरूकता की कमी: 0-18 वर्ष के बीच आयुवर्ग की कुल जनसंख्या लगभग 40% है लेकिन इस हिसाब से बजट का आवंटन नहीं हो पाता है।

बुनियादी सुविधाओं की कमी: जैसे-स्कूल, पुलिस, शिक्षक, डॉक्टर, जज आदि।

पहचान की कमी: हाशिये पर स्थित बच्चों की कोई पहचान ही नहीं हैं (जैसे- फुटपाथों, प्लेटफॉर्मो, झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले आदि) जिसकी वजह से उनकी समस्याओं की जानकारी ही नहीं हो पाती हैं और वे अपने अधिकारों से वंचित रह जाते हैं।

आगे की राह

भारत में हर साल बाल अधिकार दिवस बच्चों के अधिकार और सम्मान को सुनिश्चित करने के लिये मनाया जाता है। हमें उनको पूरा विकास और सुरक्षा का आनन्द लेने का मौका देना चाहिये। यह सुनिश्चित होना चाहिए कि बाल अधिकार के कानून, नियम और लक्ष्य का पालन हो। बाल अधिकारों को मजबूत करने के लिये समाज को लगातार इस पर कार्य करना होगा। पूरे देश में बाल अधिकार योजना को फैलाना, प्रचारित और प्रसारित करने की आवश्यकता है।

देश के हर भाग में बच्चों के रहने की स्थिति की गहराई से निगरानी करने की आवश्यकता है। बढ़ते बच्चों के विकास में उनके अभिभावक की मदद करना। 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की जिम्मेदारी के लिये उनके माता-पिता को जागरूक करना। कमजोर वर्ग के बच्चों के लिये नई बाल अधिकार नीति को बनाना और लागू करना। बच्चों के खिलाफ होने वाली हिंसा, दुर्व्यवहार को रोकना, उनके अच्छे भविष्य के लिये उनके सामाजिक और कानूनी अधिकारों को प्रचारित करना। देश में बाल अधिकार नीतियों को लागू करना। देश में बच्चों के व्यापार के साथ ही शारीरिक शोषण के खिलाफ कार्य और विश्लेषण करने की आवश्यकता है।

- सरकारी योजनाओं का लाभ समाज के सभी बच्चों को दिलाने की आवश्यकता है जिससे गरीबी को मात दिया जा सके।
- सरकारी संस्थाओं के कार्यान्वयन पर विशेष जोर देने की जरूरत है साथ ही इससे जुड़ी जो भी कमी है (जैसे पुलिस बल, शिक्षक डॉक्टर तथा स्कूल आदि) उसे दूर करने की जरूरत है।
- हाशिये पर स्थित बच्चों की पहचान के लिए विशेष नीति बनाने की जरूरत है जिससे की वे भी मुख्य धारा में जुड़ सकें।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- केन्द्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और इन योजनाओं का कार्य-निष्पादन, इन अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा एवं बेहतरी के लिए गठित तंत्र, विधि, संस्थान एवं निकाय।

■

4. विश्व मलेरिया रिपोर्ट-2018 और भारत

चर्चा का कारण

हाल ही में 'विश्व स्वास्थ्य संगठन' (WHO) ने मलेरिया पर वैश्विक रिपोर्ट (2018) को जारी किया है, जिसके मुताबिक भारत में 2016 की तुलना में 2017 में मलेरिया के मामलों में तकरीबन तीस लाख यानि 24 फीसद की कमी आई है। इसके अतिरिक्त, पिछले साल (2017 में) इस बीमारी से होने वाली मौतों में भी उल्लेखनीय रूप से कमी आयी है। मलेरिया से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की सूची में शामिल भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर मच्छरजनित इस बीमारी के मामले घटे हैं।

वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट (2018)

विश्व स्वास्थ्य संगठन, 'वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट' को हर साल नवम्बर-दिसंबर माह के दरम्यान प्रकाशित करता है। यह रिपोर्ट, मलेरिया के खिलाफ लड़ाई में एक वर्ष के दौरान हुई प्रगति (Progress) के व्यापक अवलोकन (Comprehensive overview) को प्रकट करती है। यह मलेरिया की रोकथाम और नियंत्रण पर वैश्विक, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय प्रवृत्तियों का आकलन भी करती है। यह रिपोर्ट, राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रमों और अन्य भागीदारों (Partners) से प्राप्त विश्वसनीय जानकारी पर आधारित होती है। वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट (2018) में 90 देशों को शामिल किया गया है। इस रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित बिन्दु महत्त्वपूर्ण हैं-

1. पिछले कई दशकों से भारत में मलेरिया पर स्थिति गंभीर बनी हुयी थी, लेकिन अब इसमें धीरे-धीरे सुधार होने लगा है। उल्लेखनीय है कि 2017 में दुनिया में मलेरिया के कुल मामलों में से 80 प्रतिशत मामले भारत और 15 उप सहारा अफ्रीकी देशों में पाए गए थे। यथा-
   - नाइजीरिया- 25 प्रतिशत
   - कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य- 11 प्रतिशत
   - मोजॉम्बिक- 5 प्रतिशत
   - युगांडा- 4 प्रतिशत
   - भारत- 4 प्रतिशत
2. यह रिपोर्ट इस ओर भी इशारा करती है कि अफ्रीका में मलेरिया के मामलों की संख्या बढ़ सकती है क्योंकि वहाँ गंदगी का स्तर अपेक्षाकृत अधिक है।
3. वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट (2018) का अनुमान है कि 2017 में पूरे विश्व में मलेरिया के लगभग 219 मिलियन मामले देखे गए, जिसमें से सबसे अधिक अफ्रीकी देशों में थे।
4. रिपोर्ट के मुताबिक, मलेरिया से वैश्विक स्तर पर हर साल 4,35,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो जाती है, जिनमें 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे सबसे अधिक होते हैं।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के लक्ष्य-

- 2020 तक मलेरिया से संबंधित नए मामलों (New Cases) और मृत्यु (Deaths) को 2015 के तुलना में 40 प्रतिशत तक कम करना है।

- 2030 तक पूरे विश्व से मलेरिया का खात्मा करना है।

नोट: भारत सरकार ने अपने देश से 2027 तक मलेरिया के खात्मे का लक्ष्य रखा है।

मलेरिया क्या है?

यह एक संक्रामक रोग है, जो प्लाज्मोडियम वर्ग के परजीवियों (Parasites) से होता है। मुख्यत: निम्न चार प्रकार के परजीवी मनुष्य में मलेरिया रोग को उत्पन्न करते हैं-

1. प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम (Plasmodium Falciparum)
2. प्लाज्मोडियम वाइवैक्स (Plasmodium Vivax)
3. प्लाज्मोडियम ओवेल (Plasmodium Ovale)
4. प्लाज्मोडियम मलेरिये (Plasmodium Malariae)

मलेरिया के परजीवी का प्रमुख वाहक मादा एनोफिलीज मच्छर (Female Anopheles Mosquito) है। जब संक्रमित मादा मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटती है तो वह अपनी लार के माध्यम से उसके रक्त में मलेरिया के परजीवियों को पहुँचा देती है। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति को सर्दी एवं कपकपी के साथ तेज बुखार आता है और यदि उपचार सही समय पर न किया गया तो रोगी की मृत्यु होने तक का जोखिम रहता है।

मलेरिया का प्रमुख कारक

मलेरिया मच्छर की प्राथमिक पोषक मादा एनोफिलीज मच्छर होती है। ये मच्छर गंदे व ठहरे पानी में अपना विकास करते हैं, इसलिए मलेरिया से संबंधित अधिकतर मामले भूमध्यरेखा के आस-पास अधिक देखने को मिलते हैं। भूमध्यरेखा के दोनों तरफ भारी वर्षा होती है और यदि स्वच्छता की उचित व्यवस्था न हुई तो मलेरिया वृहद स्तर पर फैल जाती है। यही कारण है कि पिछड़े व गरीब देशों में इस बीमारी ने खूब पैर पसारे हैं।

'वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट' में भारत के ओडिशा का विशेष उल्लेख

वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट (2018) में मलेरिया के कारणों को पहचान कर उनके निदान हेतु ओडिशा राज्य की जमकर तारीफ की गयी है। दरअसल, ओडिशा इस बीमारी से काफी प्रभावित राज्य था, अत: यहाँ की सरकार ने इससे लड़ने हेतु एक व्यवस्थित व सुनियोजित रणनीति के तहत कार्य किया, जिसमें उसने निम्नांकित कार्यो को अंजाम दिया-

- बड़े स्तर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य कर्मियों की भर्ती की,
- सरकार ने आमजन को मच्छरों से बचाने हेतु वृहद स्तर पर, सस्ती मच्छरदानी (Mosquito Nets) उपलब्ध कराई,
- लोगों में मलेरिया के बारे में जागरूकता फैलाई।

मलेरिया जैसी बीमारी से निपटने में भारत सरकार के समक्ष चुनौतियाँ-

- भारत में वर्षा सबसे अधिक मानसून के समय होती है, अत: उस समय मलेरिया जैसी मच्छर जनित बीमारियों के फैलने का खतरा बहुत अधिक हो जाता है, किन्तु सरकार के पास स्वास्थ्य से संबंधित आधारभूत संरचना पर्याप्त न होने के कारण लोगों को समय पर इलाज नहीं मिल पाता है, जिससे यह बीमारी गंभीर रूप धारण कर लेती है। भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र के कमजोर आधारभूत संरचना के तहत आते हैं-
  - अकुशल स्वास्थ्य कर्मी।
  - अस्पताल में बेड, जाँच उपकरण, दवाइयाँ और बिल्डिंग जैसी मूलभूत आवश्यकताओं की कमी।
  - अस्पताल तक पहुँचने के लिए अच्छी कनेक्टीविटी का न होना।
  - एम्बुलेंस सेवा आदि की अपर्याप्तता।
  - डॉक्टरों की संख्या का पर्याप्त रूप में न होना।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री ने संसद में बताया कि देश में पंजीकृत एलोपैथिक डॉक्टरों की संख्या 31 मार्च, 2017 तक 10,22,859 थी, जो भारत की वर्तमान जनसंख्या (लगभग 1.33 बिलियन) के लिए काफी कम है, अर्थात् देश में प्रति हजार आबादी पर 0.62 डॉक्टर उपलब्ध हैं। जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, प्रति हजार आबादी पर कम से कम एक डॉक्टर का होना आवश्यक है।

अन्य देशों में प्रति हजार आबादी पर उपलब्ध डॉक्टरों की संख्या निम्नांकित हैं-

ऑस्ट्रेलिया	3.374	रूस	3.306
ब्राजील	1.852	अमेरिका	2.554
चीन	1.49	अफगानिस्तान	0.304
फ्रांस	3.227	बांग्लादेश	0.389
जर्मनी	4.125	पाकिस्तान	0.806

नोट: डॉक्टरों की संख्या की कमी की मुख्य वजह देश में मेडिकल कॉलेजों की अपर्याप्तता है।

- भारत की अधिकांश आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, जहाँ शिक्षा, बीमारियों के प्रति जागरूकता और स्वच्छता आदि का अभाव है। ऐसे में मलेरिया जैसी बीमारियों से निपटने में काफी दिक्कत आती है।
- आज बीमारियों के नित नए रूप सामने आ रहे हैं, तो ऐसे में स्वास्थ्य क्षेत्र में लगातार अनुसंधान एवं विकास (आर एण्ड डी) का होते रहना जरूरी होता है किन्तु भारत के सार्वजनिक व निजी, दोनों क्षेत्र इस मामले में काफी उदासीन रहते हैं।
- भारत में लोग बीमारी के प्रति स्वयं से इलाज करते हैं अर्थात् 'सेल्फ मेडिकेसन' (Self Medication) की प्रवृत्ति काफी अधिक है अर्थात् लोग बीमारी के प्रति डॉक्टर की परामर्श से इलाज न कराकर, स्वयं के आत्मज्ञान से इलाज करते हैं जिससे जाने-अनजाने में उनकी बॉडी 'दवा प्रतिरोधक क्षमता' (Drug Resistance) को हासिल कर लेती है। ऐसे लोगों में मलेरिया को खत्म करने की दवाइयों की सामान्य खुराक (Dose) काम नहीं करती है, बल्कि उन्हें उच्च क्षमता की दवाइयों की आवश्यकता होने लगती है।
- आज भ्रष्टाचार ने लगभग हर जगह अपने पैर पसारे हैं और स्वास्थ्य विभाग भी इससे अछूता नहीं है। अत: सरकारी अधिकारियों, राजनेताओं और दवा कम्पनियों आदि के गठजोड़ ने ऐसा भ्रष्टतंत्र का निर्माण किया है जो भारत की गरीब व पिछड़ी जनता के लिए एक शोषणकारी यंत्र का कार्य कर रहा है। इसके अतिरिक्त, दवा कम्पनियों और डॉक्टरों का आपसी गठजोड़ भी दवाइयों के दाम इतना अधिक कर देता है कि आम आदमी की दवा से पहुँच दूर हो जाती है। इन स्थितियों में मलेरिया जैसी बीमारियों से निपटना काफी चुनौतीपूर्ण कार्य है।

मलेरिया जैसी बीमारियों के सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव

मलेरिया गरीबी से जुड़ा तो है हीं, इसके साथ यह अपने आप में खुद गरीबी का कारण है तथा आर्थिक विकास में बाधा है। भारत में लोग स्वास्थ्य बीमा को अपेक्षाकृत कम वरीयता देते हैं (खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में), तो ऐसे में मलेरिया जैसी बीमारियों के चपेट में आने पर लोगों की पैतृक सम्पत्तियाँ तक बिक जाती हैं, जिसके निम्नलिखित प्रभाव उत्पन्न होते हैं-

- लोग गरीबी के दलदल में फँस जाते हैं अर्थात् वह गरीबी के दुष्चक्र में फँस जाते हैं।
- गरीब मनुष्य अपने आप को समाज में उपेक्षित महसूस करता है।
- लोग पलायन करने के लिए मजबूर हो जाते हैं।

मलेरिया जैसी बीमारियों से निपटने हेतु प्रयास-

- स्वतंत्रता प्राप्ति के समय मलेरिया पीड़ितों की संख्या काफी अधिक थी, अतः सरकार ने 1953 में 'राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम' (NMCP) को शुरू किया और डी.डी.टी के छिड़काव को बढ़ावा दिया। वर्ष 1954 में एनएमसीपी को 'राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम' (NMEP) में बदल दिया गया और वर्ष 1977 में इस कार्यक्रम को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली से जोड़ दिया गया। सरकार के इन प्रयासों से मलेरिया के मामलों में तेजी से कमी आने लगी है। वैश्वीकरण के दौर में सरकार ने विश्व बैंक की मदद से अपने 'मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम' को और गति प्रदान किया है।
- **मलेरिया के उन्मूलन हेतु राष्ट्रीय ढाँचा (NFME, National Framework for Elimination of Malaria,2016-2030)-** एनएफएमई के तहत, भारत सरकार ने मलेरिया के उन्मूलन के लक्ष्य को 2030 तक निर्धारित किया था, बाद में सरकार ने इस लक्ष्य की तिथि को संशोधित करके 2027 तक कर दिया। इस कार्यक्रम से न सिर्फ मलेरिया का खात्मा होगा बल्कि बेहतर स्वास्थ्य को प्राप्त करने व गरीबी उन्मूलन में भी सहायता मिलेगी।
- **ग्लोबल फण्ड टू फाइट एड्स, टीबी एवं मलेरिया (GFATM)-** इसे सन् 2002 में संयुक्त राष्ट्र संघ के 'सतत विकास लक्ष्य' को पाने हेतु जेनेवा (स्विट्जरलैण्ड) में स्थापित किया गया था। यह एड्स, टीबी और मलेरिया से लड़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तपोषण संगठन है।
- **एम-2030:** मलेरिया को 2030 तक खत्म करने हेतु इस पहल की शुरूआत विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठनों द्वारा सिंगापुर में की गयी थी। इसका उद्देश्य 'जीएफएटीएम' एवं मलेरिया के उन्मूलन हेतु कार्य करने वाले अन्य एनजीओ को वित्तीय मदद उपलब्ध कराना है।
- गंदगी और बीमारी का चोली-दामन जैसा साथ होता है अतः भारत सरकार ने इस संदर्भ में, सन् 2014 में 'स्वच्छ भारत अभियान' को शुरू किया था। इस अभियान का लक्ष्य भारत को खुले में शौच से मुक्त कराने के साथ-साथ सड़कों, गलियों एवं अन्य संरचनाओं में स्वच्छता के उच्च स्तर को प्राप्त करना है।

मलेरिया से बचने के उपाय:

- मच्छरों को पनपने से रोकना चाहिए। इसके लिए अपने आसपास सफाई का ध्यान रखना चाहिए।
- मच्छर ठहरे हुए पानी में पनपते हैं इसलिए बारिश के पहले ही नालियों की सफाई की जानी चाहिए।
- अगर जल निकास संभव न हो तो कीटनाशक का प्रयोग करना चाहिए।
- बारिश के दिनों में मच्छरों से बचने के लिए पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े पहनने। जैसे पूरी बाजू का कुर्ता और पायजामा आदि।
- मच्छर भगाने वाली क्रीम और स्प्रे का भी इस्तेमाल किया जाना चाहिए।
- इस बीमारी से बचाव के लिए लोगों को जागरूक किया जाना जरूरी है। यह कार्य सरकारी तंत्र के अलावा डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ अच्छी तरह से कर सकते हैं।
- मलेरिया बहुल इलाकों में जाने वाले व्यक्तियों को सलाह दी जानी चाहिए कि वे कुछ सप्ताह या कुछ महीनों तक डॉक्टर की सलाह से मलेरिया से बचाव के लिए कुछ दवाएं ले सकते हैं।

नोट: मलेरिया से बचाव का कोई टीका (वैक्सीन) अभी तक उपलब्ध नहीं है, परंतु इस पर अनुसंधान जारी है।

आगे की राह

भारत सरकार को मलेरिया से निपटने हेतु 'एकीकृत दृष्टिकोण' (Integrated Approach) अपनाने की जरूरत है। भारत सरकार को अपनी स्वास्थ्य नीति में प्राथमिकताओं को तय करना होगा और इसके प्रावधानों को व्यावहारिक धरातल में उतारने हेतु कार्यक्रमों को उचित ढंग से क्रियान्वित भी करना होगा।

जब ओडिशा ने सीमित संसाधनों से मलेरिया उन्मूलन की दिशा में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है तो अन्य राज्यों को भी ओडिशा की बेहतर रणनीतियों को अपनी स्थानिक जरूरतों के मुताबिक लागू करना चाहिए। खासकर छत्तीसगढ़, झारखण्ड और पश्चिम बंगाल जैसे मलेरिया बीमारी से अधिक सुभेद्य राज्यों को मिलकर प्रयास करने की आवश्यकता है।

भारत के पड़ोसी देश (यथा-म्यांमार, बांग्लादेश आदि) भी मलेरिया से जूझ रहे हैं तो ऐसे में भारत को इन देशों के साथ मिलकर समन्वित रूप से प्रयास करना चाहिए ताकि इस पूरे क्षेत्र को मलेरिया मुक्त बनाया जा सके।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे।

■

5. भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच बढ़ती रणनीतिक सहभागिता

चर्चा का कारण

हाल ही में भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविन्द ने ऑस्ट्रेलिया की अपनी आधिकारिक यात्रा संपन्न की। ऑस्ट्रेलिया की यात्रा करने वाले वे प्रथम राष्ट्रपति हैं। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच द्विपक्षीय संबंध बहुत सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही अर्थव्यवस्था, निवेश, व्यापार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, कृषि, रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में दोनों देश साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस संदर्भ में भारत और ऑस्ट्रेलिया ने 22 नवंबर 2018 को एग्रीकल्चरल रिसर्च (कृषि शोध) और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग और निवेश बढ़ाने के लिए पांच समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं।

पृष्ठभूमि

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अनेक समानताएँ हैं जो उसी तर्ज पर आधारित हैं जिसे भारत ने

अन्य पश्चिमी देशों के साथ विकसित किया है जो घनिष्ठ सहयोग एवं बहुआयामी अंत:क्रिया के लिए नींव के रूप में कार्य करती है। दोनों ही मजबूत, जीवंत, धर्मनिर्पेक्ष एवं बहु-सांस्कृतिक लोकतंत्र हैं। दोनों ही देशों में प्रेस की स्वतंत्रता है तथा एक स्वतंत्र न्यायिक प्रणाली है। भारत ऑस्ट्रेलिया के विश्लेषण एवं नीति निर्माण में उत्तरोत्तर एक कारक बनता जा रहा है। भारत की बढ़ती आर्थिक स्थिति तथा ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था के लिए वाणिज्यिक प्रासंगिकता को ऑस्ट्रेलिया में राज्य एवं संघीय दोनों स्तरों पर स्वीकार किया गया है।

राजनीतिक संबंध: बदलते वैश्विक परिदृश्य में भारत को, ऑस्ट्रेलिया एक उभरती आर्थिक शक्ति तथा बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में देखता है। यही वजह है कि दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंध हाल के वर्षों में मजबूत हुए हैं जिसका मुख्य वजह दोनों देशों में उच्च स्तरीय राजनीतिक भागीदारी रही है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ब्रिस्बेन (ऑस्ट्रेलिया) में जी-20 नेताओं की शिखर बैठक की पूर्व संध्या पर नवंबर 2014 में ऑस्ट्रेलिया का दौरा संपन्न किया। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच पर्यटन के क्षेत्र में एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। इसी परिप्रेक्ष्य में 2016 में ऑस्ट्रेलिया में भारत महोत्सव का भी आयोजन किया गया। सितंबर, 2014 को ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री टोनी एबॉट ने भारत की यात्रा संपन्न की जिसमें असैन्य परमाणु सहयोग, खेल, जल संसाधन आदि के क्षेत्र में समझौते हुए।

अप्रैल, 2017 प्रधानमंत्री टर्नबुल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा करने के लिए बैठक की जिसमें विभिन्न क्षेत्रों (जैसे- सामरिक भागीदारी, आर्थिक भागीदारी, ऊर्जा, शिक्षा, विज्ञान एवं नवाचार आदि) में 6 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए।

आर्थिक संबंध: भारत एवं ऑस्ट्रेलिया के बीच आर्थिक भागीदारी हाल के वर्षों में बढ़ी है। भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच 7वां आर्थिक नीति वार्तालाप जुलाई, 2017 को ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा में संपन्न हुआ।

भारत का ऑस्ट्रेलिया के साथ वस्तु और सेवा के क्षेत्र में व्यापार (वर्ष 2016) लगभग 15.6 बिलियन अमेरिकी डालर था। भारत का ऑस्ट्रेलिया को निर्यात 4.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, वहीं भारत का ऑस्ट्रेलिया से आयात 11 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। भारत द्वारा ऑस्ट्रेलिया को जिन वस्तुओं का निर्यात किया जाता है उनमें मुख्य रूप से मोटर वाहन, मशीनरी, मोती, रत्न एवं आभूषण, शोधित पेट्रोलियम तथा वस्त्र शामिल हैं। जबकि भारत द्वारा ऑस्ट्रेलिया से आयात की जाने वाली प्रमुख वस्तुओं में सब्जियाँ, ऊन, गैर-मौद्रिक गोल्ड, कोयला, कॉपर और उर्वरक शामिल हैं।

असैन्य परमाणु सहयोग: सितंबर, 2014 में दोनों देशों के बीच असैन्य परमाणु सहयोग पर समझौता संपन्न हुआ। यह समझौता 13 नवंबर, 2015 को प्रभावी हुआ। इस तरह ऑस्ट्रेलिया भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए नाभिकीय ऊर्जा की आपूर्ति सुनिश्चित करता है।

भारतीय समुदाय: ऑस्ट्रेलिया में लगभग 5 लाख भारतीय हैं जो शिक्षक, डॉक्टर, लेखाकार, इंजीनियर एवं शोधकर्ता के रूप में अपनी भूमिका के माध्यम से ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था में योगदान कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के लिए भारत उत्प्रवासियों का तीसरा सबसे बड़ा स्रोत है।

कृषि, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी: भारत-ऑस्ट्रेलिया के मध्य 'सामरिक अनुसंधान निधि' (एआईएसआरएफ) स्थापित की गई है। दोनों देशों ने इन क्षेत्रों में सहयोग के लिए अनेक अनुसंधान परियोजनाओं की पहचान की है। इस निधि के तहत सहयोग के लिए जो क्षेत्र हैं, वो इस प्रकार हैं- कृषि अनुसंधान, ज्योतिष एवं खगोल विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक्स, नैनो प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, समुद्र विज्ञान तथा पृथ्वी विज्ञान आदि। यह निधि ऊर्जा, खाद्य तथा जल सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण पर केन्द्रित व्यावहारिक समाधान प्रदान करने के लिए तैयार की गई जो वृहद अनुसंधान परियोजनाओं के लिए सहायता प्रदान करती है।

शिक्षा: दोनों देशों के बीच शिक्षा पर संयुक्त कार्य समूह ने सहयोग के लिए अनेक प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की है जिसमें शिक्षा नीति में सहयोगात्मक अनुसंधान, छात्र विनिमय कार्यक्रम, व्यावसायिक शिक्षा में क्षमता निर्माण तथा उच्च शिक्षा में दूरस्थ अध्ययन शामिल हैं। वर्तमान समय में ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई करने वाले भारतीय छात्रों की संख्या 85,000 के आस-पास है, जिसमें से 50 प्रतिशत छात्र उच्च शिक्षा में तथा शेष छात्र व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं।

वर्तमान परिदृश्य

भारत की आर्थिक रणनीति पर ऑस्ट्रेलिया की प्रतिक्रिया के बारे में प्रधानमंत्री मॉरीसन ने कहा की यह रणनीति भारत के साथ हमारे आर्थिक भविष्य का खाका पेश करती है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और अगले 20 सालों तक किसी अन्य बाजार के मुकाबले यहां ऑस्ट्रेलिया के लिए ढ़ेरों अवसर मौजूद हैं। ऑस्ट्रेलिया के व्यापार मंत्री ने कहा कि हम व्यापक आर्थिक सहयोग पर काम करेंगे।

ऑस्ट्रेलिया द्वारा अगले एक साल में किए जाने वाले प्रमुख कार्य:

ऑस्ट्रेलिया ने अगले एक साल में किए जाने वाले प्रमुख कार्यों का उल्लेख किया। ऑस्ट्रेड और इंवेस्ट इंडिया के समझौते के तहत दोनों देश खाद्य साझेदारी करेंगे जिससे कृषि-प्रौद्योगिकी और सेवा के क्षेत्र में नए अवसर खुलेंगे। वहीं ऑस्ट्रेलिया-भारत रणनीतिक अनुसंधान कोष 5,00,000 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर का अनुदान देगा।

भारत-ऑस्ट्रेलिया के मध्य सम्पन्न पाँच महत्त्वपूर्ण समझौते

पहला समझौता: अशक्तता क्षेत्र के लिए है। इसके तहत विशेष तौर पर अक्षम लोगों के लिए सेवाओं को बेहतर किया जाएगा।

दूसरा समझौता: दोनों देशों के बीच व्यापार में द्विपक्षीय निवेश बढ़ाने के लिए इंवेस्ट इंडिया और ऑस्ट्रेड के बीच किया गया है।

तीसरा समझौता: 'केंद्रीय खनन योजना एवं डिजाइन संस्थान, रांची' और 'कॉमनवेल्थ साइंटिफिक एंड रिचर्स ऑर्गेनाइजेशन, कैनबरा' के बीच आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए किया गया है।

चौथा समझौता: आचार्य एन. जी. रंगा कृषि विश्वविद्यालय गुंटूर और यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, पर्थ के बीच कृषि शोध में सहयोग बढ़ाने के लिए हुआ है।

पाँचवा समझौता: इंद्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (दिल्ली) और क्वींसलैंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (ब्रिसबेन) के बीच संयुक्त पीएचडी के लिए हुआ है।

क्वाड क्या है?

'क्वाड' या चतुष्पक्षीय सुरक्षा वार्ता है जो जापानी प्रधान मंत्री शिंजो आबे के दिमाग की उपज है। उन्होंने ही इसकी कल्पना की थी और इसे लोकतंत्र का एशियाई आर्क कहा था। किन्तु 2007 में इसके गठन के बाद, चीन द्वारा सभी देशों को इसके विरोध में राजनयिक नोट भेजा गया और उसी नोट का परिणाम था कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधान मंत्री केविन रूड नें, चीन की आपत्ति को स्वीकार करते हुए 2008 में क्वाड से बाहर निकलने की घोषणा की थी जिस कारण से क्वाड भंग हो गया था।

उसके बाद, फिलिपिन्स में आयोजित 31 वें आसियान शिखर सम्मेलन के अवसर पर भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के शीर्ष नेताओं ने हिन्द-प्रशांत क्षेत्र को मुक्त और स्वतंत्र बनाये रखने के लिए, समग्र सुरक्षा एवं रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए, चतुष्पक्षीय गठबंधन को पुनः मूर्त रूप देने की दिशा में पहली बैठक आयोजित की। हाल ही में क्वाड देशों के चार थिंकटैंकों द्वारा हिंद महासागर सुरक्षा नीति पर एक रिपोर्ट का अनावरण किया गया है। जापान ने एक कदम और आगे जाकर इसे क्वाड से 'क्वाड प्लस' करने का सुझाव दिया है। भारत-प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती सैन्य ताकत व आर्थिक क्षेत्र में बढ़ते प्रभाव को प्रतिसंतुलित करने के लिए यह समूह पुनः महत्वपूर्ण हो गया है।

क्वाड प्लस क्या है?

क्वाड प्लस अभी मात्र एक विचार है जिसे हाल ही में, जापानी विदेश मंत्री तारो कोनो ने प्रस्तुत किया है। उन्होंने सुझाव दिया है कि ब्रिटेन और फ्रांस को भी क्वाड समूह में शामिल किया जाये। इस प्रकार क्वाड में ब्रिटेन और फ्रांस को शामिल करके जो नया समूह बनेगा उसे ही 'क्वाड प्लस' कहा जा रहा है।

भारत-ऑस्ट्रेलिया संबंधों की आवश्यकता

ऑस्ट्रेलिया 'ऊन' का सबसे बड़ा उत्पादक है और भारत टेक्सटाइल के क्षेत्र में अग्रणी उत्पादक है। अगर ऑस्ट्रेलिया से उच्च गुणवत्ता वाला ऊन आयात किया जाता है तो भारत में टेक्सटाइल को काफी बढ़ावा मिल सकता है, क्योंकि भारत तथा ऑस्ट्रेलिया के मध्य टेक्सटाइल तथा फैशन उद्योग के क्षेत्र में एमओयू पर समझौता हुआ है। इससे कुशलता को बढ़ावा मिलेगा और नये रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे।

पर्यटन, एक महत्वपूर्ण सेक्टर है जिसमें भारत-ऑस्ट्रेलिया मिलकर इसको बढ़ावा दे सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के व्यापार मंत्री के अनुसार, भारत से पर्यटन के क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया को 1.9 बिलियन डॉलर 2020 तक आने की संभावना है इसलिए ऑस्ट्रेलिया भारत को एक महत्वपूर्ण व्यापारिक और निवेशक भागीदार मानता है।

नोटः मार्च, 2017 के अंत तक भारतीय पर्यटकों की संख्या ऑस्ट्रेलिया में 2,74,500 थी जो पिछले वर्ष के मुकाबले 15.3 प्रतिशत अधिक है।

वृहद आर्थिक भागीदारी समझौता (Comprehonsive Economic Cooperation Agreement -CECA) दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई पर पहुँचाने के लिए महत्वपूर्ण है, जिस पर समझौता होना अभी अपेक्षित है।

क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (RECP-Regional Comprehensive Economic Partnership), एक प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौता है जिसमें आसियान देशों के साथ-साथ चीन, जापान, भारत, दक्षिण कोरिया तथा न्यूजीलैण्ड शामिल हैं। अगर इस तरह के समझोतों में भारत, ऑस्ट्रेलिया को साथ लेकर आगे बढ़ता है तो उसके व्यापार में विविधीकरण के साथ-साथ वृद्धि भी आयेगी।

चूंकि चीन का ऑस्ट्रेलिया के साथ व्यापार बहुत ज्यादा है साथ ही चीन इस क्षेत्र में अपनी भागीदारी लगातार बढ़ा रहा है। वहीं भारत एक उभरती हुई शक्ति एवं बाजार हैं यहाँ व्यापार और निवेश की संभावना ज्यादा है। इसलिए पिछले वर्ष ऑस्ट्रेलिया के व्यापार मंत्री के साथ 176 व्यापारियों का दल भारत की आधिकारिक यात्रा पर आया था। अगर भारत भी अपनी दिलचस्पी दिखाता है तो न केवल इसका व्यापार बढ़ेगा बल्कि चीन को साधने में भी मदद मिलेगी।

भारत को लाभः ऑस्ट्रेलिया एक विकसित देश है, वहाँ से भारत को तकनीकी प्राप्त हो सकती है।

विश्व के 40 प्रतिशत ज्ञात यूरेनियम के स्रोत आस्ट्रिेलिया में ही हैं और ऑस्ट्रेलिया ने वर्ष 2014 में ही भारत को यूरेनियम आपूर्ति के लिए समझौता किया था। अगर दोनों देशों के संबंध मतबूत होते हैं तो भारत की बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ती आसानी से की जा सकती है। वर्ष 2017 में ऑस्ट्रेलिया ने यूरेनियम की पहली खेप भारत को दे भी दिया है।

वर्ष 2009 में भारत-ऑस्ट्रेलिया ने 'सामरिक भागीदारी समझौते' पर हस्ताक्षर किया था। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, भारत की यूएन सिक्यूरिटी काउंसिल में दावेदारी का समर्थन भी करता है, इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया भारत की परमाणु आपूर्तिकर्त्ता समूह (NSG) में सदस्यता को भी मान्यता देता है।

ऑस्ट्रेलिया 'ऊन' के साथ-साथ एक बड़ा गेहूँ उत्पादक देश भी है जबकि ऑस्ट्रेलिया की अधिकांश भूमि मरुस्थल है फिर भी तकनीकी के बल पर वह गेहूँ का अच्छा उत्पादन करता है। चूंकि भारत में जल संकट दिनोंदिन गहरा रहा है इससे कृषि बहुत ज्यादा प्रभावित हो रही है; अतः इस परिप्रेक्ष्य में भारत ऑस्ट्रेलिया से कृषि क्षेत्र में विभिन्न तकनीक प्राप्त कर सकता है और कृषि संकट की समस्या से काफी हद तक पार पाया जा सकता है।

भारत एवं ऑस्ट्रेलिया विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आपस में सहयोग करते हैं और दोनों ही राष्ट्रमंडल, आईओआरए (इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन), आसियान क्षेत्रीय मंच तथा जलवायु एवं स्वच्छ विकास पर एशिया प्रशांत साझेदारी आदि के सदस्य हैं। दोनों देशों ने पूर्वी-एशिया शिखर बैठकों में भागीदारी के साथ-साथ विश्व व्यापार संगठन के संदर्भ में पांच इच्छुक पक्षकारों (एफआईपी) के सदस्य के रूप में भी आपस में सहयोग कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया, एपेक (एशिया-पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन) में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी है तथा इस संगठन में भारत की सदस्यता का समर्थन करता है। अतः दोनों देशों के संबंध मजबूत होना आवश्यक है।

2016 तक ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े व्यापारिक देश

देश	कुल व्यापार (बिलियन अमेरिकी डॉलर)
चीन	155.16
यूएसए	64.283
जापान	61.039
साउथ कोरिया	32.084
यूके	29.092
न्यूजीलैंड	24.828
सिंगापुर	22.701
थाईलैंड	21.249
भारत	20.741
जर्मनी	20.223

चुनौतियाँ

- भारत का ऑस्ट्रेलिया के साथ व्यापार अन्य देशों की तलुना में कम है।
- दोनों देशों के मध्य व्यापक आर्थिक साझेदारी करार (CECA) जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अभी तक समझौता न हो पाना।
- चीन का ऑस्ट्रेलिया में भारी निवेश तथा उच्च व्यापारिक भागीदारी का लगातार बढ़ना।
- भारतीय राजनेताओं का ऑस्ट्रेलिया के साथ संबंधों की उपेक्षा करना; जैसे 1986 के बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री का वर्ष 2014 में ऑस्ट्रेलियाई दौरा।
- भारतीय समुदायों पर नस्लीय हमले।
- भारत का ऑस्ट्रेलिया के साथ द्विपक्षीय व्यापार घाटा।

आगे की राह

भारत का चेन्नई बंरगाह तथा ऑस्ट्रेलिया का पर्थ बंदरगाह अन्य देशों की तुलना में बहुत नजदीक हैं, इसके बाद भी इन दोनों देशों के मध्य व्यापार का कम होना चिंता का विषय है। इसलिए व्यापार के क्षेत्र में जो भी तकनीकी कमियाँ हैं उन्हे दूर करके आगे बढ़ने की जरूतर है।

दोनों देशों के मध्य लंबित 'व्यापक आर्थिक साझेदारी करार' (CECA) को जल्द से जल्द लागू किया जाना चाहिए जिससे की इन दोनों देशों के ऊर्जा संसाधनों के दोहन के साथ-साथ व्यापार को नई दिशा मिल सके।

हिन्द-प्रशान्त क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को कम करने के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंधों का मजबूत होना समय की मांग है, जिससे कि सामरिक हितों को साधा जा सके।

भारतीय राजनेताओं को भी सीमित अंतराल के बाद ऑस्ट्रेलिया की यात्रा करने की आवश्यकता है जिससे कि दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा व ऊर्जा मिलती रहे।

साथ ही भारतीय समुदायों पर हो रहे नस्लीय हमले को रोकने के लिए भारत तथा ऑस्ट्रेलिया को साथ आने की जरूरत है।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- भारत एवं इसके पड़ोसी-संबंध।

■

6. आईएनएसटीसीः मध्य एशिया तथा यूरेशिया का मार्ग

चर्चा का कारण

हाल ही में भारत, रूस और ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन (International North-South Transport Corridor) गलियारे के निर्माण को लेकर बैठक की है। इस कॉरिडोर के शुरू होने से रूस, ईरान, मध्य एशिया, भारत और यूरोप के बीच व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। इससे सामानों की आवाजाही में समय और लागत की बचत होगी। ये कॉरिडोर हिन्द महासागर और फारस की खाड़ी को ईरान के जरिए कैस्पियन सागर से जोड़ेगा और फिर रूस से होते हुए उत्तरी यूरोप तक पहुंच बनाएगा।

परिचय

''इंटरनेशनल नार्थ-साऊथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर'' अर्थात् ''अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा'', एक बहुविध परिवहन परियोजना है, जिसके निर्माण को लेकर 12 सितम्बर, 2000 को सैंट पीट्सर्बर्ग में ईरान, भारत तथा रूस के बीच बैठक हुई थी। इस परियोजना के लिए तीनों देशों ने 16 मई 2002 को समझौते पर हस्ताक्षर किये थे।

इस गलियारे के रास्ते की लंबाई 7200 किलोमीटर है जिसका मुख्य उद्देश्य भारत, ईरान, अजरबैजान और रूस के बीच व्यापार बढ़ाना है। इसकी सहायता से बड़े शहरों जैसे-मुम्बई, मॉस्को, तेहरान, बाकू, बंदर अब्बास, अस्त्रखान, बंदर अंजेल आदि के बीच विनिमय बढ़ सकेगा। इसके परीक्षण के लिए इसका सन् 2014 में 'ड्राई रन' (Dry Run) भी करके देखा गया। इसका पहला ड्राई रन मुंबई से बाथू के लिए बंदर अब्बास से होते हुए तथा दूसरा मुंबई से अस्त्रखान के लिए बंदर अंजेल से होते हुए किया गया। इस ड्राई रन का मुख्य उद्देश्य रास्ते में पड़ने वाले ट्रैफिक का अध्ययन करना था। इस परीक्षण में देखा गया कि इसकी सहायता से ट्रांसपोर्ट खर्च में प्रति 15 टन के कार्गो में 2500 डॉलर की कमी आई है। इन दो रास्तों के अलावा कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान को भी नजर में रखा गया है।

उल्लेखनीय है कि इस गलियारे में हाल ही में ग्यारह और देश सदस्य के रूप में शामिल हुए हैं। इनमें अजरबैजान, अर्मेनिया, तजाकिस्तान, टर्की, यूक्रेन, बेलारूस, ओमान, सीरिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और बुल्गारिया शामिल हुए हैं।

उद्देश्यः

इस परिवहन का मुख्य उद्देश्य, व्यापार के लिए कम समय लगने वाले रास्ते की खोज तथा परिवहन खर्च को कम करना है। शोधकर्त्ताओं के अनुसार, इससे मध्य एशिया, रूस, ईरान और भारत के बीच व्यापार की मात्रा में काफी बढ़ोत्तरी होगी। साथ ही इसकी सहायता से आम तौर पर होने वाले व्यापार खर्च में कम से कम 30 प्रतिशत की कमी आएगी। इसके साथ ही रास्ते में लगने वाले समय में 40 प्रतिशत तक की कमी आएगी। भारत और रूस अभी सामान लाने और ले जाने के लिए समुद्री रास्ते का इस्तेमाल करते हैं जिसमें 40 दिन का वक्त लग जाता है।

ओबीओआर (OBOR) एवं अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण गलियारा (INSTC)-

इस परियोजना को चीन की 'वन वेल्ट, वन रोड (OBOR) पहल' का जवाब माना जा रहा है। चीन जहाँ अपनी इस पहल के जरिये यूरोप के साथ व्यापक पैमाने पर जुड़ाव सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा है, वहीं भारत 'आईएनएसटीसी' के जरिये सुदूर मध्य एशिया और यूरेशियाई क्षेत्रों तक अपनी बेहतर पहुंच सुनिश्चित करना चाहता है।

लाभः

उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे से होने वाले लाभों को निम्नलिखित बिन्दुओं के तहत देखा जा सकता है-

1. विशेषज्ञों का मानना है कि रूस, मध्य एशिया, ईरान एवं भारत के मध्य कनेक्टिविटी में सुधार होने के कारण इस क्षेत्र में द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि होगी। चूँकि भारत का मध्य एशिया से व्यापार अभी भी बहुत कम है इसके अलावा रूस से भी भारत का व्यापार संतुलित और सही रूप में नहीं है इसलिए भारत को इन देशों से अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए एक बेहतर और सुरक्षित आवागमन की आवश्यकता थी, जिसे 'आईएनएसटीसी' पूरा करेगा।

   वैसे भी वर्तमान में चीन 'OBOR' के माध्यम से मध्य एशिया के देशों पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर रहा है और अपने व्यापार को तेज गति से आगे बढ़ा रहा है जो कि न सिर्फ भारत बल्कि रूस और मध्य एशिया के देशों के लिए एक चुनौती है।

2. सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी आईएनएसटीसी का महत्व अधिक है। चूँकि भारत का व्यापार अभी अफगानिस्तान के बंदर अब्बास के रास्ते होता है जिसमें सुरक्षा को लेकर काफी चुनौतियाँ हैं। हालाँकि चाबहार बंदरगाह के निर्माण में भारत ने काफी सहयोग किया है और उस पर तेज गति से कार्य हो रहा है लेकिन आईएनएसटीसी के माध्यम से व्यापार इन माध्यमों से कहीं अधिक सुरक्षित होगा।

3. इस गलियारे के माध्यम से भारत, एशिया एवं खाड़ी के देशों से अच्छी तरह से जुड़ जाएगा जो हमारी विदेश नीति के लिए लाभदायक होगा। चूँकि मध्य एशिया के ज्यादातर देश भूबद्ध देश हैं इसलिए इस गलियारे के माध्यम से भारत की पहुंच आसानी से वहाँ तक हो जाएगी। अकूत प्राकृतिक संसाधन होने के बाद भी खाड़ी देशों का विकास अभी भी उस स्तर पर नहीं हुआ है जितना होना चाहिए। इसलिए यदि इस गलियारे का निर्माण होता है तो ये देश रूस, ईरान और भारत के साथ जुड़कर

अपने संसाधनों का समुचित उपयोग कर पायेंगे और उनका विकास होगा। दूसरी तरफ इन बड़े देशों को एक बड़ा बाजार मिलेगा जिससे कि द्विपक्षीय संबंध मजबूत होंगे।

4. यदि ईरान और मध्य एशिया के देशों को देखें तो जो भी देश चीन की 'OBOR परियोजना' से जुड़े हैं वे महसूस करने लगे हैं कि इस योजना से सर्वाधिक लाभ चीन को ही हो रहा है जबकि वे खुद अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं।
5. इधर कुछ वर्षों से रूस, ईरान और अमेरिका के बीच संबंध अच्छे नहीं रहे हैं। रूस और ईरान पर अमेरिका लगातार व्यापार, सैन्य, बैंकिंग व्यवस्था आदि पर प्रतिबंध लगाता रहा है और इन्हें अलग-थलग करने की कोशिश करता है। दूसरी ओर भारत का अमेरिका से संबंध बेहतर है इसलिए उस पर कोई विशेष दबाव नहीं है। भारत इसका फायदा उठाकर न सिर्फ मध्य एशिया बल्कि इस क्षेत्र में उभरती अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ अपना व्यापार बढ़ा सकता है।
6. इस गलियारे के बन जाने से भारत की पाकिस्तान पर निर्भरता कम हो जाएगी क्योंकि अभी तक मध्य एशिया और यूरोप के साथ जुड़ने के लिए पाकिस्तानी रास्ते का सहारा लेना पड़ता था।
7. यदि रूस के दृष्टिकोण से देखें तो वह सोवियत संघ के विघटन के बाद इन देशों से अलग-थलग पड़ गया था लेकिन इस परियोजना से वह इन देशों से व्यापारिक एवं सामरिक दोनों दृष्टिकोण से जुड़ पाएगा।
8. इस परियोजना के माध्यम से भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में काफी लाभ होगा क्योंकि वह इन देशों से तेल का आसानी से आयात कर पाएगा। इसके अलावा इस क्षेत्र में यूरेनियम का भी विशाल भंडार है जो ऊर्जा के लिए एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है।
9. मध्य एशिया के देशों में फैल रहे आतंकवाद को भी समाप्त करने में यह परियोजना सहायक सिद्ध होगी।
10. भारत एक विकासशील अर्थव्यवस्था है और इसे विकसित अर्थव्यवस्था बनाने के लिए इन देशों के सहयोग की आवश्यकता है। ठीक इसी तरह से खाड़ी देशों को आगे बढ़ना है तो खाद्यान्न से लेकर तकनीकी की आवश्यकता पड़ेगी जो भारत उन्हें दे सकता है। इससे बहुपक्षीय संबंध मजबूत होंगे।
11. रूस ने एशिया में शुरू से ही अपना महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज करायी है लेकिन वर्तमान में चीन का बढ़ता प्रभाव उसे चुनौती पेश कर रहा है। अतः रूस इस गलियारे के माध्यम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चीन के बढ़ते प्रभाव को कम करना चाहता है। ईरान में चीन तेज गति से निवेश कर रहा है तथा अप्रत्यक्ष रूप से इसे सहयोग करता है जो रूस के लिए चिंता का विषय है।
12. भारत के लिए यह व्यापार के साथ-साथ सामरिक रूप से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत को सबसे ज्यादा चुनौती चीन से ही मिल रही है। चीन के साथ व्यापार तथा सामरिक क्षेत्र में विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है इसलिए चीन जो कि भारत को लगातार चारों तरफ से घेर रहा है यदि इसका मुकाबला करना है तो भारत के लिए इस तरह की परियोजना अति आवश्यक है।
13. भारत का संबंध यदि पश्चिमी देशों, मध्य एशिया के देशों तथा अपने पड़ोसी देशों के साथ सही रहता है तो वह चीन जैसी शक्ति से बखूबी निपट सकता है इसीलिए 'आईएनएसटीसी' को ओबीओआर (OBOR) के विकल्प के रूप में देखा जा रहा है।

चुनौतियाँ

तमाम खूबियों के बावजूद भी अंतर्राष्ट्रीय 'उत्तर-दक्षिण गलियारे' (आईएनएसटीसी) से कई चुनौतियाँ उभरती हैं जिन्हें निम्नलिखित बिन्दुओं के तहत देखा जा सकता है-

- आईएनएसटीसी को अब तक किसी संस्थागत ढाँचा का रूप नहीं दिया गया है जो भविष्य में ऑपरेशनल मुद्दों के समाधान के लिए अति आवश्यक शर्त है।
- परियोजना के अंतर्गत होने वाले व्यापक स्तरीय अवसंरचना निर्माण हेतु यह आवश्यक होगा कि एक वित्तीय कोष या कोई स्पष्ट स्रोत उपलब्ध हो जिसके द्वारा परियोजना लागत की पूर्ति की जाये। परंतु अब तक ऐसे किसी भी स्रोत की चर्चा नहीं हुई है।
- निर्बाध परिवहन हेतु सुरक्षा का वातावरण निर्मित करना आवश्यक है, परंतु मध्य-पूर्व में आतंकवाद इसके लिए एक बड़ी सुरक्षा चुनौती है।
- सदस्य राष्ट्रों के मध्य 'साझा सीमा प्रवेश नियमों' (Common Border Crossing Rules) से संबंधित समस्याएं हैं, जिस पर किसी स्पष्ट क्रियाविधि तैयार करना अभी बाकी है।

समाधान

- वर्तमान में देखा जा रहा है कि विश्व के देशों के बीच विश्वास की कमी है। सभी देश अपने आर्थिक एवं सामरिक हित के लिए एक-दूसरे से जुड़े रहते हैं लेकिन ज्यों ही उनके ये हित प्रभावित होते हैं, वे अपने को अलग कर लेते हैं। अतः इस तरह की बड़ी परियोजना के लिए इन देशों के बीच विश्वास बहाली आवश्यक है।
- चूँकि भारत का संबंध ईरान, अमेरिका और रूस तीनों से अच्छे हैं इसलिए परियोजना निर्माण से लेकर इसके उपयोग तक में यह ध्यान देना होगा कि इससे इन देशों से भारत के संबंध पर किसी तरह की कोई आँच न आये।

आगे की राह

अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा, भारत के लिए न सिर्फ आर्थिक रूप से बल्कि सामरिक रूप से भी अति महत्वपूर्ण है। इसके माध्यम से भारत कई क्षेत्रों में अपना विकास कर सकता है। साथ ही संबंधों को बढ़ाकर अपनी विदेश नीति को और सुदृढ़ कर सकता है। हालाँकि जितना सुनने में यह आसान लगता हैं, उतना है नहीं, क्योंकि इसमें लगभग 14 देश शामिल हैं और इन सबके साथ तालमेल बिठाना एक कठिन कार्य है।

यह योजना लगभग दो दशक पुरानी है। ये बात इस ओर इंगित करती हैं कि इसके विकास में तमाम बाधायें हैं। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि अब ज्यादा समय न लगे इसके लिए त्वरित स्तर पर परियोजना को पूरा किया जाये। यह गलियारा जितनी जल्दी पूरा होगा, भारत को उतना ही फायदा होगा।

इस गलियारे के विकास के लिए आवश्यक है कि भारत इन देशों से अपने पुराने संबंधों की तरह आगे बढ़े और इसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाये। इसके लिए भारत को भी राजनीतिक तौर पर सुदृढ़ निर्णय लेना होगा जिससे कि भारत विकासशील से विकसित राष्ट्र की तरफ आगे बढ़ सके।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित और/अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले समझौते।

■

7. आरटीआई अधिनियम के विस्तार की आवश्यकता का परीक्षण

चर्चा का कारण

केन्द्र सरकार, 'सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005' में बदलाव लाने की तैयारी में है, तो ऐसे में सूचना आयुक्त दिव्य प्रकाश सिन्हा ने कहा है कि जाँच (Investigative), खुफिया (Intelligence) और सुरक्षा (Security) एजेंसियों (यथा- एनआईए, सीबीआई, आईबी और अर्द्धसैनिक बलों) को भी सूचना के अधिकार अधिनियम के दायरे में होना चाहिए, क्योंकि इस अधिनियम की धारा-8 में राष्ट्रीय हितों से संबंधित गोपनीय जानकारियों को संरक्षित रखने के उचित प्रावधान रखे गए हैं।

सूचना आयुक्त दिव्य प्रकाश सिन्हा, पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं और उन्होंने आईबी (इंटेलिजेंस ब्यूरो) में अपना काफी समय व्यतीत किया है। उनका मानना है कि पारदर्शिता (Transparancy) को 'सर्वव्यापी' (All Pervasive) होना चाहिए और आरटीआई अधिनियम पारदर्शिता लाने के साथ-साथ सरकार को जवाबदेह (Accountable) भी बनाता है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

शासन एवं प्रशासन में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने जून, 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम (Right to Information Act) पारित किया। यह अधिनियम, 'कार्यालयी गोपनीयता कानून, 1929' के विरुद्ध लोगों को सूचनाएँ प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता है। 'सूचना के अधिकार' की भावना भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1) में विवक्षित रूप से समाहित है। सूचना का अधिकार अधिनियम पूरे भारत (जम्मू-कश्मीर को छोड़कर) में लागू है।

आरटीआई अधिनियम की विशेषताएँ

- अधिनियम की उद्देशिका के अनुसार यह शासन में पारदर्शिता एवं जवाबदेही की स्थापना करेगा।
- किसी व्यक्ति को बिना कारण बताये हुए किसी सार्वजनिक संस्था से सूचनाएँ प्राप्त करने का अधिकार होगा। सूचना का अर्थ है कि ऐसे संगठनो में रखी जाने वाली जानकारियाँ, फाइल, रिपोर्ट, दस्तावेज, तथ्य इत्यादि।

सूचना (Information): सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना से तात्पर्य ऐसी सामग्री से है जिसके अंतर्गत किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ई-मेल, मत, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉगबुक, संविदा, रिपोर्ट, कागजपत्र, नमूने, मॉडल और आँकड़े संबंधी सामग्री सम्मिलित हों। साथ ही किसी प्राइवेट निकाय से संबंधित ऐसी सूचना भी सम्मिलित है, जिस तक विधि के अधीन किसी लोक प्राधिकारी की पहुँच हो सकती है।

- सूचना माँगने के लिए आवेदन का कोई निश्चित प्रारूप नही है। इस प्रकार मात्र 10 रुपये के न्यूनतम शूल्क पर सूचना माँगी जा सकती है। उल्लेखनीय है कि गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों को यह शूल्क नही देना नही होता है।

सूचना के अधिकार अधिनियम को कार्यान्वित करने के लिए त्रिस्तरीय ढाँचे का निर्माण किया गया है-

1. केन्द्रीय या राज्य सूचना आयोग
2. प्रथम अपीलीय अधिकारी
3. जन सूचना अधिकारी

- सूचनाएँ प्राप्त करने की समयावधि निश्चित की गई है। आवेदन प्राप्ति की तिथि से 30 दिन के भीतर सूचना दी जायेगी। यदि सूचना तृतीय पक्ष से आनी है तो 5 दिन का अतिरिक्त समय दिया जायेगा। जीवन की सुरक्षा से जुड़ी सूचना 48 घंटे के भीतर दी जायेगी।
- द्विस्तरीय अपीलीय व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। प्रथम अपील 30 दिन के भीतर विभाग के प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष करनी होती है, जो अपील का निपटारा 30 दिन में करता है। आवश्यकतानुसार वह 15 दिन का अतिरिक्त समय ले सकता है। दूसरी अपील 90 दिन के भीतर केन्द्रीय सूचना आयोग एवं राज्य सूचना आयोग के समक्ष की जायेगी।
- समय पर सूचना उपलब्ध ना कराने के विरुद्ध दोषी अधिकारियों पर 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से अधिकतम 25000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।

आरटीआई अधिनियम के महत्व

- इसने शासन को पारदर्शी बनाने में योगदान दिया है और लोगो तक सरकार के विषय में जानकारी पहुँचाना सरल बनाया है।
- इसने भ्रष्टाचार पर नियंत्रण लगाया है और लोकसवेकों को अपने दायित्वों के निर्वाह के प्रति संवेदनशील व जवाबदेह बनाया है।
- इसने जनता और शासन के बीच दूरी कम की है तथा शासन में लोगों की भागीदारी को बढ़ावा दिया है।
- इसने समाज के कमजोर वर्गों एवं वचितों को न्याय दिलाने एवं उनके अधिकारों की रक्षा करने में प्रभावी भूमिका निभायी है।
- इसने शासन को औपनिवेशिक लक्षणों से मुक्त करने में एवं दोषों को दूर करने में प्रभावी भूमिका निभायी है।

आरटीआई अधिनियम की सीमाएँ

- अधिनियम की भावना के अनुरूप विभागों ने सूचनाओं को स्वत: अधिक से अधिक प्रकट करने में प्रभावी भूमिका नहीं निभाई, अत: लोगो के लिए विभागों की आवश्यक जानकारी स्वमेव उपलब्ध नहीं है।
- अधनियम में दण्ड का प्रावधान कमजोर है, अत: यह निरंकुश अधिकारियों पर सूचनाओं की उपलब्धता के लिए बाध्यता ओरोपित नहीं करता।
- अधिनियम में आयोग के लिए मामलों को निपटाने की कोई समय सीमा का उल्लेख नहीं किया गया है, जिससे आयोग विलंबकारिता के शिकार हो रहे हैं।
- विगत वर्षों में आरटीआई कार्यकर्त्ताओं की सुरक्षा चुनौतीपूर्ण विषय रहा है। पिछले एक दशक में 5 दर्जन से अधिक कार्यकताओं की हत्या हो चुकी है।
- कार्यालयी गोपनीयता अधिनियम (1929) जैसा विरोधाभाषी कानून अभी भी अस्तित्व में है। जिसके कारण विगत वर्षों में लोक प्राधिकारी (Public Authority) शब्द की व्याख्या संस्थाओं ने मनमाने ढंग से की है। इस प्रकार, इस अधिनियम के दायरे में आने से बचने की प्रवृति रही है।
- लोगों की पर्याप्त जागरूकता के अभाव ने इसके महत्व को सीमित किया है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-8

इस धारा में कुछ अपवादित क्षेत्र वर्णित किये गए हैं, जिनसे संबंधित सूचनायें नहीं प्राप्त की जा सकती हैं-

- भारत की प्रभुता और अखण्डता
- राष्ट्र की सुरक्षा
- आर्थिक स्थायित्व
- वैज्ञानिक शोध
- वैदेशिक संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव
- ऐसी सूचना, जिसके प्रकटन को न्यायालय द्वारा निषिद्ध किया गया हो

- बौद्धिक सम्पदा
- व्यापार गोपनीयता
- किसी विदेशी सरकार से प्राप्त सूचना
- जिससे अपराधियों के अन्वेषण या अभियोजन की प्रक्रिया में अड़चन पैदा हो।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-24

इस धारा में उन संगठनों को रखा गया है, जिन्हें आरटीआई अधिनियम से छूट प्रदान की गई है। प्रारम्भ में आरटीआई अधिनियम की धारा-24 में सीबीआई (केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो) को नहीं रखा गया था, अर्थात् यह छूट प्राप्त संगठन नहीं था क्योंकि सीबीआई को ऐसा संगठन नहीं माना जाता था, जो रणनीतिक महत्त्व की जानकारी रखता हो। बाद में सन् 2012 में सरकार ने सीबीआई को भी धारा-24 के अन्तर्गत स्थापित कर दिया।

धारा-24 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित इंटेलीजेंस और सुरक्षा संगठन

- इंटेलीजेंस ब्यूरो
- कैबिनेट सचिवालय की अनुसंधान और विश्लेषण विंग
- राजस्व इंटेलीजेंस ब्यूरो
- केन्द्रीय आर्थिक इंटेलीजेंस ब्यूरो
- प्रर्वतन निदेशालय
- नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो
- एविएशन रिसर्च सेंटर
- विशेष सीमांत (Frontier) बल
- सीमा सुरक्षा बल (BSF)
- केन्द्रीय आरक्षित पुलिस बल (CRPF)
- इंडो-तिब्बत सीमा बल
- केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF)
- राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG)
- असम राइफल्स
- स्पेशल सर्विस ब्यूरो
- विशेष शाखा (सीआईडी), अंडमान और निकोबार
- अपराध शाखा-सीआईडी-सीबी, दादर और नगर हवेली
- स्पेशल ब्रान्च, लक्षद्वीप पुलिस
- केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई)
- राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (NIA)

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-4

इस धारा में 'लोक प्राधिकारियों' (Public Authorities) की बाध्यताओं को बताया गया है। जैसे, प्रत्येक लोक प्राधिकारी अपने सभी अभिलेखों को उचित रीतियों (यथा-कम्प्यूटरीकरण) के माध्यम से सहेजकर रखेगा ताकि इस अधिनियम के अधीन रहते हुए जनता को समय पर विश्वसनीय सूचना उपलब्ध कराई जा सके।

जाँच, खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों को आरटीआई अधिनियम के तहत क्यों आना चाहिए?

पक्ष में तर्क

- जाँच एजेंसियों का कार्य दो तरह का होता है-
  - जाँच का कार्य
  - प्रशासनिक कार्य
- जाँच एजेंसियों को अपनी जाँच से संबंधित सूचना न देने का प्रावधान आरटीआई अधिनियम की 'धारा-8' में मौजूद है, किन्तु इनके प्रशासनिक कार्य से संबंधित सूचनाओं को जनता के लिए खोल देना चाहिए, क्योंकि इससे न ही राष्ट्र की एकता, सुरक्षा व सम्प्रभुता खतरे में पड़ती है और न ही किसी व्यक्ति की गोपनीय जानकारी सामने आती है।
- किसी भी संगठन में यदि भ्रष्टाचार व महिलाओं के उत्पीड़न जैसे गम्भीर अपराधों के आरोप लगते हैं तो वह इस संबंध में सूचना देने से यह कहकर इंकार नहीं कर सकता है कि वह आरटीआई अधिनियम की धारा 24 के अन्तर्गत आता है।
- हाँलाकि धारा 24 में गम्भीर अपराधों में सूचना उपलब्ध कराने का प्रावधान उपबन्धित है, लेकिन हमें देखना होगा कि ऐसी सूचनाएँ व्यवहार में कितनी प्राप्त की गयीं। कानून की अधिक जटिलता भी सूचनाओं के सम्प्रेषण में बाधा उत्पन्न करती है। अत: उचित रीति से संशोधन के द्वारा आरटीआई अधिनियम में इन एजेंसियों को शामिल किया जाये और यह भी देखा जाये कि कानून जटिल न बनने पाये।
- इस अधिनियम के तहत कुछ गोपनीय व महत्वपूर्ण जानकारी को छोड़कर, अधिकतर सूचनाओं को पब्लिक डोमेन में उपलब्ध कराना आवश्यक है। जैसे किसी कर्मचारी का यदि ट्रांसफर कर दिया गया है तो उसे ट्रांसफर के कारण को जानने का अधिकार है।
- स्वतंत्रता के पहले एक शोषणकारी सरकार का शासन था और उसने अपने शोषण को जनता से छिपाने के लिए 1929 में 'कार्यालयी गोपनीयता कानून' बनाया था, किन्तु स्वतंत्रता के बाद कल्याणकारी एवं लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना हुई और लोकतंत्र के मौलिक व आधारभूत गुण 'पारदर्शिता व जवाबदेही' हैं। अत: सरकार को लगभग सभी संस्थाओं को युक्ति-युक्त प्रतिबंधों के साथ 'सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005' के तहत लाना चाहिए।
- दुनिया अब बहुत तेजी से बदल रही है, यहाँ हर मिनट डेटा उत्पन्न हो रहा है और इस उत्पन्न डेटा को सार्वजनिक से लेकर निजी कम्पनियाँ एकत्र करने में संलिप्त हैं। कुल मिलाकर हम डेटा की दुनिया में जी रहे हैं। कहा जा रहा है कि जिस देश, संस्था या व्यक्ति की डेटा पर पकड़ होगी, वही सफलता के मायने गढ़ पायेगा। इस प्रकार, उपलब्ध कराने योग्य डेटा के संबंध में सरकार द्वारा गोपनीयता बरतना उचित प्रतीत नहीं होता है। भारत सरकार को भी दुनिया के अन्य देशों की तरह अपने नागरिकों की ज्यादा से ज्यादा डेटा तक पहुँच सुनिश्चित करके सशक्तीकरण करना चाहिए।

विपक्ष में तर्क

- यदि सभी प्रकार की सूचनाओं के लिए दरवाजे खोल दिये गए, तो राष्ट्र की एकता, सम्प्रभुता व सुरक्षा सहित अन्य महत्वपूर्ण व गोपनीय जानकारियाँ खतरे में पड़ सकती हैं।
- सीबीआई जैसी अन्वेषण संस्थाओं से आरटीआई के माध्यम से किसी खास मामले से संबंधित जानकारियों को आरोपी द्वारा भी एकत्रित किया जा सकता है, जिनका वह दुरूपयोग न्यायालय में फैसले को अपने पक्ष में मोड़ने हेतु कर सकता है।
- कभी-कभी आम सूचना और गोपनीय सूचना के मध्य बहुत महीन अंतर होता है, जिससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। अत: इस तरह की स्थिति में महत्वपूर्ण जानकारी का पब्लिक डोमेन में आने का खतरा उत्पन्न हो जाता है।
- इस समय देश की कई बड़ी-बड़ी संस्थाओं (यथा- सीबीआई) में आन्तरिक उथल-पुथल चल रही है, अत: ऐसे में सरकार को इन संस्थाओं से संबंधित किसी बड़े निर्णय को लेने से बचना चाहिए।

आगे की राह

किसी भी राष्ट्र और उसके नागरिकों के हित

अगल-अलग नहीं हो सकते हैं क्योंकि नागरिकों के द्वारा ही राष्ट्र या देश का निर्माण होता है और दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं। अतः आरटीआई को इस प्रकार लागू करना होगा कि राष्ट्र और उसके नागरिकों के हित एक साथ सध सकें।

सूचना का अधिकार जैसे अधिनियम, सरकार और जनता के बीच दूरी को कम करके साथ-साथ टकराव की सम्भावना को भी सीमित करते हैं, ऐसे में सरकार को इस अधिनियम के सशक्तीकरण को बढ़ावा देना चाहिए न कि इसकी धार को कुंद करने का प्रयास करना चाहिए।

आईबी, एनआईए और सीबीआई जैसे एजेंसियाँ राष्ट्र की सुरक्षा व भावी रणनीतियों से संबंधित जानकारी रखती हैं तो ऐसे में आरटीआई के तहत इन संस्थाओं की कितनी सूचनायें और किस तरह की सूचनायें पब्लिक डोमेन में आयें, इसके लिए सरकार को काफी सोंच-समझकर स्पष्ट नियमों को बनाने की जरूरत है।

अंत में, आरटीआई अधिनियम की धारा 4 को ज्यादा से ज्यादा सशक्त करने की आवश्यकता है व इस धारा के तहत अधिक से अधिक जानकारियों को इन्टरनेट जैसी आधुनिक तकनीकों के माध्यम से पब्लिक डोमेन में उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- शासन व्यवस्था, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष, ई-गवर्नेंस -अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएं, सीमाएं और संभावनाएं, नागरिक घोषणा-पत्र, पारदर्शिता एवं जवाबदेही और संस्थागत तथा अन्य उपाय।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

- विभिन्न सुरक्षा बल और संस्थाएं तथा उनके अधिदेश।

■

सात विषयनिष्ठ प्रश्न और उनके मॉडल उत्तर

न्यायाधीशों की कमीः एक अनवरत चुनौती

प्र. न्यायिक नियुक्तियों में देरी से न्यायिक व्यवस्था किस प्रकार के दुष्चक्र में फँस जाती है? इस दुष्चक्र का समाज व अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों का उल्लेख करें तथा इससे निकलने के लिए उपायों को भी सुझाएँ।

उत्तरः

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- परिचय
- न्यायिक नियुक्तियों में देरी के कारण
- प्रभाव
- आगे की राह

चर्चा का कारण

- हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने निचली अदालतों (अधीनस्थ न्यायालयों) में न्यायिक अधिकारियों की भर्ती प्रक्रिया की सुस्ती पर गहरी नाराजगी जताई है। न्यायिक अधिकारियों के पाँच हजार से ज्यादा पद रिक्त हैं। अदालत ने देश के सभी 24 उच्च न्यायालयों और सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से न्यायिक अधिकारियों के रिक्त पदों की जानकारी और उन्हें भरने की समय सीमा की जानकारी देने को कहा है।

परिचय

- भारतीय शासन प्रणाली का तीसरा आधार स्तम्भ न्यायपालिका है। भारत की शासन प्रणाली संघीय है किन्तु न्यायपालिका (Judiciary) एकीकृत (Integrated) है। इसका तात्पर्य है कि पूरे देश के लिए एक सर्वोच्च न्यायालय है। केन्द्र और राज्यों के लिए पृथक-पृथक न्यायिक व्यवस्था नहीं हैं हालाँकि प्रत्येक राज्यों के लिए अलग-अलग स्तर पर अलग-अलग न्यायालय हैं। विभिन्न तरह की अदालतें देश में कई स्तर की न्यायपालिका बनाती हैं। भारत की शीर्ष अदालत नई दिल्ली स्थित सर्वोच्च न्यायालय है और उसके नीचे विभिन्न राज्यों में उच्च न्यायालय हैं। उच्च न्यायालय के नीचे जिला अदालतें और उसकी अधीनस्थ अदालतें हैं जिन्हें निचली अदालत कहा जाता है।

न्यायिक नियुक्तियों में देरी के कारण

- **अगंभीरता (Non-seriousness):** अधीनस्थ न्यायालयों में नियुक्तियों को लेकर कमोवेश रूप से सभी राज्य उदासीन रहते हैं। उनका भर्ती के विज्ञापन से लेकर नियुक्ति तक का भर्ती चक्र (Recruitment Cycle) काफी लम्बा होता है (सामान्यत: 2 से 4 वर्ष तक का)। राज्यों के द्वारा 'भर्ती चक्र' के प्रति उदासीनता की झलक सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय में भी देखने को मिलती है।
- **संसाधन (Resources):** अधीनस्थ न्यायालयों के जजों की जब नियुक्ति होती है तो उनकी सहायता व सुविधा हेतु विभिन्न संसाधनों की आवश्यकता होती है। यथा- स्थान, सहायतार्थ हेतु कर्मचारी और वित्त (वेतन आदि के लिए) इत्यादि। राज्य इन संसाधनों को जुटाने से बचने के लिए, जजों की भर्ती प्रणाली या भर्ती चक्र को लम्बा खींचते हैं।

प्रभाव

- न्यायिक नियुक्तियों में देरी (खासकर अधीनस्थ न्यायालयों में) से सीधे आम आदमी प्रभावित होता है, क्योंकि न्यायिक नियुक्तियों में देरी से जजों की अनुपलब्धता बढ़ जाती है जो सीधे तौर पर मुकदमों के निपटान पर असर डालती है। यदि आवश्यकतानुरूप जज और संबंधित न्यायिक आधारभूत संरचना नहीं होगा तो न्यायालय में आने वाले मुकदमों के निपटान में देरी आती है और इनका न्यायालय में एक भारी बैकलॉग (संग्रह) हो जाता है। यह बैकलॉग न सिर्फ कानून के शासन को लागू करने को प्रभावित करता है बल्कि अर्थव्यवस्था में भी रुग्णता लाता है। क्योंकि मुकदमों में तारीख पर तारीख मिलने से आम आदमी और न्यायालय दोनों का अमूल्य समय व्यर्थ होता है जो अर्थव्यवस्था को बढ़ाने वाली दूसरी गतिविधियों में उपयोग हो सकता था।
- इसके अलावा, लम्बी खिंचने वाली न्यायिक प्रक्रिया से आम आदमी हताश होता है और देश में एक अजीब-सा अनिश्चितता का माहौल जन्म लेता है। यह अनिश्चितता हर प्रकार की रुग्णता को जन्म देती है, जो फिर से न्यायिक नियुक्तियों में देरी के लिए जिम्मेदार बन जाती है। इससे देश की न्यायिक व्यवस्था एक दुष्चक्र में फँस जाती है, जिसका अन्तिम रूप से आम आदमी को ही नुकसान होता है तथा न्याय व्यवस्था पर लोगों का विश्वास कम होता है।

आगे की राह

- न्यायिक नियुक्ति में देरी मुकदमों का बैकलॉग तैयार करती है जिसका सबसे अधिक प्रभाव समाज के नि:शक्त, पिछड़े एवं हाशिए पर स्थित वर्गों पर पड़ता है। अत: सरकार के तीनों अंगों (विधायिका, न्यायपालिका एवं कार्यपालिका) को न्यायिक व्यवस्था के सशक्तिकरण हेतु मिलकर कार्य करना होगा। सरकार को न्यायिक नियुक्तियों से लेकर उसके आधारभूत संरचना को विकसित करने हेतु एक सुव्यवस्थित नीति का निर्माण करना होगा, ताकि जनता का 'कानून के शासन' (Rule of Law) पर भरोसा कायम हो सके। ■

खुले में शौच की समस्याः आचरण में बदलाव की आवश्यकता

प्र. विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, भारत ने स्वच्छता के क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। स्वच्छता को लेकर भारत

सरकार द्वारा चलाये गए कार्यक्रमों की उपलब्धियों की समीक्षा कीजिए।

उत्तरः

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- ओपन डेफिकेशन क्या है?
- ओपन डेफिकेशन के कारण
- वर्तमान परिदृश्य
- ओपन डेफिकेशन और भारत
- चुनौतियाँ
- आगे की राह

चर्चा का कारण

- हाल ही में विश्व शौचालय दिवस (World Toilet Day) 19 नवंबर, 2018 को मनाया गया।
- 'विश्व शौचालय दिवस', वैश्विक स्वच्छता संकट से निपटने हेतु प्रेरित करने वाला एक महत्वपूर्ण दिवस है। वर्ष 2018 के लिए विश्व शौचालय दिवस का विषय 'व्हेन नेचर कॉल्स (When Nature Calls)' है।

ओपन डेफिकेशन क्या है?

- यूनिसेफ के अनुसार, खुले में शौच, इस अभ्यास को संदर्भित करती है कि लोग शौचालय का उपयोग करने के बजाय खेतों, झाड़ियों, जंगलों, पानी के खुले निकायों/स्रोतों या अन्य खुली जगहों का उपयोग करते हैं।

ओडीएफ के कारण

- शौचालयों की उपलब्धता तो बढ़ी हैं लेकिन लोगों की मानसिकता आज भी नहीं बदली है। जैसे कुछ लोगों का मानना है कि घर के अन्दर शौचालय की उपस्थिति से घर अशुभ हो जाता है।
- सार्वजनिक शौचालय उपलब्ध हैं लेकिन गहरे, गंदे या अवांछित स्थिति में हैं (रखरखाव की कमी के कारण)।

वर्तमान परिदृश्य

- यूनिसेफ के अनुसार, ग्रामीण इलाकों में रहने वाले हर 10 में से 9 लोग खुले में शौच का प्रयोग करते हैं।
- डब्ल्यूएचओ के मुताबिक, शौच की समस्या से निपटने में करीब 90 देशों की प्रगति बेहद धीमी है, जबकि भारत इस चुनौती से निपटने के लिए अपने कदम तेजी से बढ़ा रहा है।

ओपेन डेफिकेशन और भारत

- **स्वच्छ भारत अभियानः** भारत को स्वच्छ बनाने के लक्ष्य के साथ नई दिल्ली के राजघाट पर 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस अभियान की शुरूआत की गयी।

चुनौतियाँ

- ओडीएफ की उपलब्धियों के बाद भी लोगों की आदतों, मानसिकता तथा मनोवृत्ति में स्थाई बदलाव का नहीं आना।
- पारदर्शिता की कमी अर्थात घटिया किस्म के शौचालयों का निर्माण धड़ल्ले से किया जा रहा है।

आगे की राह

- स्वास्थ्य मंत्रालय को सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिये स्वच्छता योजना में अधिक निवेश करना चाहिये और साथ ही समन्वयक की भूमिका निभानी चाहिये।
- स्वच्छता की योजनाओं को नियमित रूप से स्थानीय सरकार की अगुवाई में लागू करना चाहिए। कई बार देखा गया है कि अपशिष्ट पदार्थों को पुनः संयोजित करने और स्थायित्व सुनिश्चित करने में भी काफी दिक्कतें होती हैं। इस पर लगने वाली लागत कम करनी चाहिए। ■

विश्व बाल दिवस और बाल अधिकार संरक्षण

प्र. हाल ही में यूनिसेफ द्वारा बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए "गो ब्लू अभियान" चलाया जा रहा है। इस अभियान के संदर्भ में भारत में बाल अधिकार संरक्षण में आने वाली चुनौतियों का उल्लेख करते हुए सरकार द्वारा बाल अधिकार संरक्षण के लिए उठाये गए कदमों की चर्चा करें।

उत्तरः

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- क्या है बाल अधिकार?
- बाल अधिकार की आवश्कता?
- क्या कहते हैं आंकड़े?
- भारत में बाल अधिकार और संवैधानिक प्रावधान
- सरकारी प्रयास
- चुनौतियाँ
- आगे की राह

चर्चा का कारण

- हाल ही में 20 नवंबर, 2018 को पूरी दुनिया में बाल अधिकार दिवस मनाया गया।
- इस वर्ष विश्व के सभी बच्चों की शिक्षा के लिए यूनिसेफ ने इसे अपनी थीम "ब्लू डे" रखा है। यूनिसेफ दुनियाभर में "गो ब्लू अभियान" चला रहा है।

क्या है बाल अधिकार?

- संयुक्त राष्ट्र की आम सभा के अनुसार वयस्कों से अलग बच्चों के अधिकारों को बाल अधिकार कहा जाता है। बाल अधिकार के तहत जीवन का अधिकार, पहचान, भोजन, पोषण और स्वास्थ्य, विकास, शिक्षा और मनोरंजन, नाम और राष्ट्रीयता, परिवार और पारिवारिक पर्यावरण, उपेक्षा से सुरक्षा, बदसलूकी, दुर्व्यवहार, बच्चों का गैर-कानूनी व्यापार आदि शामिल है।

बाल अधिकार की आवश्कता?

- इस दिन का गठन ही बाल अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हुआ था।
- यह आवश्यक है कि बच्चे अपने अधिकारों के विषय में जाने ताकि

अपने साथ किसी तरह के भेदभाव या अत्याचार होने पर वह इसके खिलाफ आवाज उठा सकें।

क्या कहते हैं आंकड़े?

- नीती आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध डेटा बताता है कि भारत में शिशु मृत्यु दर प्रति हजार पर 34 के करीब है। जबकि पांच साल से कम उम्र के बच्चों में यह आंकड़ा देखा देखा जाए तो यह प्रति हजार पर 39 है।
- विश्व में 6.1 करोड़ बच्चे अब भी प्राथमिक शिक्षा से दूर हैं इन बच्चों में 3.2 करोड़ लडकियां शामिल हैं। प्रत्येक 05 में से 01 बच्चा स्कूली शिक्षा पूरी नहीं कर पाता है।

भारत में बाल अधिकार और संवैधानिक प्रावधान

- अनुच्छेद 21- जीवन का अधिकार: अनुच्छेद 21ए- (आरटीई) राज्य स्वयं के कानूनों के अनुसार निर्दिष्ट तरीकों द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा।
- अनुच्छेद 45-आरंभिक बाल्यावस्था में देख-भाल तथा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा के लिए प्रावधान।

सरकारी प्रयास

- पोषण के लिए मिड-डे मिल योजना (MDM)।
- देश में 6 से 14 वर्ष के हर बच्चे को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षा आधिकार अधिनियम 2009 बनाया गया है। यह पूरे देश में अप्रैल 2010 से लागू किया गया है।
- पॉक्सो यानि प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस।

चुनौतियाँ

- गरीबी, भ्रष्टाचार, शिक्षा की कमी, जागरूकता की कमी, बजट की कमी, बुनियादी सुविधाओं का अभाव, पहचान की कमी आदि।

आगे की राह

- बाल अधिकारों को मजबूत करने के लिये समाज को लगातार इस पर कार्य करना होगा।
- 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की जिम्मेदारी के लिये उनके माता-पिता को जागरुक करने की आवश्यकता है। ■

विश्व मलेरिया रिपोर्ट-2018 और भारत

प्र. भारत में 'सभी के लिए स्वास्थ्य' (Health for All) को प्राप्त करने के लिए मलेरिया जैसी मच्छरजनित बीमारी से निपटना एक पूर्वापेक्षा (Prerequisite) है। व्याख्या कीजिए।

उत्तर:

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- मलेरिया के प्रमुख कारण
- प्रभाव
- उपाय
- आगे की राह

चर्चा का कारण

- हाल ही में 'विश्व स्वास्थ्य संगठन' (WHO) ने मलेरिया पर वैश्विक रिपोर्ट (2018) को जारी किया है, जिसके मुताबिक भारत में 2016 की तुलना में 2017 में मलेरिया के मामलों में तकरीबन तीस लाख यानि 24 फीसद की कमी आई है। इसके अतिरिक्त, पिछले साल (2017 में) इस बीमारी से होने वाली मौतों में भी उल्लेखनीय रूप से कमी आयी है। मलेरिया से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की सूची में शामिल भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर मच्छरजनित इस बीमारी के मामले घटे हैं।

मलेरिया के प्रमुख कारक

- मलेरिया मच्छर की प्राथमिक पोषक मादा एनोफिलीज मच्छर होती है। ये मच्छर गंदे व ठहरे पानी में अपना विकास करते हैं, इसलिए मलेरिया से संबंधित अधिकतर मामले भूमध्यरेखा के आस-पास अधिक देखने को मिलते हैं। भूमध्यरेखा के दोनों तरफ भारी वर्षा होती है और यदि स्वच्छता की उचित व्यवस्था न हुई तो मलेरिया वृहद स्तर पर फैल जाती है। यही कारण है कि पिछड़े व गरीब देशों में इस बीमारी ने खूब पैर पसारे हैं।

प्रभाव

- लोग गरीबी के दलदल में फँस जाते हैं अर्थात् वह गरीबी के दुष्चक्र में फँस जाते हैं।
- गरीब मनुष्य अपने आप को समाज में उपेक्षित महसूस करता है।
- लोग पलायन करने के लिए मजबूर हो जाते हैं।

उपाय

- मच्छरों को पनपने से रोकना चाहिए। इसके लिए अपने आसपास सफाई का ध्यान रखना चाहिए।
- मच्छर ठहरे हुए पानी में पनपते हैं इसलिए बारिश के पहले ही नालियों की सफाई की जानी चाहिए।
- अगर जल निकास संभव न हो तो कीटनाशक का प्रयोग करना चाहिए।

आगे की राह

- भारत सरकार को मलेरिया से निपटने हेतु 'एकीकृत दृष्टिकोण' (Integrated Approach) अपनाने की जरूरत है। भारत सरकार को अपनी स्वास्थ्य नीति में प्राथमिकताओं को तय करना होगा और इसके प्रावधानों को व्यावहारिक धरातल में उतारने हेतु कार्यक्रमों को उचित ढंग से क्रियान्वित भी करना होगा। ■

भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच बढ़ती रणनीतिक सहभागिता

प्र. हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने ऑस्ट्रेलिया की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा संपन्न की। इस दौरान भारत तथा ऑस्ट्रेलिया के मध्य पांच महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर संपन्न हुए। इस संदर्भ में भारत-ऑस्ट्रेलिया संबंधों की समीक्षा कीजिए।

उत्तर:

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- पृष्ठभूमि
- वर्तमान परिदृश्य
- भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों की आवश्यकता
- चुनौतियाँ
- आगे की राह

चर्चा का कारण

- हाल ही में भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविन्द ने ऑस्ट्रेलिया की अपनी आधिकारिक यात्रा संपन्न की।
- भारत और ऑस्ट्रेलिया ने 22 नवंबर 2018 को एग्रीकल्चरल रिसर्च (कृषि शोध) और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग और निवेश बढ़ाने के लिए पाँच समझौतों पर हस्ताक्षर किए।

पृष्ठभूमि

- बदलते वैश्विक परिदृश्य में भारत को ऑस्ट्रेलिया एक उभरती आर्थिक शक्ति तथा बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में देखता है।
- भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच 7वां आर्थिक नीति वार्तालाप 16-18 जुलाई, 2017 को ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा में संपन्न हुआ था।

वर्तमान परिदृश्य

- आस्ट्रेड और इंवेस्ट इंडिया के समझौते के तहत दोनों देश खाद्य साझेदारी करेंगे जिससे कृषि-प्रौद्योगिकी और सेवा के क्षेत्र में नए अवसर खुलेंगे।
- पांच समझौतों में अंतिम समझौता इंद्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (दिल्ली) और क्वींसलैंड प्रौद्योगिकी विश्व विद्यालय (ब्रिसबेन) के बीच संयुक्त पीएचडी के लिए हुआ है।

भारत-ऑस्ट्रेलिया संबंधों की आवश्यकता

- ऑस्ट्रेलिया ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक है और भारत टेक्सटाइल के क्षेत्र में अग्रणी उत्पादक है, अगर ऑस्ट्रेलिया से उच्च गुणवत्ता वाला ऊन आयात किया जाता है तो भारत में टेक्सटाइल उद्योग को बढ़ावा मिल सकता है।
- मार्च, 2017 के अंत तक भारतीय पर्यटकों की संख्या ऑस्ट्रेलिया में 274,500 थी जो पिछले वर्ष के मुकाबले 15.3 प्रतिशत अधिक है।

चुनौतियाँ

- दोनों देशों के मध्य 'व्यापक आर्थिक साझेदारी करार' (CECA) जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अभी तक समझौता न हो पाना।
- भारत का ऑस्ट्रेलिया के साथ व्यापार अन्य देशों की तुलना में कम है।

आगे की राह

- दोनों देशों के मध्य लंबित 'व्यापक आर्थिक साझेदारी करार' को जल्द से जल्द लागू किया जाना चाहिए, जिससे कि इन दोनों देशों के ऊर्जा संसाधनों के दोहन के साथ-साथ व्यापार को नई दिशा मिल सके।
- भारतीय राजनेताओं को भी सीमित अंतराल के बाद ऑस्ट्रेलिया की यात्रा करने की आवश्यकता है जिससे की दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा व ऊर्जा मिल सके। ■

आईएनएसटीसीः मध्य एशिया तथा यूरेशिया का मार्ग

प्र. हाल ही में भारत, रूस और ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण गलियारे के निर्माण को लेकर बैठक की है। इस गलियारे से भारत को आर्थिक व सामरिक क्षेत्र में मिलने वाले लाभों की चर्चा करें।

उत्तरः

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- परिचय
- उद्देश्य
- लाभ
- चुनौतियाँ
- आगे की राह

चर्चा का कारण

- हाल ही में भारत, रूस और ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण गलियारे के निर्माण को लेकर बैठक की है।
- इस गलियारे के शुरू होने से रूस, ईरान, मध्य एशिया, भारत और यूरोप के बीच व्यापार को बढ़ावा मिलेगा।

परिचय

- 'इंटरनेशनल नॉर्थ साऊथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर' (आईएनएसटीसी) अर्थात् 'अंतर्राष्ट्रीय उत्तर- दक्षिण परिवहन गलियारा', एक बहुविध परिवहन परियोजना है जिसके निर्माण को लेकर 12 सितम्बर, 2000 में सैंट पीटर्सबर्ग में इन तीन देशों की बैठक हुई थी।
- इस गलियारे की लंबाई 7200 किलोमीटर है। इसकी सहायता से बड़े शहरों जैसे-मुम्बई, मॉस्को, तेहरान, बाकू, बन्दर अब्बास, बन्दर अंजोल आदि के बीच व्यापार बढ़ सकेगा।
- इस गलियारे में हाल ही में ग्यारह और देश सदस्य के रूप में शामिल हुए हैं। इनमें अजरबैजान, अर्मेनिया, तजाकिस्तान, टर्की, यूक्रेन, बेलारूस, ओमान, सीरिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और बुल्गारिया शामिल हुए हैं।

उद्देश्यः

- इस परिवहन व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य व्यापार के लिए कम समय लगने वाले रास्ते की खोज तथा परिवहन खर्च को कम करना है।
- इसकी सहायता से आम तौर पर होने वाले व्यापार खर्च में कम से कम 30 प्रतिशत की कमी आएगी। इसके साथ ही रास्ते में लगने वाले समय में 40% की बचत होगी।

लाभ

- रूस, मध्य एशिया, ईरान एवं भारत के मध्य जुड़ाव में सुधार होने से इस क्षेत्र में द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि होगी।

- सुरक्षा के माध्यम से भी आईएनएसटीसी (INSTC) का महत्व अधिक है। इस गलियारे के माध्यम से भारत का व्यापार यूरोप तक सुरक्षित हो सकता है।
- खाड़ी देशों की निर्भरता जो चीन के ऊपर बढ़ती जा रही है इससे इन देशों को व्यापार असंतुलन का सामना करना पड़ता है। इस समस्या से निजात मिलेगा।
- इस गलियारे के निर्माण से भारत की पाकिस्तान पर से निर्भरता कम होगी क्योंकि खाड़ी देशों से जुड़ने के लिए भारत, पाकिस्तानी रास्ते का इस्तेमाल करता है।
- सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस का इन देशों से जुड़ाव कम रहा है। अत: रूस इस गलियारे का इस्तेमाल कर इन देशों से फिर से जुड़ सकता है और अपने व्यापार को बढ़ा सकता है।
- चीन के साथ भारत का व्यापार तथा सामरिक क्षेत्र में विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है, ऐसे में चीन के मुकाबले के लिए यह गलियारा अति आवश्यक है।
- आईएनएसटीसी (INSTC), ओबीओआर (OBOR) का एक एक बेहतर विकल्प हो सकता है।
- खाड़ी देशों के पास अकूत प्राकृतिक संपदा है लेकिन फिर भी वे विकास में पीछे हैं। इस परियोजना से वे इन बड़े देशों से जुड़ सकेंगे और विकास कर सकेंगे।
- ईरान के लिए भी यह परियोजना आर्थिक व सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है।

चुनौतियाँ

- आईएनएसटीसी (INSTC) को अभी तक किसी संस्थागत ढांचा का रूप नहीं दिया गया है जो भविष्य में ऑपरेशनल मुद्दों के समाधान के लिए अति-आवश्यक शर्त है।
- निर्बाध परिवहन हेतु सुरक्षा का वातावरण निर्मित करना आवश्यक है, परंतु मध्य-पूर्व में आतंकवाद इसके लिए एक बड़ी सुरक्षा चुनौती है।
- सदस्य राष्ट्रों के मध्य 'साझा सीमा प्रवेश नियमों' से संबंधित समस्यायें, जिस पर किसी स्पष्ट क्रियाविधि तैयार करना अभी बाकी है।

आगे की राह

- अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा भारत के लिए न सिर्फ आर्थिक बल्कि सामरिक रूप से भी अति महत्वपूर्ण है इसलिए भारत को चाहिए कि वह इन देशों के साथ मिलकर इसको जल्द से जल्द पूर्ण करें।
- चीन की बढ़ती साम्राज्यवादी सोच को देखते हुए भारत खाड़ी देशों को बेहतर मंच प्रदान कर सकता है। इस परियोजना से इस क्षेत्र में व्यापार प्रगति और शांति बहाली, दोनों कार्य पूर्ण होंगे। ■

आरटीआई अधिनियम के विस्तार की आवश्यकता का परीक्षण

प्र. आप यह क्यों सोंचते हैं कि सीबीआई, एनआईए, आईबी और विभिन्न अर्द्धसैनिक बल देश की सुरक्षा के लिए उपयोगी माने जाते हैं? इन एजेंसियों को आरटीआई अधिनियम (2005) के अन्तर्गत रखना कितना तर्कसंगत है? समीक्षा कीजिए।

उत्तर:

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
- आरटीआई अधिनियम की विशेषताएँ
- जाँच, खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों को आरटीआई अधिनियम के तहत लाने के लिए पक्ष और विपक्ष में तर्क
- आगे की राह

चर्चा का कारण

- केन्द्र सरकार, 'सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005' में बदलाव लाने की तैयारी में है, तो ऐसे में सूचना आयुक्त दिव्य प्रकाश सिन्हा ने कहा है कि जाँच (Investigative), खुफिया (Intelligence) और सुरक्षा (Security) एजेंसियों (यथा- एनआईए, सीबीआई, आईबी और अर्द्धसैनिक बलों) को भी सूचना के अधिकार अधिनियम के दायरे में होना चाहिए, क्योंकि इस अधिनियम की धारा-8 में राष्ट्रीय हितों से संबंधित गोपनीय जानकारियों को संरक्षित रखने के उचित प्रावधान रखे गए हैं।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

- शासन एवं प्रशासन में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने जून, 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम (Right to Information Act) पारित किया। यह अधिनियम, 'कार्यालयी गोपनीयता कानून, 1929' के विरुद्ध लोगों को सूचनाएँ प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता है। 'सूचना के अधिकार' की भावना भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1) में विवक्षित रूप से समाहित है। सूचना का अधिकार अधिनियम पूरे भारत (जम्मू-कश्मीर को छोड़कर) में लागू है।

आरटीआई अधिनियम की विशेषताएँ

- अधिनियम की उद्देशिका के अनुसार यह शासन में पारदर्शिता एवं जवाबदेही की स्थापना करेगा।
- किसी व्यक्ति को बिना कारण बताये हुए किसी सार्वजनिक संस्था से सूचनाएँ प्राप्त करने का अधिकार होगा। सूचना का अर्थ है कि ऐसे संगठनो में रखी जाने वाली जानकारियाँ, फाइल, रिपोर्ट, दस्तावेज, तथ्य इत्यादि।

जाँच, खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों को आरटीआई अधिनियम के तहत लाने के लिए पक्ष और विपक्ष में तर्क

पक्ष में तर्क

- जाँच एजेंसियों को अपनी जाँच से संबंधित सूचना न देने का प्रावधान आरटीआई अधिनियम की 'धारा-8' में मौजूद है, किन्तु इनके प्रशासनिक कार्य से संबंधित सूचनाओं को जनता के लिए खोल देना चाहिए, क्योंकि इससे न ही राष्ट्र की एकता, सुरक्षा व सम्प्रभुता खतरे में पड़ती है और न ही किसी व्यक्ति की गोपनीय जानकारी सामने आती है।
- किसी भी संगठन में यदि भ्रष्टाचार व महिलाओं के उत्पीड़न जैसे गम्भीर

अपराधों के आरोप लगते हैं तो वह इस संबंध में सूचना देने से यह कहकर इंकार नहीं कर सकता है कि वह आरटीआई अधिनियम की धारा 24 के अन्तर्गत आता है।

विपक्ष में तर्क

- यदि सभी प्रकार की सूचनाओं के लिए दरवाजे खोल दिये गए, तो राष्ट्र की एकता, सम्प्रभुता व सुरक्षा सहित अन्य महत्वपूर्ण व गोपनीय जानकारियाँ खतरे में पड़ सकती हैं।
- सीबीआई जैसी अन्वेषण संस्थाओं से आरटीआई के माध्यम से किसी खास मामले से संबंधित जानकारियों को आरोपी द्वारा भी एकत्रित किया जा सकता है, जिनका वह दुरूपयोग न्यायालय में फैसले को अपने पक्ष में मोड़ने हेतु कर सकता है।

आगे की राह

- किसी भी राष्ट्र और उसके नागरिकों के हित अगल-अलग नहीं हो सकते हैं क्योंकि नागरिकों के द्वारा ही राष्ट्र या देश का निर्माण होता है और दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं। अतः आरटीआई को इस प्रकार लागू करना होगा कि राष्ट्र और उसके नागरिकों के हित एक साथ सध सकें।
- सूचना का अधिकार जैसे अधिनियम, सरकार और जनता के बीच दूरी को कम करके साथ-साथ टकराव की सम्भावना को भी सीमित करते हैं, ऐसे में सरकार को इस अधिनियम के सशक्तीकरण को बढ़ावा देना चाहिए न कि इसकी धार को कुंद करने का प्रयास करना चाहिए।

■

सात महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरें

राष्ट्रीय

1. एंटीमाइक्रोबियल स्टेवार्डशिप कार्यक्रम

एंटी-बायोटिक के उचित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् (ICMR) ने 'एंटीमाइक्रोबियल स्टेवार्डशिप गाइडलाइन' निर्गत किये हैं जिनके अनुसार अस्पतालों को अपने यहाँ एंटीमाइक्रोबियल स्टेवार्डशिप कार्यक्रम (Antimicrobial Stewardship Programmes – AMSP) चलाने होंगे।

AMSP की आवश्यकता क्यों?

आज 'जीवाणुओं का प्रतिरोध' (Antimicrobial Resistance – AMR) एक बहुत बड़ी स्वास्थ्य चुनौती बन चुका है। नए एंटी-बायोटिकों के आने की आशा बहुत कम रह गयी है, इसलिए यह आवश्यक है कि जो भी दवाइयाँ आज उपलब्ध हैं उनका उपयोग सोच समझकर किया जाए। भारत में एंटी-बायोटिक दवाइयों का उपयोग आवश्यकता से अधिक होता है। 'AMSP कार्यक्रम' इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अस्पतालों के लिए तैयार किया गया है।

भारत में रोगियों को बहुत अधिक एंटी-बायोटिक दवाइयाँ दी जाती हैं। इस कारण लोगों में इनके प्रति प्रतिरोध उत्पन्न हो रहा है जोकि स्वास्थ्य की दृष्टि से अत्यंत चिंतनीय है। सूक्ष्माणु प्रतिरोध के मुख्य कारण हैं-

- एंटी-बायोटिक औषधियों को खाने के लिए कई रोगों में बिना सोचे समझे सलाह देना।
- एंटी-बायोटिक औषधियों की बिक्री के ऊपर उचित नियंत्रण नहीं होना।
- बिना चिकित्सक की सलाह के द्वारा लेना।
- एंटी-बायोटिक दवाओं के बारे में ज्ञान और जागरूकता की कमी।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 भी यही कहती है कि सूक्ष्माणुओं का प्रतिरोध आज स्वास्थ्य की एक बहुत बड़ी समस्या है। इस नीति के अनुसार एंटी-बायोटिक के उपयोग के बारे में निर्देश निर्गत होने चाहिए, जिनमें बिना चिकित्सक के इनकी खरीद पर रोकथाम लगाई जाए और पशुओं पर इनके प्रयोग को सीमित कर दिया जाए। ■

2. यौन उत्पीड़न पोर्टल 'शी-बॉक्स'

महिला और बाल विकास मंत्रालय ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायतों की रिपोर्ट करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल 'शी-बॉक्स' को केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों और 33 राज्यों के 653 जिलों तथा केंद्रशासित प्रदेशों से लिंक किया है।

'शी-बॉक्स' पर दर्ज कराई गई शिकायत के प्रत्येक मामले तत्काल निपटारे के लिए संबंधित केंद्र/राज्य अधिकारियों के पास सीधे चले जाएंगे और वे अपने अधिकार क्षेत्र में मामले के संबंध में कार्रवाई करेंगे। 'शी-बॉक्स' की शिकायतकर्ता और महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा निगरानी की जा सकती है। इससे मामले के निपटान में लगने वाले समय में कमी आएगी। 20 नवंबर, 2018 तक 'शी-बॉक्स' पर 321 शिकायतें दर्ज की गई हैं, जिसमें 120 शिकायतें केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों, 58 राज्य सरकारों और 143 निजी कंपनियों से संबंधित हैं।

उद्देश्य

'शी-बॉक्स' पोर्टल कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का सामना कर रहीं महिलाओं को तेजी से राहत उपलब्ध कराने का एक प्रयास है। इस पोर्टल के केंद्र/राज्य सरकारों से लिंक होने के कारण, एक बार इस पोर्टल पर शिकायत दर्ज होने पर सीधे ही संबंधित नियोक्ता के अनुभाग में भेज दी जाएगी। इस पोर्टल के माध्यम से महिला और बाल विकास मंत्रालय के साथ-साथ शिकायतकर्ता भी पूछताँछ में हुई प्रगति की निगरानी कर सकता है। विश्वव्यापी अभियान 'मी टू' के चलते, महिला और बाल विकास मंत्रालय ने यह सक्रिय कदम उठाया है। इस अभियान में कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न और दुरूपयोग का सामना कर रही महिलाओं ने अपने अनुभव बयान किए हैं।

'शी-बॉक्स' के बारे में

'शी-बॉक्स' का शुभारंभ वर्ष 2017 में किया गया था, जिसमें सरकारी और निजी कर्मचारियों सहित सभी महिला कर्मियों को कार्यस्थालों पर यौन उत्पीड़न की ऑनलाइन शिकायतें दर्ज कराने की सुविधा प्रदान की गई है। जिन महिलाओं ने पहले ही यौन उत्पीड़न अधिनियम के तहत गठित संबंधित आंतरिक शिकायत समिति या स्थानीय शिकायत समिति को अपनी लिखित शिकायतें भेजी हैं वे भी इस पोर्टल के माध्यम से अपनी शिकायतें दर्ज करा सकती हैं। इस पोर्टल पर 'http://shebox.nic.in/' लिंक से पहुंचा जा सकता है। ■

3. संगाई उत्सव

मणिपुर राज्य प्रत्येक वर्ष 21 से 30 नवम्बर के बीच 'मणिपुर संगाई उत्सव' मनाता है।

संगाई उत्सव क्या है?

संगाई उत्सव, मणिपुर में मनाया जाने वाला एक वार्षिक सांस्कृतिक समारोह है। इसे राज्य का सबसे भव्य समारोह माना जाता है जो मणिपुर को विश्व श्रेणी का पर्यटन गन्तव्य बनाने में सहायता करता है। इस अवसर पर राज्य की पर्यटन संभावनाओं को प्रदर्शित करने के लिए राज्य की जिन वस्तुओं का मेला लगता है, वे हैं – हस्तशिल्प, हथकरघा, देशी खेलकूद, मणिपुरी खान-पान, संगीत, साहसिक खेलकूद आदि।

संगाई उत्सव का नाम मणिपुर राज्य के राज्य पशु संगाई पर पड़ा है। संगाई एक हिरन का नाम है जो केवल मणिपुर में पाया जाता है। यह उत्सव 2010 से चल रहा है और धीरे-धीरे यहाँ संसार भर से लोग मणिपुर की समृद्ध परम्पराओं और संस्कृति को देखने आने लगे हैं।

इस समारोह के मुख्य आकर्षणों में एक 'रास-लीला' है जो भारत के किसी भी नृत्य शैली से अलग है। इसके अतिरिक्त यहाँ का कबुई नागा नृत्य, बाँस नृत्य, मैबी नृत्य, लाइ हराओबा नृत्य और खम्बा थोईबी नृत्य प्रसिद्ध हैं। जहाँ तक खेलकूद की बात है तो यहाँ की युद्ध कला 'थांग ता' सुप्रसिद्ध है जिसमें भाला और तलवार दोनों चलाये जाते हैं। एक और प्रसिद्ध खेल, जो नारियल से रग्बी की भाँति खेला जाता है, को 'यूबी-लाक्पी' कहते हैं। 'मुक्ना कांगजई' खेल हॉकी और कुश्ती का मिश्रण होता है। एक और खेल जो मणिपुर में ही पनपा है, वह है, 'मॉडर्न पोलो'।

उल्लेखनीय है की संगाई हिरन केवल मणिपुर में पाया जाता है, वह भी यहाँ के केयबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान में। IUCN के अनुसार यह एक "संकटग्रस्त प्रजाति" है। ■

4. ट्रेजरी बिल

हाल ही में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) ने एक ऐप और वेब-आधारित मंच – 'NSE goBID'- का अनावरण किया है जिसके माध्यम से खुदरा निवेशक सरकारी सिक्योरिटी (प्रतिभूति) खरीद सकेंगे।

NSEgoBID क्या है?

इस ऐप के माध्यम से निवेशक 91 दिनों, 182 दिनों और 364 दिनों वाले कोषागार विपत्रों में तथा एक वर्ष से 40 वर्ष तक के सरकारी बांडों में पैसा लगा सकेंगे। खुदरा निवेशक इस खरीद के लिए UPI (Unified Payments Interface) और इन्टरनेट बैंकिंग के जरिये अपने बैंक खातों से सीधे भुगतान कर सकेंगे। एक बार पंजीकरण होने के बाद प्रत्येक सप्ताह निवेश किया जा सकता है। यह ऐप NSE के व्यापारी सदस्यों के साथ पंजीकृत सभी निवेशकों के लिए उपलब्ध रहेगा।

ट्रेजरी बिल क्या हैं?

ट्रेजरी बिल (Treasury Bill), रिजर्व बैंक द्वारा सरकार की ओर से जारी अल्पकालिक प्रतिभूतियाँ हैं जो सरकार की अल्पकालिक तरलता की आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करते हैं। 91 दिन वाला 'ट्रेजरी बिल' हर बुधवार को नीलाम किया जाता है और 182 दिन एवं 364 दिन वाला Treasury Bill एक सप्ताह छोड़कर बुधवार को नीलाम किया जाता है। कोषागार विपत्र को दाम कम करके निर्गत किया जाता है और इसका निपटारा विपत्र पर अंकित दाम पर होता है।

उदाहरण के लिए, यदि 91 दिन वाले T-Bill का दाम 100 ₹ (फेस वैल्यू) है तो उसे 98.20 ₹ में जारी किया जाता है। यानी ₹ 1.80 की छूट पर इसे, 100 ₹ के फेस वैल्यू पर ही रिडीम किया जाएगा। ■

5. ट्रांसजेनिक चावल

चावल के दानों में आर्सेनिक/शंखिया (Arsenic) का जमा होना आज भारतीय कृषि के लिए एक गंभीर समस्या है। इस समस्या के समाधान के लिए लखनऊ स्थित सीएसआईआर (CSIR) का 'राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान' (National Botanical Research Institute) ने परिवर्तित जीनों वाले चावल को विकसित किया है जिसमें एक विशिष्ट फंफूदी जीव (fungal gene) को प्रविष्ट कराकर चावल के दाने में आर्सेनिक के जमाव को घटा दिया गया है।

अनुसंधानकर्ताओं ने मिट्टी की एक फंफूद से 'Arsenic Methyltransferase' (WaarsM) नामक जीन का क्लोन बनाया जिसका नाम वेस्टरडाईकेलौरन्टिका (Westerdykellaaurantiaca) रखा गया। पुनः इस जीन को उसी चावल के जीनोम में 'Agrobacterium tumefaciens' नामक एक मिट्टी के बैक्टीरिया की सहयता से प्रवेश कराया गया। ज्ञातव्य है कि मिट्टी के इस बैक्टीरिया में पौधे के जीन की बनावट को परिवर्तित करने की प्राकृतिक क्षमता होती है।

उसके पश्चात् नए-नए विकसित परिवर्तित जीन वाले धान तथा साथ ही सामान्य धान को आर्सेनिक में डाला गया। देखा गया कि ऐसा करने पर परिवर्तित जीन वाले पौधे की जड़ और टहनी में आर्सेनिक सामान्य धान की तुलना में कम जमा हुआ था।

आवश्यकता और महत्व

कई लोग आर्सेनिक की विषाक्तता के शिकार हैं, इसलिए आज आवश्यकता है कि धान की ऐसी प्रजाति विकसित की जाए जिसके दाने, जड़ और पराली में आर्सेनिक की मात्रा कम से कम हो और अनाज का उत्पादन भी अधिक से अधिक हो। यदि ऐसा जैव-तकनीक की विधियों से होता है तो न केवल मानव अपितु पशुओं के लिए भी यह लाभकारी होगा।

नोटः अधिक मात्रा में आर्सेनिक का शरीर में पहुँचने से कैंसर जैसे गम्भीर रोग उत्पन्न हो जाते हैं। ■

6. क्वाड्रिसाइकिल के निजी इस्तेमाल को मंजूरी मिली

हाल ही में भारत सरकार के 'सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय' ने निजी उपयोग के लिए चार चक्कों वाली गाड़ी ''क्वाड्रिसाइकिल'' (Quadricycles) की बिक्री की अनुमति दे दी।

क्या है क्वाड्रिसाइकिल (Quadricycle): ये कार नहीं है और ना ही आप इसकी कार से तुलना करें, क्योंकि ये एक नए सेगमेंट की गाड़ी है जिसे 'क्वाड्रिसाइकिल' कहते हैं। यह ऑटो रिक्शा का बेहतर विकल्प है। 'बजाज क्यूट' देश की पहली क्वाड्रिसाइकिल सेगमेंट की गाड़ी है।

क्या हैं क्वाड्रिसाइकिल (Quadricycle) के नए नियमः 'सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय' की अधिसूचना (नोटिफिकेशन) में कहा गया है कि quadricycle कैटगरी के व्हीकल एक्सप्रेस-वे पर नहीं चलेंगे। म्युनिस्पिल लिमिट (शहरों) वाली सड़कों और अन्य सड़कों पर 'क्वाड्रिसाइकिल व्हीकल' की अधिकतम स्पीड 50 किमी प्रति घंटा निर्धारित की गई है। इससे अधिक स्पीड होने पर ट्रैफिक पुलिस इन व्हीकल चालकों के खिलाफ ओवर स्पीड की कार्रवाई कर सकती है।

क्वाड्रिसाइकिल कैटगरीः क्वाड्रिसाइकिल, यूरोपियन व्हीकल कैटगरी है जो चार पहिया माइक्रो कार के रूप में जानी जाती है, जिसका वजन, पावर और स्पीड की मैक्सिमम लिमिट है। भारत में अभी इस कैटगरी की कोई कार नहीं है। बजाज ऑटो ने इस कैटगरी की क्यूट (Qute) कार को सन् 2012 के दिल्ली ऑटो शो में 'RE60' के नाम से पेश किया था। भारत में क्वाड्रिसाइकिल को मंजूरी नहीं होने के कारण यह मार्केट में नहीं उतर सकी थी। जून, 2018 में केंद्र सरकार ने क्वाड्रिसाइकिल की अलग कैटगिरी की घोषणा की है।

क्वाड्रिसाइकिल ग्रीन कार के रूप में: बजाज कंपनी का दावा है कि बाजार में मौजूद किसी भी कार से यह क्वाड्रिसाइकिल 37 फीसदी हल्की है। हल्की होने की वजह से ईंधन बचाती है। यह शहरों की सड़कों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। यह गाड़ी कम जगह लेती है और आसानी से मुड़ जाती है। इसकी माइलेज एक लीटर में 36 किलोमीटर है और किसी अन्य छोटी कार के मुकबले 37 फीसदी कम कार्बन का उत्सर्जन करती है। यह एक किलोमीटर पर केवल 66 ग्राम CO_2 छोड़ती है। इसमें वो सभी सेफ्टी फीचर्स हैं जो इस सेगमेंट की कारों में होते हैं। इस कार का टर्निंग रेडियस केवल 3.5 मीटर है।■

7. सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (CGD) प्रोजेक्ट

पेट्रोलियम एंड नैचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड (पीएनजीआरबी) द्वारा हाल में आवंटित इन परियोजनाओं के जरिये 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में देश की आधी आबादी तक गैस पहुंचाई जाएगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 129 जिलों में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (CGD) प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी। देश के 19 राज्यों में सीजीडी के लिए हाल में संपन्न 9वें बिडिंग राउंड में इस परियोजना का आवंटन किया गया था। इसके अलावा वे देश के 14 राज्यों के 124 जिलों में 50 नए जियोग्रैफिकल एरिया (जीए) के लिए 10वें सीजीडी बिडिंग राउंड को भी लॉन्च करेंगे।

जिलों के नामः

असम- काचर, हैलकांडी और करीमगंज

बिहार- औरंगाबाद, कैमूर, रोहतास, बेगुसराय, गया और नालंदा

दमन और दीव (UT) और गुजरात- दीव, गिर सोमनाथ, सुंदरनगर, बरवाला, रामपुर तालुका, नवसारी, सूरत, तापी, डांग, जूनागढ़, खेडा, मोरबी, मशीसागर, नर्मदा (राजपिपला), पोरबंदर

हरियाणा- पंचकुला, सिरमौर, भिवंडी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, हिसार, सोनीपत, जिंद, नूह, पलवल

हिमाचल प्रदेश- शिमाल, सोलन, बिलासपुर, हमीरपुर, उना

झारखंड- बोकारो, हजारीबाग, रामगढ़, गिरिडीह, धनबाद

कर्नाटक- चित्रदुर्ग, देवांगिरी, उडुपी, बिल्लारी, गदाग, बिडर, दक्षिण कन्नड, रामानगर

केरल और पुडुच्चेरी (UT)- कोच्चिकोड, वेयनाद, मलाप्पुरम, कन्नौर, कसारगोड, मही, पलाक्कड, थ्रिसूर

मध्य प्रदेश- भोपाल, राजगढ़, गुना, रीवा, सतना, शंडोल

महाराष्ट्र- अहमदनगर, औरंगाबाद, वसलाड, धूले, नासिक, लातूर, ओसमानाबाद, सांगली, सतारा, सिंधुदुर्ग

ओडिशा- अंगुल, धेकनाल, सुंदरगढ़, झारसुगुडा, बालसोर, भडरक, मयूरभंज, बारगढ़, देवगढ़, संभलपुर, गनजम, नयागढ़, पुरी, जगतसिंहपुर, केंद्रपारा, जाजपुर, केंदुझर

पुडुच्चेरी (UT) और तमिलनाडु- कराईकला और नागपत्तिनम, पुडुच्चेरी (UT)- पुडुच्चेरी

पंजाब- एसएएस नगर, पटियाला, संगरूर

राजस्थान- बारमेर, जैसलमेर, जोध पुर, अलवर, जयपुर, कोटा, चित्तौरगढ़ (सिर्फ रावतभाटा तालुका), भिलवाड़ा, बूंदी, चित्तौरगढ़ (रावतभाटा से अलग), उदयपुर, धौलपुर

तमिलनाडु- कांचीपुरम, चेन्नेई, तिरूवल्लुर, कोयंबटूर, कुड्डालोर, नगापटिनम, तिरूवरूर, रामनाथपुरम, सलेम, तिरूप्पुर

तेलंगाना- भडराडरी, कोथागुडेम, खम्मम, जगतिला, पेड्डापल्ले, करीमनगर एंड राजन्ना, सिरसिल्ला, जनगांव, जयाशंकर, बूपालपल्ली, महूबाबाद, वरांगल अर्बन एंड वारंगल रूरल, मेडक, सिड्डिपेट, संगारेड्डी, मेडचल रंगारेड्डी, विक्राबाद, नलगोंडा, सूर्यापेट, यदादरी भुवानागिरी

त्रिपुरा- गोमती, पश्चिम त्रिपुरा

उत्तर प्रदेश- बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, इलाहाबाद, भदोही, कौशांबी, अमेठी, प्रतापगढ़, राय बरेली, अरौया, कानपुर देहात, इटावा, फैजाबाद, सुल्तानपुर, गोरखपुर, संत कबीर नगर, कुशीनगर, मेरठ, मुजफ्फरनगरर, शामली, मोरादाबाद

उत्तराखंड- देहरादून

पश्चिम बंगाल- बर्धमान ■

अंतर्राष्ट्रीय

1. समानता का मतलब है महिलाओं के खिलाफ सर्वव्यापी हिंसा को खत्म करनाः गुतारेस

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरस ने कहा है कि लड़कियाँ और महिलाएँ जब तक हिंसा और असुरक्षा से रहित तथा बेखौफ नहीं होती तब तक दुनिया निष्पक्षता और बराबरी का गुमान नहीं कर सकती है। हर वर्ष 25 नवंबर को महिलाओं के खिलाफ हिंसा का अंत अंतर्राष्ट्रीय दिवस (इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वॉयलेन्स अगेन्स्ट वूमन) मनाया जाता है। इस मौके पर आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में गुटेरस ने कहा कि महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा वैश्विक है और प्रत्येक देश में होती है। उन्होंने कहा, '' इसके मूल में यह है कि महिलाओं के खिलाफ हर रूप में हिंसा का मतलब है सम्मान की बेहद कमी, महिलाओं की बुनियादी समानता तथा सम्मान को पहचान देने में पुरूषों की विफलता।''

यह अंतर्राष्ट्रीय दिवस बताता है कि प्रजनन आयु की महिलाओं के खिलाफ हिंसा कैंसर की तरह ही मौत की एक गंभीर वजह है। इस वर्ष महिलाओं के खिलाफ हिंसा का अंत अंतर्राष्ट्रीय दिवस की थीम है '' ऑरेंज दी वर्ल्डः हियर मीटू''।

25 नवम्बर, 1960, को राजनैतिक कार्यकर्ता डोमिनिकन शासक ''राफेल ट्रुजिलो'' (1930-1961) के आदेश पर तीन बहनों, पैट्रिया मर्सिडीज मिराबैल, मारिया अर्जेंटीना मिनेर्वा मिराबैल तथा एंटोनिया मारिया टेरेसा मिराबैल की 1960 में क्रूरता से हत्या कर दी थी। इन तीनों बहनों ने ट्रुजिलो की तानाशाही का कड़ा विरोध किया था। महिला अधिकारों के समर्थक व कार्यकर्ता वर्ष 1981 से इस दिन को इन तीनों बहनों की मृत्यु की स्मृति के रूप में मनाते हैं। 17 दिसंबर 1999 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में एकमत से यह निर्णय लिया गया कि 25 नवम्बर को महिलाओं के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय हिंसा उन्मूलन दिवस के रूप में मनाया जाएगा। वर्ष 2000 में इसे मनाने की शुरुआत हुई थी।

अनुमान है कि दुनिया भर में 35 प्रतिशत महिलाओं ने शारीरिक और यौन हिंसा का अनुभव किसी नॉन-पार्टनर द्वारा अपने जीवन में किसी बिंदु पर किया है। हालांकि, कुछ राष्ट्रीय अध्ययनों से पता चलता है कि 70 प्रतिशत महिलाओं ने अपने जीवनकाल में एक अंतरंग साथी से शारीरिक और यौन हिंसा का अनुभव किया है। दुनियाभर में पाए गए सभी मानव तस्करी के पीड़ितों में 51 प्रतिशत वयस्क महिलाओं की संख्या है। यूरोपीय संघ की रिपोर्ट में 10 महिलाओं में से एक ने 15 साल की उम्र से साइबर-उत्पीड़न का अनुभव किया है। 18 से 29 वर्ष की आयु के बीच युवा महिलाओं में जोखिम सबसे अधिक है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा एक वैश्विक महामारी है। 70 प्रतिशत महिलाओं की संख्या अपने जीवनकाल में हिंसा का अनुभव करती है। उल्लेखनीय है कि महिलाओं के विरुद्ध यौन उत्पीड़न, फब्तियां कसने, छेड़खानी, वैश्यावृत्ति, गर्भाधारण के लिए विवश करना, महिलाओं और लड़कियों को खरीदना और बेचना, युद्ध से उत्पन्न हिंसक व्यवहार और जेलों में भीषण यातनाओं का क्रम अभी भी महिलाओं के विरुद्ध जारी है और इसमें कमी होने के बजाए वृद्धि हो रही है। ■

2. चक्रवात 'तितली'

ओडिशा में चक्रवात 'तितली' के कारण भारी बारिश से बाढ़ आने के कारण 60 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं और प्रदेश सरकार ने तीन जिलों में बचाव और राहत अभियान को तेज करने के लिए एनडीआरएफ और ओडीआरएएफ कर्मियों को तैनात किया गया था। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि दक्षिणी ओडिशा के तीन जिलों, गंजम, गजपति और रायगढ़ा में बाढ़ की स्थिति गंभीर थी क्योंकि प्रमुख नदियों में जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया था। चक्रवात के कारण इन जिलों में तीन दिनों में सबसे ज्यादा बारिश हुई थी।

अफ्रीका और एशिया में आपदा की पूर्व चेतावनी देने वाली 45 देशों की संस्था 'रीजनल इंटीग्रेटेड मल्टी-हैजर्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम (Regional Integrated Multi&Hazard Early Warning System-RIMES)' ने अक्तूबर में आए भयावह साइक्लोन तितली (Titli) को अति दुर्लभ के रूप में नामित किया है।

'रिम्स' के अनुसार, ओडिशा तट पर चक्रवातों के 200 से अधिक वर्षों के इतिहास पर एक नजर डालने से पता चलता है कि तितली चक्रवात अपनी विशेषताओं के मामले में अति दुर्लभ है, जैसे-भूमि से टकराने के बाद पुनरावृत्ति और टकराने के बाद भी दो दिनों तक अपनी विनाशकारी क्षमता को बरकरार रख पाने जैसी विशेषताएँ।इससे पहले, भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने तितली की बनावट को 'अति दुर्लभ' घटना के रूप में परिभाषित किया था। इस तीव्र तूफान ने जमीन से टकराने (Landfall) के बाद अपना रास्ता बदल दिया था।

तितली नामक चक्रवाती तूफान की वजह से मुख्य रूप से अंदरूनी गजपति जिले में भू-स्खलन के कारण 60 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। ओडिशा जो कि आपदा से निपटने हेतु तैयारियों को लेकर अत्यधिक मुस्तैद रहता है, के अंदरूनी जिलों में तितली के कारण जीवन तथा संपत्ति दोनों का नुकसान उठाना पड़ा। तितली की वजह से सबसे ज्यादा मौतें गजपति जिले के बरघारा गाँव में भू-स्खलन की वजह से हुई थीं क्योंकि इस चक्रवात को लेकर कोई भी सटीक चेतावनी नहीं दी जा सकी थी।

रिम्स' के अनुसार, राजकीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ओडिशा (OSDMA) को तितली के प्रभावों से निपटने में इसलिये परेशानी का सामना करना पड़ा क्योंकि उनके पास कार्रवाई-योग्य पूर्व सूचना उपलब्ध नहीं थी- तितली तूफान से मिली सीख का उपयोग करते हुए राजकीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ओडिशा (OSDMA) भविष्य में तितली जैसे तूफानों से निपटने में सक्षम होगा। 'रिम्स' ने सिफारिश की है कि ओडिशा में तितली द्वारा किये गए विनाश के संदर्भ में जोखिमों को समझने हेतु विस्तृत जोखिम मूल्यांकन किया जाना चाहिये। ■

3. किलोग्राम की नई परिभाषा

किसी चीज का वजन मापने के लिए किलोग्राम का इस्तेमाल करते हैं। सब्जी-भाजी से लेकर दूसरे सामानों का वजन किलो के हिसाब से तय होता है। पहले किलोग्रम का स्टैंडर्ड तय करने के लिए बाट का इस्तेमाल होता था, लेकिन अब वैज्ञानिकों ने किलोग्राम वजन को पेरिस में रखे मिश्रित धातु के सिलेंडर (बाट) से नापने की बजाए किसी प्राकृतिक भार को नापने की ईकाई बनाया है, और ये ईकाई है 'प्लांक कॉन्सटैंट'।

कैसे तय किया जाता है किलो का स्टैंडर्ड

किलोग्राम का स्टैंडर्ड कैसे तय किया गया है? और अब उस स्टैंडर्ड को बदलने की नौबत क्यों आ पड़ी है?

किलोग्राम का स्टैंडर्ड अब तक फ्रांस में रखे सिलेंडर आकार के एक धातु से तय होता आया है। उस धातु के वजन को एक किलोग्राम मान लिया गया और अब उसी स्टैंडर्ड के हिसाब से किलो का वजन तय है लेकिन वैज्ञानिक इसे बदलने का प्रयास में लगे थे।

फिलहाल वैज्ञानिक चाहते थे कि किलोग्राम वजन को पेरिस में रखे मिश्रित धातु के सिलेंडर से नापने की बजाए किसी प्राकृतिक भार को नापने की इकाई बना दिया जाए, और ये इकाई है 'प्लांक कॉन्सटैंट'। वैज्ञानिक जल्द ही किलोग्राम के आदर्श वजन को दर्शाने का नया तरीका ढूंढने वाले हैं।

फ्रांस में रखे धातु को क्यों बदलना चाहते हैं?

अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी (एनआईएसटी) के 'जीना कुब्रायच' का कहना है कि किलो के स्टैंडर्ड भार को दर्शाने के लिए जिस धातु का इस्तेमाल किया जाता है, वो गोल्फ की बॉल के बराबर ऊंचा एक सिलेंडर है, जिसे एक छोटे से कांच के बक्से में रखा गया है।

वे बताते हैं कि इसकी देख-रेख में काफी संसाधनों का इस्तेमाल किया जाता है और इसके बाद भी इनके नष्ट होने का खतरा बना रहता है। अगर ये नष्ट हो गया तो दुनिया के पास किलोग्राम के सटीक भार को दर्शाने के लिए कोई पैमाना नहीं बचेगा। इसलिए एक ऐसा फॉर्मूला तैयार किया जा रहा है जिसके नष्ट होने का डर ही न हो।

वहीं विशेषज्ञों की मानें तो ऐसा लगता है कि पेरिस में रखा यह किलोग्राम धीरे-धीरे सिकुड़ रहा था। कोई यह बात सही-सही नहीं कह सकता कि ऐसा धातु के धीरे-धीरे क्षरण के चलते हो रहा है। कुछ दिन पहले बांट में 30 माइक्रोग्राम की बढ़त देखी गई थी। हालांकि यह ग्राहकों के लिए फायदे की ही बात थी। लेकिन दुनियाभर के विज्ञान के लिए यह चिंता का सबब बन गया था क्योंकि दवाओं के मार्केट जैसे कई क्षेत्रों में इसके चलते बड़े बदलाव आ सकते थे। खासकर उनमें जिनमें कम वजन की बहुत अहमियत होती है।

बताया जाता है कि पेरिस में रखे एक किलो के आदर्श भार वाले धातु में 90% प्लेटिनम और 10% इरेडियम है। इस बक्से को खोलने की दुनिया में 3 ही चाबी हैं। तीनों अलग-अलग जगह रखी गई हैं।

वैज्ञानिक अब माप के तौर पर प्लांक कॉन्स्टैंट का प्रयोग करेंगे। यह क्वांटम मैकेनिक्स की एक वैल्यू है। यह ऊर्जा के छोटे-छोटे पैकेट्स का भार होता है। इसकी मात्रा 6.626069934'10-34 जूल सेकेंड है। जिसमें सिर्फ 0.0000013% की ही गड़बड़ी हो सकती है। इससे एम्पियर, केल्विन और मोल जैसी ईकाईयों में भी बदलाव आ सकता है। ■

4. विश्व मत्स्य पालन दिवस

प्रत्येक वर्ष 21 नवम्बर को विश्व मत्स्य पालन दिवस मनाया जाता है जिससे स्वस्थ सामुद्रिक वातावरण के महत्त्व की ओर सब का ध्यान खींचा जा सके और विश्व में मछलियों की सतत आपूर्ति को सुनिश्चित किया जा सके। यह दिवस व्यापक स्तर पर मनाने से मछली पालन और उससे जुड़ी समस्याएँ उभर कर सामने आतीं हैं। मछली उत्पादन से जुड़े समुदायों द्वारा रैलियों, जन-सभाओं, सांस्कृतिक कार्यकमों, प्रदर्शनियों, संगीत कार्यक्रमों के द्वारा वैश्विक स्तर पर इस काम के महत्व की चर्चा की जाती है।

भारत में मत्स्य पालन

मत्स्य पालन भारत का एक महत्त्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्र है जो लाखों लोगों को न केवल रोजगार देता है अपितु देश की खाद सुरक्षा में योगदान भी करता है।

भारत में लगभग 8,000 km. लम्बी सामुद्रिक तटरेखा है और यहाँ 20 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक का एक विशेष आर्थिक जोन (Exclusive Economic Zone – EEZ) भी है। इनके अतिरिक्त इस देश में मीठे जल के कई संसाधन भी हैं। इस प्रकार भारत की अर्थव्यवस्था में मत्स्य पालन की एक बहुत बड़ी भूमिका है। मत्स्य पालन से देश का 1.07% GDP आता है।

स्थलीय मत्स्य पालन

स्थलीय मत्स्य पालन भारत के मत्स्य पालन क्षेत्र का एक महत्त्वपूर्ण भाग है। 1950 में इन स्थलीय जलस्रोतों से 192 हजार टन मछलियाँ मारी गई थीं जबकि 2007 में 781,846 टन मछलियों का शिकार हुआ था।

मीठे जल के जिन संसाधनों से भारत में मछलियाँ मारी जाती हैं, वे हैं- नदियाँ एवं नहरें (197,024 km)- जलाशय (3.15 million hectares)- तालाब और पोखरें (235 million hectares)- ऑक्सबो झीलों एवं अवरुद्ध जल (1.3 million hectares)- हल्के खारे जलाशय (1.24 million hectares) नदी के मुहाने (0.29 million hectares) आदि। ■

5. छह महीने की यात्रा के बाद मंगल पर उतरा नासा का अंतरिक्षयान

मंगलग्रह मिशन पर नासा को एक और बड़ी सफलता मिली है। दो साल के अभियान पर निकला नासा का 'इनसाइट स्पेसक्राफ्ट' सुरक्षित मंगल ग्रह पर पहुंच गया है। यह स्पेसक्राफ्ट मंगल ग्रह की सतह की शोध करेगा। नासा के ऑनलाइन लाइव ब्रॉडकास्ट ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि इनसाइट सफलतापूर्वक सोमवार को तकरीबन 2.54 बजे मंगल ग्रह पर लैंड कर गया है, यह स्पेसक्राफ्ट छह महीने में 300 मिलियन मील की यात्रा तय करके पहुंचा है। नासा ने के अनुसार यह स्पेसक्राफ्ट यहां भूगर्भीय जानकारी के साथ सतह के भीतर की स्थिति, तापमान आदि का अध्ययन करेगा। इनसाइट के साथ दो छोटे मिनी स्पेसक्राफ्ट भी है जिनका नाम 'मार्स क्यूबवन' और 'क्यूबस्टैट्स' भी यहां भेजे गए हैं। ये दोनों स्पेसक्राफ्ट इनसाइट को मिलने वाले सिग्नल का अध्ययन करेंगे। ज्ञातव्य हो कि इस मिशन की शुरुआत नासा की ओर से 5 मई को की गई थी। इससे पहले पहली बार 2012 में मंगल के सतह के भीतर का अध्ययन के लिए नासा ने स्पेसक्राफ्ट क्यूरोसिटी भेजा था। इनसाइट ने मार्स की यात्रा के दौरान 301223981 मील की दूरी तय की है, इस दौरान इसकी अधिकतम रफ्तार 6200 मील प्रति घंटा थी। नासा के प्लैनेटरी साइंस डिविजीन के डायरेक्टर लोरी ग्लेज ने बताया कि हमने मंगल ग्रह का अध्ययन 1965 से कर रहे हैं, हम यहां के मौसम, वातारवरण, भूविज्ञान, सतह के रसायन आदि का अध्ययन कर रहे हैं। लेकिन अब हम आखिरकार मंगल ग्रह की जमीन के भीतर क्या है इसका अध्ययन करेंगे। ■

6. बढ़ रहा है वैश्विक तापमानः यूएन रिपोर्ट

वैज्ञानिकों का कहना है कि यदि धूप को धीमा करने के लिए पृथ्वी के ऊपर ऊंचाई पर रसायन का छिड़काव किया जाए तो इससे वैश्विक तापवृद्धि धीमी हो जायेगी और इस पर अगले 15 वर्षों में आने वाला खर्च भी 2.25 बिलियन डॉलर होगा जोकि बहुत कम है। इस भू-अभियंत्रण तकनीक का नाम stratospheric aerosol injection (SAI) अर्थात् समतापमंडलीय वायुकण छिड़काव है। इसके प्रयोग से बढ़ते हुए तापमान को सीमित किया जा सकता है जो जलवायु परिवर्तन का एक प्रमुख कारण है।

समतापमंडलीय गंधक वायुकण, वे गंधकयुक्त कण हैं जो पृथ्वी के समतापमंडल में रहते हैं। समतापमंडल की जिस परत में ये कण होते हैं उनको जुंग परत (Junge Layer) अथवा समतापमंडलीय वायुकण परत कहते हैं। इन कणों में सल्फ्युरिक अम्ल और जल का मिश्रण होता है। ये कण प्राकृतिक रूप से कार्बोनिक सल्फाइड जैसे सल्फर-युक्त गैसों के विघटन से बनते हैं। गंधक वायुकण क्षोभमंडल में कोयले के जलने से होने वाले प्रदूषण के कारण पाए जाते हैं। समतापमंडलीय वायुकण की उत्पत्ति का एक मुख्य स्रोत ज्वालामुखी का फटना भी है क्योंकि ज्वालामुखी के फटने से अधिक मात्रा में गंधक से भरी गैस समताप मंडल में पहुँच जाती है।

इस प्रक्रिया में सल्फ्युरिक अम्ल (sulfuric acid), हाइड्रोजन सल्फाइड (H_2S) अथवा सल्फर डाइऑक्साइड (SO_2) का छिड़काव किया जाता है। इस छिड़काव के लिए बड़े-बड़े पाइपों, तोपों अथवा विशेष रुप से बनाये गये हवाई जहाजों का प्रयोग होता है। इनसे वायुमंडल की ऊपरी परत में सल्फेट कण छोड़े जाते हैं जो पृथ्वी और सूर्य की धूप के बीच में आकर ताप को बढ़ने से रोक देते हैं। इस प्रक्रिया की लागत को कम रखने के लिए वैज्ञानिकों का सुझाव है कि इसके लिए विशेष रूप से बनाये गये हवाई जहाजों का ही प्रयोग हो जो 20 किलोमीटर की ऊँचाई पर 25 टन का भार लेकर जा सकें।

जलवायु परिवर्तन के खिलाफ जंग में मानव जाति बहुत अधिक पिछड़ गई है जहां पेरिस जलवायु समझौते के तापमान नियंत्रण लक्ष्य को हासिल करने के प्रयासों और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जनों के बीच का अंतर लगातार बढ़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने यह बात कही। धरती का तापमान महज एक डिग्री बढ़ने से विश्व भर में जंगल में लगने वाली आग, चक्रवात और ग्रीष्म लहरें उठने की घटनाएं चरम सीमा पर पहुंच गई हैं। वैज्ञानिकों ने मौजूदा चलन पर कहा कि तापमान जिस तरह से बढ़ रहा है, सदी के अंत तक इसमें चार डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि हो जाएगी जो एक ऐसा परिदृश्य है जो सभ्यताओं को तबाह कर सकने वाला प्रतीत होता है। रिपोर्ट के अनुसार 2° से ज्यादा नहीं बढ़ने देने के लिए 2015 के पेरिस समझौते में जोड़ी गई राष्ट्रो की ओर से कार्बन कटौती की प्रतिज्ञाएं सामूहिक रूप से 2030 तक 3 गुना तक बढ़ जानी चाहिए। ■

7. नासा का अंतरिक्ष यान इनसाइट (Insight)

हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का एक रोबोटिक मिशन इनसाइट लैंडर मंगल पर उतरा। यह इनसाइट यान मंगल के सघन वातावरण में हाइपरसोनिक स्पीड से प्रवेश कर रहा था लेकिन मंगल की सतह को छूने से पहले धीरे-धीरे इसकी गति घटकर 8 किमी./घंटे पर आ गई। गति में यह कमी मात्र 6 मिनट के भीतर आई इस तरह इनसाइट मंगल की सहत पर उतरा। इस प्रोजेक्ट में नासा ने 993 मिलियन डॉलर पैसा लगाया हुआ है। ये अंतरिक्ष यान मंगल पर आने वाले भूकंप, कंपन, रहस्यों और ये कैसे बना आदि ढेर सारे वैज्ञानिक पहलुओं का अध्ययन करेगा। नासा ने इसे कोई सात महीने पहले मंगल की ओर रवाना किया था। इससे पहले नासा के क्यूरोसिटी रोवर ने मंगल की यात्रा की थी।

पूरी दुनिया की तमाम अंतरिक्ष एजेंसीज मंगल पर पहुंचने के 43 प्रयास कर चुकी हैं और ज्यादातर प्रयास नाकाम रहे हैं। अगर इनसाइट लैंडर सही तरीके से मंगल पर अपने प्रयोग कर पाया तो वर्ष 2030 तक मानव का लाल ग्रह पर पहुंचना काफी हद तक संभव हो सकेगा।

इनसाइट की स्पीड 19,800 किलोमीटर प्रतिघंटा की थी। जब ये मंगल के वातावरण में पहुंचा तो घर्षण से काफी गरमी उत्पन्न हुई, जो 2700 फॉरेनहाइड यानि 1500 सेल्सियश तक थी।

नासा ने वर्ष 2007 में आर्कटिक मिशन को मंगल की सतह पर भेजा था। इसमें जो हीटशील्ड, पैराशूट और रेट्रो रॉकेट्स का इस्तेमाल किया गया था, वही तकनीक इनसाइट में भी दोहराई गई है।■

सात ब्रेन बूस्टर्स

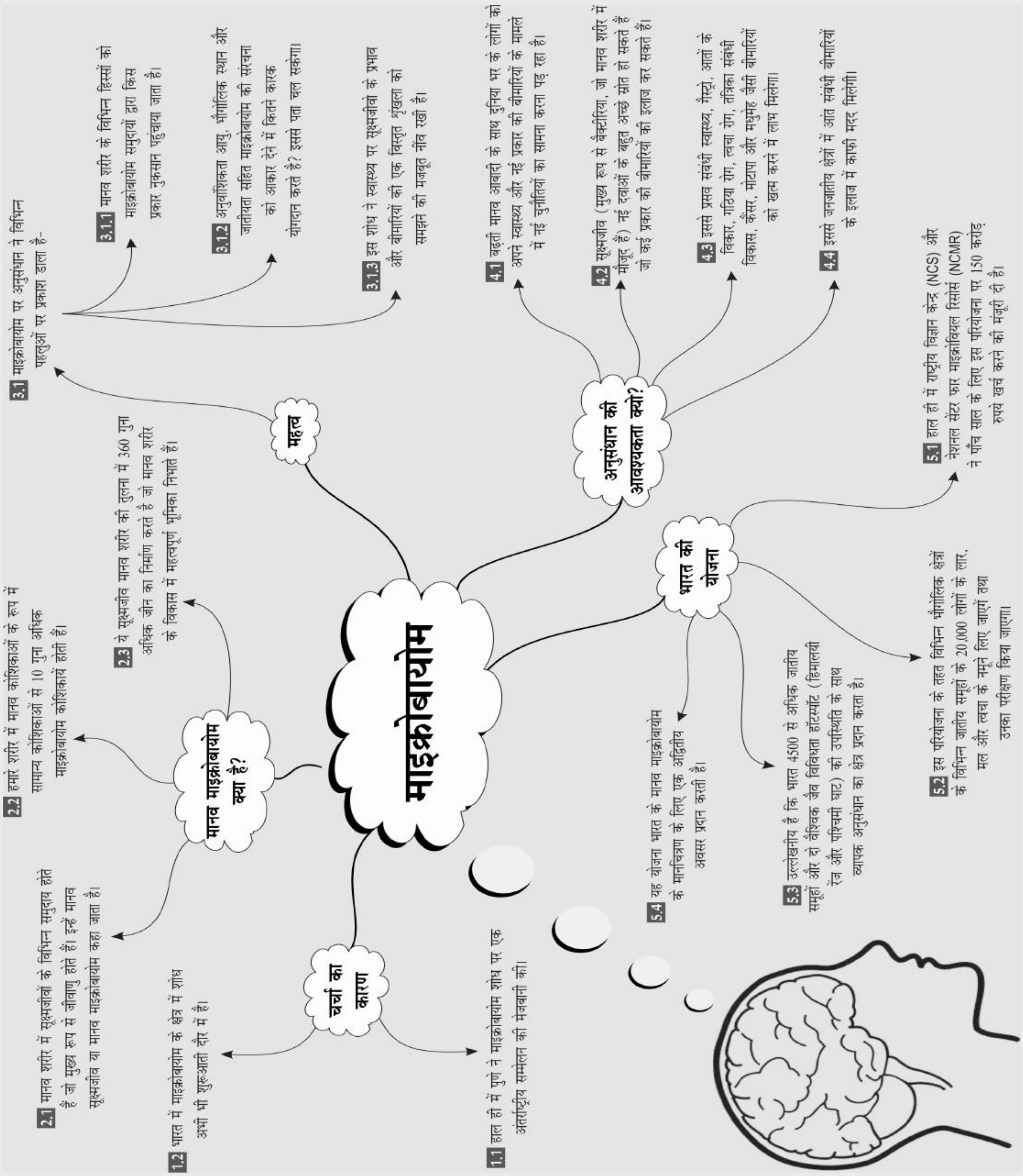

माइक्रोबायोम
चर्चा का कारण
1.1 हाल ही में पुणे ने माइक्रोबायोम शोध पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की।
1.2 भारत में माइक्रोबायोम के क्षेत्र में शोध अभी भी शुरूआती दौर में है।
मानव माइक्रोबायोम क्या है?
2.1 मानव शरीर में सूक्ष्मजीवों के विभिन्न समुदाय होते हैं जो मुख्य रूप से जीवाणु होते हैं। इन्हें मानव सूक्ष्मजीव या मानव माइक्रोबायोम कहा जाता है।
2.2 हमारे शरीर में मानव कोशिकाओं के रूप में सामान्य कोशिकाओं से 10 गुना अधिक माइक्रोबायोम कोशिकायें होती हैं।
2.3 ये सूक्ष्मजीव मानव शरीर की तुलना में 360 गुना अधिक जीन का निर्माण करते है जो मानव शरीर के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
महत्व
3.1 माइक्रोबायोम पर अनुसंधान ने विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला है-
3.1.1 मानव शरीर के विभिन्न हिस्सों को माइक्रोबायोम समुदायों द्वारा किस प्रकार नुकसान पहुंचाया जाता है।
3.1.2 अनुवांशिकता आयु, भौगोलिक स्थान और जातीयता सहित माइक्रोबायोम की संरचना को आकार देने में कितने कारक योगदान करते है? इससे पता चल सकेगा।
3.1.3 इस शोध ने स्वास्थ्य पर सूक्ष्मजीवो के प्रभाव और बीमारियों की एक विस्तृत शृंखला को समझने की मजबूत नींव रखी है।
अनुसंधान की आवश्यकता क्यो?
4.1 बढ़ती मानव आबादी के साथ दुनिया भर के लोगों को अपने स्वास्थ्य और नई प्रकार की बीमारियों के मामले में नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
4.2 सूक्ष्मजीव (मुख्य रूप से बैक्टीरिया, जो मानव शरीर में मौजूद हैं) नई दवाओं के बहुत अच्छे स्रोत हो सकते हैं जो कई प्रकार की बीमारियों की इलाज कर सकते हैं।
4.3 इससे प्रसव संबंधी स्वास्थ्य, गैस्ट्रो, आतों के विकार, गठिया रोग, त्वचा रोग, तंत्रिका संबंधी विकास, कैंसर, मोटापा और मधुमेह जैसी बीमारियों को खत्म करने में लाभ मिलेगा।
4.4 इससे जनजातीय क्षेत्रों में आंत संबंधी बीमारियों के इलाज में काफी मदद मिलेगी।
भारत की योजना
5.1 हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान केन्द्र (NCS) और नेशनल सेंटर फार माइक्रोवियल रिसोर्स (NCMR) ने पाँच साल के लिए इस परियोजना पर 150 करोड़ रुपये खर्च करने की मंजूरी दी है।
5.2 इस परियोजना के तहत विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के विभिन्न जातीय समूहों के 20,000 लोगों के लार, मल और त्वचा के नमूने लिए जाएगें तथा उनका परीक्षण किया जाएगा।
5.3 उल्लेखनीय है कि भारत 4500 से अधिक जातीय समूहों और दो वैश्विक जैव विविधता हॉटस्पॉट (हिमालयी रेंज और पश्चिमी घाट) की उपस्थिति के साथ व्यापक अनुसंधान का क्षेत्र प्रदान करता है।
5.4 यह योजना भारत के मानव माइक्रोबायोम के मानचित्रण के लिए एक अद्वितीय अवसर प्रदान करती है।

ग्लोबल स्टॉकटेक

चर्चा का कारण

1.1 हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर 27वीं आधारभूत मंत्रिस्तरीय बैठक 19-20 नवंबर 2018 को नई दिल्ली में आयोजित की गई।

1.2 इस बैठक में विकसत देशों से जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए प्रभावी रूप से पेरिस समझौते को लागू करने के लिए विकासशील देशों को अपना समर्थन बढ़ाने का आग्रह किया है।

1.3 जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) की 24वीं सीओपी (COP) दिसम्बर 2018 में कोटरेवाइस (पोलैण्ड) में आयोजित की जायेगी।

क्या है?

2.1 ग्लोबल स्टॉकटेक (GST); विभिन्न देशों द्वारा किए गये जलवायु परिवर्तन कार्रवाई के प्रभाव की प्रस्तावित पाँच साल की समीक्षा का संदर्भ देता है।

2.2 पेरिस समझौते के तहत, प्रत्येक देश को हर पांच साल में एक जलवायु कार्रवाई योजना प्रस्तुत करनी होती है।

2.3 पेरिस समझौते के तहत, पहला ग्लोबल स्टॉकटेक 2023 में होगा। यह दुनिया को यह निर्धारित करने में मदद करेगा कि इसे और अधिक करने की आवश्यकता है या नहीं।

2.4 GST के लिए भारत की 10 साल की अवधि की मांग है, जबकि यूरोपीय संघ और कुछ अन्य देश ने 5 साल के चक्र की मांग की है।

बैठक के मुख्य बिन्दु

3.1 इस बैठक में भाग लेने वाले बेसिक देशों ने फिर से पुष्टि की कि जलवायु परिवर्तन के खिलाफ वैश्विक कार्रवाई को आगे बढ़ाने, विकासशील देशों की जरूरतों और विशेष परिस्थितियों को पहचानने के लिए पेरिस समझौता महत्वपूर्ण कदम है।

3.2 बेसिक देशों ने संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज (UNFCCC) के क्योओ प्रोटोकॉल (COP3) और पेरिस समझौते (COP21) को लागू करने के लिए सदस्य देशों की प्रतिबद्धता की भी पुष्टि की।

3.3 एक समूह के रूप में बेसिक देश, विकसित देशों के लिए 2020 से सलाना 100 बिलियन डालर प्रदान करने की अपनी पिछली प्रतिबद्धता पर दबाव डालना जारी रखेंगे।

3.4 उन्होंने विकसित देशों से 2023 तक प्री-2020 कार्यान्वयन अंतराल को बंद करने के लिए तत्काल कार्रवाई करने का आग्रह किया।

3.5 ग्लोबल स्टॉकटेक की अगली बैठक 2019 में ब्राजील में बेसिक देशों द्वारा आयोजित की जाएगी।

बेसिक के बारे में

4.1 बेसिक देश, चार बड़े नये औद्योगिक देशों- ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, भारत और चीन का गठबंधन है। यह नवंबर, 2009 में एक समझौते के द्वारा गठित किया गया था।

4.2 बेसिक देश 2009 में कोपेनहेगन जलवायु सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दों से निपटने हेतु एक साथ कार्य करने के लिए सहमत थे। इसके अलावा ये देश विकसित देशों से उनकी न्यूनतम प्रतिबद्धताओं (यथा- वार्षिक 100 बिलियन डॉलर का ग्रीन फंड) को पूरा कराने के लिए अतिरिक्त दबाव निर्मित करने पर भी सहमत हुए थे।

4.3 यह संगठन ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी और जलवायु सहायता के लिए फंडिंग की स्थिति को सही तरीके से लागू करना चाहता है। इसके अलावा यह संगठन कोपेनहेगन समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए अन्य देशों को भी शामिल करने की कोशिश कर रहा है।

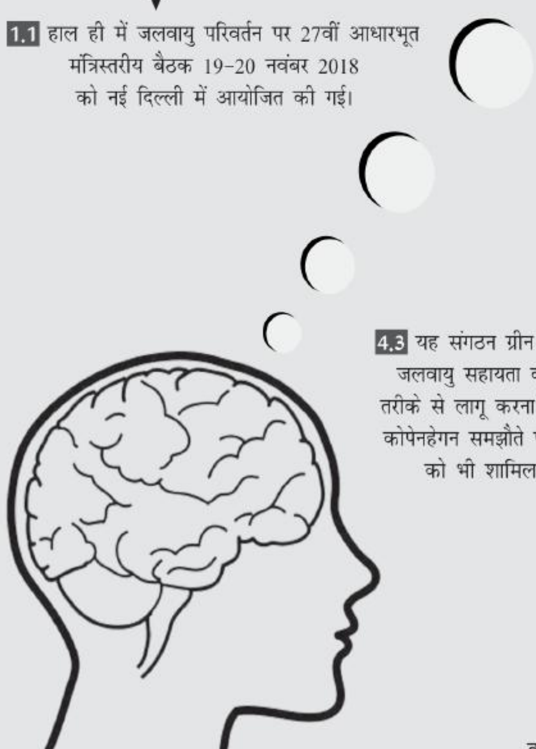

सेंटिलीज जनजाति

चर्चा का कारण

1.1 अमेरिकी पर्यटक जॉन एलेन चाऊ (john allen chau) की हत्या का आरोप अंडमान निकोबार द्वीपसमूह (Andaman and Nicobar Island) की आदिवासी जनजाति पर लग रहा है। इस क्षेत्र को नॉर्थ सेंटीनल आईलैंड (North Sentinel Island) कहा जाता है।

1.2 यहां रहने वाले लोग चाऊ की कथित हत्या के बाद एक बार फिर दुनियाभर में चर्चा का विषय बन गए हैं। इस जनजाति को औपचारिक तौर पर तो कोई नाम नहीं दिया गया है लेकिन चूंकि ये उत्तरी सेंटीनल द्वीप पर रहते हैं, इसलिए इन्हें नॉर्थ सेंटिलीज जनजाति कहा जाता रहा है।

सेंटिलीज जनजाति

2.1 ये लोग अंडमान के नार्थ सेंटिनल द्वीप पर रहनी वाली निग्रिटो (अश्वेत तथा छोटे कद वाले) समुदाय के हैं। इन्होंने कभी भी आकस्मिक हमले का सामना नहीं किया है और बाहरी लोगों से ये शत्रुवत व्यवहार करते हैं।

2.2 शोधकर्त्ताओं के अनुसार, ये लोग शारीरिक बनावट तथा भाषाई समानताओं के आधार पर जारवा समुदाय (Jarawas) से जुड़े हुए हैं।

2.3 भारत के मानव विज्ञान सर्वेक्षण ने कार्बन डेटिंग के आधार पर यह पुष्टि की है कि इन द्वीपों पर सेंटिलीज जनजाति के लोगों की उपस्थिति 2,000 साल पहले से है।

2.4 जीनोम अध्ययन के अनुसार, संभव है कि यह जनजाति 30,000 साल पहले भी अंडमान द्वीप पर रहती हो।

2.5 आनुवंशिक रूप से इस जनजाति समूह द्वारा बोली जाने वाली भाषा सेंटिनलीज है। इस भाषा को समझना भी बहुत मुश्किल है। क्योंकि द्वीप के आस-पास के क्षेत्रों में ऐसी भाषा बोले जाने के कोई साक्ष्य नहीं मिलते।

2.6 सेंटिलीज जनजाति को अंडमान की 5 सबसे असार्वजनिक जनजातियों में सबसे अधिक असार्वजनिक माना जाता है। अन्य चार जनजातियाँ हैं- ग्रेट अंडमानीज (Great Andamenese), ओंज (Onge), शेम्पेन (Shompen) और जारवा (Jarawas)।

2.7 यह उन जनजातियों में से है जो 2004 के सुनामी से बाहरी दुनिया की मदद के बिना सुरक्षित बचने में सफल रही।

2.8 माना जाता है कि सेंटिलीज दुनिया की एकमात्र जनजाति है जो नवपाषाण काल से पूर्व की जनजाति है। इसका तात्पर्य यह है कि उनकी संस्कृति ऐसी है जो पाषाण युग की मध्य अवधि में मौजूद थी। इन लोगों द्वारा धातुओं का उपयोग किये जाने के बारे में कोई विशेष जानकारी उपलब्ध नहीं है। लेकिन कई शोधकर्त्ताओं का मानना है कि ये लोग हथियारों के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिये धातुओं का उपयोग नहीं करते हैं।

नार्थ सेंटीनल आइलैंड

3.1 भारत का नार्थ सेंटीनल आइलैंड इतना खतरनाक है कि इसे मौत का टापू भी कहते हैं। भारत सरकार ने इसे प्रतिबंधित कर रखा है। यह द्वीप अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दक्षिण अंडमान प्रशासनिक जिले के अंतर्गत आता है।

3.2 बंगाल की खाड़ी में चारों तरफ समुद्र से घिरे इस भारतीय टापू का हवाई नजारा बेहद खूबसूरत है। बावजूद यहां जाने के लिए आज तक कोई रास्ता नहीं है। केवल समुद्री मार्ग से ही यहां पहुंच सकते हैं।

संरक्षण

4.1 भारत सरकार ने जनजातियों के कब्जे वाले पारंपरिक क्षेत्रों को संरक्षित घोषित करने के लिये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (आदिवासी जनजातियों का संरक्षण) विनियमन, 1956 जारी किया और इस क्षेत्र में प्राधिकरण के अलावा अन्य सभी व्यक्तियों के प्रवेश को प्रतिबंधित किया।

4.2 जनजाति सदस्यों की फोटो लेना या फिल्मांकन का कार्य करना भी एक अपराध है लेकिन हाल ही में कुछ द्वीपों के प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश संबंधी नियमों में छूट दी गई है।

संख्या

5.1 1901 से 1921 तक उनकी संख्या अनुमानतः 117 थी। 1931 में यह संख्या घटकर 50 हो गई और 1961 की जनगणना के लिये भी यही संख्या इस्तेमाल की गई थी।

5.2 1991 में इनकी संख्या 23 थी और 2001 की जनगणना के अनुसार, इनकी संख्या 39 (21 पुरुष 18 महिलाएँ) थी।

5.3 2011 की जनगणना के लिये जनगणना अधिकारी केवल 15 सेंटिलीज लोगों को ढूंढ सके जिनमें 12 पुरुष और तीन महिलाएँ थीं। हालाँकि, उनकी संख्या 40 से 400 के बीच भी हो सकती है।

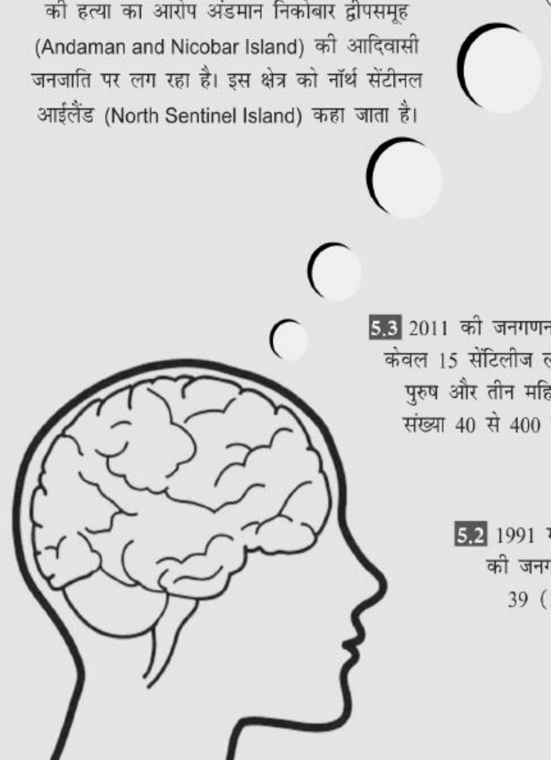

साक्षी सुरक्षा योजना

चर्चा का कारण

1.1 सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राज्यों को 'राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण' (National Legal Services Authority – NALSA) के परामर्श से भारत सरकार द्वारा तैयार की गई 'साक्षी सुरक्षा योजना (प्रारूप)' को लागू करने का निर्देश दिया है।

पृष्ठभूमि

2.1 पिछले साल नवंबर में सर्वोच्च न्यायालय ने केन्द्र सरकार से पूछा था कि वह देश में गवाहों के संरक्षण के लिए एक मसौदा योजना क्यों नहीं तैयार कर रही है जबकि इस संबंध में विशिष्ट प्रावधान पहले से ही राष्ट्रीय जांच एजेन्सी (एनआईएए) अधिनियम में है।

2.2 अदालत ने राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने के बाद केन्द्र को योजना को अंतिम रूप देने के लिए कहा था।

2.3 अप्रैल 2018 में केन्द्र सरकार ने शीर्ष अदालत को सूचित किया था कि उसने गवाह सुरक्षा योजना तैयार की है। जिसे 'साक्षी सुरक्षा योजना' नाम दिया गया है।

साक्षी सुरक्षा योजना के उद्देश्य

3.1 किसी साक्षी को बिना डरे या बदले की कार्रवाई के भय के बिना न्यायालय अथवा पुलिस के समक्ष साक्ष्य देने के लिए समर्थ बनाना।

3.2 यह सुनिश्चित करना कि आपराधिक मामलों की छानबीन, मुकदमे एवं सुनवाई के समय साक्षियों के धमकाए जाने से न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित न हो।

3.3 जो व्यक्ति अपराधिक मामलों में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग कर सकते हैं, उनको सुरक्षा दी जाए।

3.4 साक्षियों में यह भरोसा उत्पन्न किया जाए कि वे निर्भीक होकर सामने आएँ और कानून के लागू होने में पुलिस और न्यायालय का सहयोग करें।

3.5 इस योजना का उद्देश्य साक्षियों और उनके परिवार के सदस्यों को डराये जाने, जान से मारने की धमकी देने तथा उनके सम्मान और सम्पत्ति को क्षति पहुँचाने से बचाने के लिए उपाय खोजना है।

योजना की आवश्यकता

4.1 यह देखा जाता है कि गंभीर अपराधों में, विशेषकर उन अपराधों में जिनमें अपराधी शक्तिशाली, प्रभावशाली अथवा समृद्ध हैं, उन्होने या तो जिनके प्रति अपराध किया गया है अथवा वे जो इसके साक्षी हैं, वे सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समुदाय से होते हैं। इसलिए इनकी सुरक्षा करना न्याय की प्रक्रिया के लिए अति आवश्यक है। यह योजना इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है।

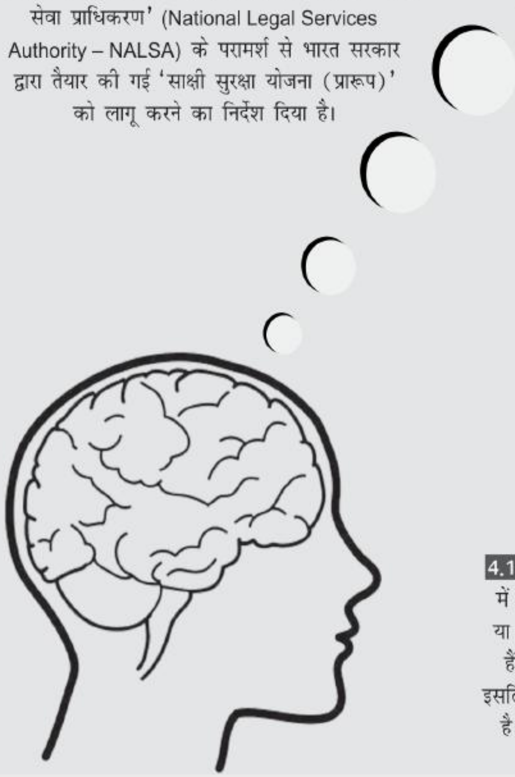

वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट

चर्चा का कारण

1.1 हाल ही में यूनेस्को ने वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट (2019) को जारी किया गया है।

रिपोर्ट के मुख्य तथ्य

2.1 मौसम के अनुसार पलायन (migration) के कारण भारत के ग्रामीण घरों में साक्षरता स्तर गिर जाता है।

2.2 2013 में भारत में ग्रामीण घरों में 6-14 वर्ष के 10.7 मिलियन बच्चे थे। ऐसे घरों में मौसम परिवर्तन के हिसाब से पलायन बड़ी यात्रा में होता है।

2.3 इन घरों के 15 से 19 वर्ष के युवाओं से 28% युवा निरक्षर थे अथवा अपनी प्राथमिक पाठशाला की पढ़ाई पूरी नहीं की थी। दूसरी ओर जिन घरों से पलायन नहीं होता था वहाँ 18% युवा ही निरक्षर थे।

2.4 सात शहरों के अध्ययन से पता चला कि वहाँ पलायन करके आने वाले बच्चों में 80% बच्चों के आस-पास पढ़ाई की कोई सुविधा नहीं थी और 40% बच्चे इधर-उधर का काम करने लगे, जहाँ उनका दुरूपयोग और शोषण हुआ।

2.5 2001 से 2011 के बीच राज्यों के भीतर पलायन की दर दोगुनी हो गई है। 2011 से लेकर 2016 तक प्रत्येक वर्ष 9 मिलियन लोगों का एक राज्य से दूसरे में पलायन हुआ। अभिवावकों के पलायन से बच्चों की पढ़ाई पर बुरा प्रभाव पड़ा।

निर्माण कार्य में लगे श्रमिक

3.1 पलायन की मार सबसे अधिक उन श्रमिकों पर पड़ी जो निर्माण कार्य करते हैं। पलायन करने वालों में सबसे अधिक यही श्रमिक होते हैं।

3.2 2015-16 में पंजाब राज्य में 3,000 ईंट-भट्ठा मजदूरों का सर्वेक्षण किया गया जिसमें पाया गया कि 60% मजदूर दूसरे राज्यों से आये थे।

3.3 इन भट्ठों के पास रहने वाले 5 से 14 वर्ष के बच्चों में से 65% से लेकर 80% तक बच्चे प्रतिदिन वहाँ पर 7 से 9 घंटे काम कर रहे थे। लगभग 77% भट्ठा मजदूरों ने बताया कि उनके बच्चों के लिए शिक्षा के साधन उपलब्ध नहीं है।

चिंताएँ

4.1 सरकार ने शिक्षा के प्रसार के लिए कई कदम उठाये हैं। परन्तु इन कदमों का लक्ष्य वे बच्चे हैं जो स्थिर रूप से अपने परिवार के साथ रहते हैं। आज आवश्यकता है उन बच्चों पर ध्यान देने की जो अपने अभिवावकों के साथ समय-समय पर काम के लिए शहरों में पलायन कर जाते हैं।

4.2 शहरों में झुग्गी-झोपड़ियाँ बढ़ती जा रही हैं, जहाँ पढ़ाई की व्यवस्था विरले ही होती है। यूनेस्को की वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट प्रतिवेदन, 2019 में बताया गया है कि भारत में एक लाख लोगों पर मात्र एक शहरी योजना निर्माता होता है जबकि इंग्लैंड में हर एक लाख पर ऐसे 38 कर्मचारी होते हैं।

ग्रोथ-इंडिया टेलीस्कोप

चर्चा का कारण

1.1 हाल ही में भारत के हनले (लद्दाख) में स्थित भारतीय खगोलीय वेधशाला (Indian Astronomical Observatory) में '0.7m ग्रोथ-इंडिया दूरबीन' ने अपना पहला वैज्ञानिक अवलोकन किया है, उल्लेखनीय है कि यह अवलोकन नोवा विस्फोट (nova explosion) का अनुवर्ती (follow up) अध्ययन है।

टेलीस्कोप के बारे में

2.1 ग्रोथ इंडिया नामक इस टेलीस्कोप ने 6 माह पहले ही काम करना शुरू किया है। इसका कैमरा हजारों-लाखों प्रकाश वर्ष दूर स्थित खगोलीय पिंडों को देख सकता है।

2.2 'नोवा M31N-2008' का अवलोकन इस दूरबीन द्वारा प्राप्त पहला वैज्ञानिक अवलोकन है। उल्लेखनीय है कि M31N-2008 नामक आवर्ती नोवा में कई बार विस्फोट हुआ है लेकिन हालिया विस्फोट नवंबर 2018 में हुआ।

2.3 संभवत: यह दूरबीन पूरी तरह से रोबोटिक है, अत: यह स्वयं कार्य करने में सक्षम है।

2.4 यह लगभग 10 से 15 सेकंड में आकाश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में अपना ध्यान केंद्रित कर सकता है।

नोवा क्या है?

3.1 नोवा किसी सफेद बौने तारे की सतह पर हाइड्रोजन एकत्रित होने के बाद उसमें होने वाला एक तीव्र विस्फोट है। इस विस्फोट में अनियंत्रित गति से नाभिकीय संलयन (Nuclear Fusion) होता है।

3.2 इसके कारण तारे की चमक में अस्थायी वृद्धि होती है। सुपरनोवा के विपरीत यह तारा विस्फोट के बाद अपनी पहले की अवस्था में वापस लौट आता है।

3.3 नोवा विस्फोट का अवलोकन खगोल विज्ञान में भले ही एक छोटा कदम हो लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों के लिये यह एक बड़ी उपलब्धि है क्योंकि यह इस दूरबीन द्वारा प्राप्त यह पहला अवलोकन है।

ग्रोथ इंडिया टेलीस्कोप के बारे में

4.1 ग्रोथ-इंडिया टेलीस्कोप ग्लोबल रिले ऑफ ऑब्जरवेटरी वाचिंग ट्रांजिएंट्स हैपन (Global Relay of Observatories Watching Transients Happen) का हिस्सा है।

4.2 भारत के अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, जर्मनी, ताइवान, यूके और इजराइल के विश्वविद्यालय और अनुसंधान संस्थान इस पहल का हिस्सा हैं।

4.3 इस पहल के तीन लक्ष्य हैं-

4.3.1 जब भी लीगो (LIGO- Laser Interferometer Gravitational wave Observatory) समूह बाइनरी न्यूट्रॉन स्टार के विलय की पहचान करता है तब उसके आस-पास के क्षेत्रों में विस्फोटों की खोज करना।

4.3.2 उसके पास स्थित युवा सुपरनोवा (supernova) विस्फोटों का अध्ययन करना।

4.3.3 आस-पास के क्षुद्र ग्रहों (asteroids) का अध्ययन करना।

सीबीआईः केंद्र बनाम राज्य

चर्चा का कारण

1.1 आंध्रप्रदेश के बाद अब पश्चिम बंगाल ने भी देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई की एंट्री पर रोक लगा दी है।

1.2 आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपने राज्य में बिना इजाजत सीबीआई की एंट्री और जांच करने पर रोक लगा दी थी, जिसके कुछ घंटों के बाद ही ममता बनर्जी ने नायडू की राह पर चलते हुए अपने राज्य में भी जांच एजेंसी की एंट्री पर रोक लगा दी।

क्या कहता है कानून

2.1 सीबीआई 'दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम, 1946' के जरिए बनी संस्था है। अधिनियम की धारा-5 में देश के सभी क्षेत्रों में सीबीआई को जांच की शक्तियां दी गई हैं किन्तु इस अधिनियम की धारा-6 में कहा गया है कि राज्य सरकार की सहमति के बिना सीबीआई उस राज्य के अधिकार क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकती है। आंध्र और प. बंगाल सरकार ने धारा-6 का ही इस्तेमाल करते हुए सहमति वापस ले ली है।

2.2 सीबीआई खुद मामले की जांच शुरू नहीं कर सकती। राज्य और केंद्र सरकार के कहने या हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही जांच कर सकती है। ऐसे में अगर कोई राज्य सीबीआई को बैन करता है तो कोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार का आदेश रद्द हो जाएगा।

सामान्य सहमति?

3.1 'सामान्य सहमति' आमतौर पर सीबीआई को संबंधित राज्य में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों की जाँच करने में मदद के लिये दी जाती है। और लगभग सभी राज्यों द्वारा ऐसी सहमति दे दी गई है।

3.2 यदि राज्यों द्वारा सहमति नहीं दी गई है तो सीबीआई को हर एक मामले में जाँच करने से पहले राज्य सरकार से सहमति लेना आवश्यक होगा।

3.3 सहमति वापस लेने से सीबीआई केवल आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल के अधिकार क्षेत्र में मामला दर्ज नहीं कर सकेगी। परंतु सीबीआई अब भी दिल्ली में मामला दर्ज कर सकती है और दोनों राज्यों में लोगों की जाँच का कार्य जारी रख सकती है।

3.4 दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश ने यह स्पष्ट कर दिया था कि अगर उस राज्य में, जिसने 'सामान्य सहमति' वापस ले ली है और वहाँ मामला दर्ज नहीं किया गया है तो सीबीआई वहाँ जाँच कर सकती है।

3.5 यह आदेश छत्तीसगढ़ (जोकि हर बार मामले के आधार पर सहमति देता है) में भ्रष्टाचार के मामले पर दिया गया था। अदालत ने आदेश दिया था कि सीबीआई छत्तीसगढ़ सरकार की पूर्व सहमति के बिना किसी भी मामले में जाँच कर सकती है क्योंकि यह मामला दिल्ली में पंजीकृत था।

3.6 सीबीआई अभी भी दिल्ली में मामला दर्ज कर सकती है, बशर्ते ऐसे मामलों के कुछ हिस्से दिल्ली से जुड़े हुए हों और इन मामलों के आधार पर सीबीआई मंत्रियों या सांसदों को गिरफ्तार कर उन पर मुकदमा चला सकती है।

चुनौतियाँ

4.1 सीबीआई का राजनीतिक इस्तेमाल अब तक की तमाम सरकारों ने किया है। 1990 के दशक से तो यह खुलकर होने लगा है। सीबीआई निदेशक का प्रधानमंत्री के कमरे में बैठना जैसी बातें उस जमाने में भी होती थीं।

4.2 नरसिंह राव के प्रधानमंत्रित्व काल में हवाला का मामला जब सामने आया था, तब भी ऐसा ही कहा गया था। बाद में तो शीर्ष अदालत ने इसे 'पिंजरे का तोता' तक कह दिया, जिसे तत्कालीन सीबीआई निदेशक रंजीत सिन्हा ने मान भी लिया।

4.3 सीबीआई के भीतर जो घमासान मचा है, उसने भी इसकी छवि को बर्बाद किया है। बेशक अंदरूनी रस्साकशी पहले भी थी, पर इसे यूं पहली बार सार्वजनिक किया गया है।

4.4 अब तक तमाम खामियों के बाद भी यह संतुलन बना हुआ था, मगर अब संस्थाओं में तकरार बढ़ने लगी है। इसकी वजह कुटिल सियासत है, क्योंकि राजनीतिक विवादों ने ही इन संस्थाओं की यह दुर्गति की है।

4.5 अब एक खतरा यह भी है कि अन्य गैर-भाजपा राज्य भी आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल की राह पर बढ़ सकते हैं। इससे काफी तनाव बढ़ जाएगा और सीबीआई जैसी संस्था मजाक बनकर रह जाएगी।

आगे की राह

5.1 हम सबको यह समझना चाहिए कि कोई भी लोकतंत्र या देश अपनी इन्हीं संस्थाओं के बूते जीता है और तरक्की करता है।

5.2 अगर संस्थाओं पर से विश्वास खत्म हो जाएगा, तो लोकतंत्र का ढांचा ही गिर जाएगा। लिहाजा यह वक्त आपस में मिल-बैठकर सीबीआई की साख बचाने का है।

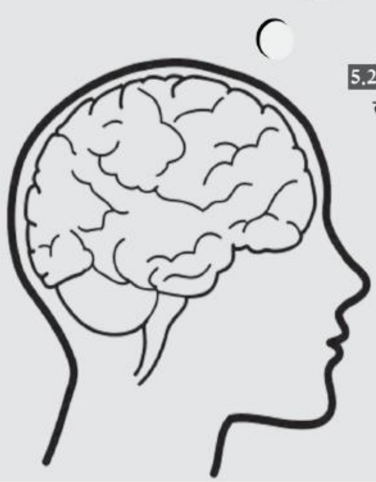

सात वस्तुनिष्ठ प्रश्न तथा उनके व्याख्या सहित उत्तर
(ब्रेन बूस्टर्स पर आधारित)

1. माइक्रोबायोम

प्र. माइक्रोबायोम (सूक्ष्मजीव) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. हाल ही में मुम्बई ने माइक्रोबायोम शोध पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की है।
2. हमारे शरीर में मानवकोशिकाओं के रूप में 10 गुना माइक्रोबायोम कोशिकाएं होती हैं।
3. ये सुक्ष्मजीव मानव शरीर की तुलना में 360 गुना अधिक जीन का योगदान करते हैं।
4. मानव शरीर में सूक्ष्मजीवों के विभिन्न समुदाय होते हैं जो मुख्य रूप से विषाणु होते हैं।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 3 और 4
(c) केवल 2 और 3 (d) केवल 1 और 4

उत्तरः (c)

व्याख्याः हाल ही में पुणे (न कि मुम्बई में) ने माइक्रोबायोम शोध पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की है अतः कथन 1 गलत है। मानव शरीर में सुक्ष्मजीवों के विभिन्न समुदाय होते हैं जो मुख्य रूप से जीवाणु होते हैं (न कि विषाणु) अतः कथन 4 भी गलत है। इस संदर्भ में शेष दो कथन सही हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय विज्ञान केन्द्र और नेशनल सेंटर फॉर माइक्रोबियल रिसोर्स ने पाँच साल के लिए इस परियोजना पर 150 करोड़ रुपये खर्च करने की मंजूरी दी है। ■

2. ग्लोबल स्टॉकटेक

प्र. ग्लोबल स्टॉकटेक (GST) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. पेरिस समझौते के तहत प्रत्येक देश को हर पाँच साल में एक जलवायु कार्रवाई योजना प्रस्तुत करनी होती है।
2. पेरिस समझौते के तहत, पहला वैश्विक स्टॉकटेक वर्ष 2023 में आयोजित होगा।
3. ग्लोबल स्टॉकटेक के लिए भारत ने 10 साल की अवधि की माँग है।
4. ग्लोबल स्टॉकटेक की अगली बैठक वर्ष 2019 में ब्राजील में बेसिक देशों द्वारा आयोजित की जाएगी।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 3 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 2, 3 और 4 (d) उपर्युक्त सभी

उत्तरः (d)

व्याख्याः हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर 27वीं आधारभूत मंत्रिस्तरीय बैठक 19-20 नवंबर, 2018 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। इस बैठक में विकसित देशों से जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए प्रभावी रूप से पेरिस समझौते को लागू करने के लिए विकासशील देशों को अपना समर्थन बढ़ाने का आग्रह किया गया। इस संदर्भ में उपर्युक्त सभी कथन सही हैं। ■

3. सेंटिलीज जनजाति

प्र. हाल ही में चर्चित सेंटिलीज जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. अंडमान के उत्तर में नार्थ सेंटिलीज द्वीप पर रहने वाली यह जनजाति निग्रिटो समुदाय की है।
2. जीनोम अध्ययन के अनुसार, यह जनजाति 30,000 साल पहले से अंडमान द्वीप पर रहती है।
3. ये उन जनजातियों में से हैं जो 2004 के सुनामी से बाहरी दुनिया की मदद के बिना सुरक्षित बचने में सफल रही।
4. बंगाल की खाड़ी में चारों तरफ समुद्र से घिरे इस भारतीय टापू पर केवल समुद्री मार्ग से ही पहुँच सकते हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से कथन सही है/ हैं?

(a) 1, 2, 3 और 4 (b) केवल 3 और 4
(c) केवल 1, 2 और 3 (d) उपर्युक्त मे से कोई नहीं

उत्तरः (a)

व्याख्याः अमेरिकी पर्यटक 'जॉन एलेन चाऊ' की हत्या का आरोप अंडमान निकोबार द्वीप समूह की आदिवासी जनजाति पर लगा है। इस क्षेत्र को नार्थ सेंटिलीज आईलैंड कहा जाता है। इस जनजाति को औपचारिक तौर पर कोई नाम नहीं दिया गया है। चूँकि ये उत्तरी सेंटिलीज द्वीप पर रहते हैं, इसलिए इन्हें नार्थ सेंटिलीज जनजाति कहा जाता है। इस संदर्भ में उपर्युक्त सभी कथन सही हैं। ■

4. साक्षी सुरक्षा योजना

प्र. साक्षी सुरक्षा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. इस योजना के तहत यह सुनिश्चित करना है कि आपराधिक मामलों की छानबीन, मुकदमे एवं सुनवाई के समय साक्षियों को धमकाए जाने से न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित न हो।
2. इस योजना के तहत, जो व्यक्ति आपराधिक मामलों में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग कर सकते हैं उनको सुरक्षा दी जाए।
3. इस योजना का उद्देश्य साक्षियों और उनके परिवार के सदस्यों को

डराये जाने, जान से मारने की धमकी देने तथा उनके सम्मान और सम्पत्ति को क्षति पहुँचाने से बचाने के लिए उपाय खोजना है।

4. इस योजना के तहत साक्षियों में यह भरोसा उत्पन्न किया जाए जिससे कि वे निर्भिक होकर सामने आएं और कानून के लागू होने में पुलिस और न्यायालय को सहयोग करें।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से कथन सही है/ हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 3 व 4
(c) केवल 2 (d) उपर्युक्त सभी

उत्तर: (d)

व्याख्या: हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राज्यों को 'राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण' के परामर्श से भारत सरकार द्वारा तैयार की गई साक्षी (प्रारूप) को लागू करने का निर्देश दिया है। ज्ञातव्य है कि अप्रैल, 2018 में केन्द्र सरकार ने शीर्ष अदालत को सूचित किया था कि उसने साक्षी सुरक्षा योजना तैयार की है। अत: इस संदर्भ में उपर्युक्त सभी कथन सही हैं। ■

5. वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट

प्र. वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. मौसम के अनुसार पलायन के कारण भारत के ग्रामीण घरों में साक्षरता का स्तर बढ़ जाता है।
2. 2001 और 2011 के बीच राज्यों के भीतर पलायन की दर 5 गुनी हो गई है।
3. 2011 से लेकर 2016 तक प्रत्येक वर्ष 9 मिलियन लोगों का एक राज्य से दूसरे राज्य में पलायन हुआ।
4. 15 शहरों के अध्ययन से पता चला है कि पलायन करने वाले बच्चों में 80% बच्चों के पास पढ़ाई की कोई सुविधा नहीं थी।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) 1, 2, और 4 (b) केवल 3
(c) केवल 1 और 2 (d) केवल 2 और 4

उत्तर: (b)

व्याख्या: हाल ही में यूनेस्को UNESCO ने 2019 की वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार, मौसम के अनुसार पलायन के कारण भारत के ग्रामीण घरों में साक्षरता का स्तर कम हो जाता है न कि बढ़ जाता है अत: कथन 1 गलत है। 2001 और 2011 के बीच राज्यों के भीतर पलायन की दर 2 गुनी (न कि 5 गुनी) हो गई है अत: कथन 2 भी गलत है वहीं 7 शहरों (न कि 15 शहरों) के अध्ययन से पता चला है कि पलायन करने वाले बच्चों में 80% बच्चों के पास पढ़ाई की कोई सुविधा नहीं थी अत: कथन 4 भी गलत है। अत: उत्तर (b) होगा। ■

6. ग्रोथ-इंडिया टेलीस्कोप

प्र. ग्रोथ इंडिया टेलीस्कोप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. इसका कैमरा हजारों-लाखों प्रकाश वर्ष दूर स्थित खगोलीय पिंडों को देख सकता है।
2. संभवत: यह दूरबीन पूरी तरह से रोबोटिक है अत: यह स्वयं कार्य करने में सक्षम है।
3. यह लगभग 10-15 सेकेंड में आकाश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में अपना ध्यान केन्द्रित कर सकता है।
4. ग्रोथ-इंडिया टेलीस्कोप, ग्लोबल रिले ऑफ ऑब्जरवेटरी वाचिंग ट्रांजिएंट्स हैपेन (Globle Relay of Observatories watching Transients Happen) का हिस्सा है।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से कथन सही नही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 3 और 4
(c) 1, 2, 3 और 4 (d) कोई नहीं

उत्तर: (c)

व्याख्या: हाल ही में भारत के हनले, लद्दाख (Hanle, Ladakh) में स्थित भारतीय खगोलीय वेधशाला में '0.7m ग्रोथ-इंडिया दूरबीन' ने अपना पहला वैज्ञानिक अवलोकन किया है। उल्लेखनीय है कि ग्रोथ-इंडिया नामक टेलीस्कोप ने 6 माह पहले ही काम करना शुरू किया है। इस संदर्भ में उपर्युक्त वर्णित सभी कथन सही हैं। ■

7. सीबीआई: केन्द्र बनाम राज्य

प्र. सीबीआई: केन्द्र बनाम राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. सीबीआई, 'दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम; 1946' के जरिए बनी संस्था है।
2. अधिनियम की धारा-5 में देश के सभी क्षेत्रों में सीबीआई को जाँच की शक्तियाँ दी गई है।
3. इस अधिनियम की धारा-6 में कहा गया है कि राज्य सरकार की सहमति के बिना सीबीआई उस राज्य के अधिकार क्षेत्र में प्रवेश कर सकती है।
4. सीबीआई खुद मामलों की जाँच शुरू कर सकती है।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 3 और 4
(c) केवल 2 और 3 (d) उपर्युक्त सभी

उत्तर: (a)

व्याख्या: हाल ही में आंध्रप्रदेश के बाद अब पश्चिम बंगाल ने भी देश की सबसे बड़ी जाँच एजेंसी सीबीआई की अपने-अपने राज्य में प्रवेश पर रोक लगा दी है। ज्ञातव्य है कि सीबीआई, में दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम-1946 के जरिए बनी संस्था है। इस अधिनियम की धारा-6 में कहा गया है कि राज्य सरकार के सहमति के बिना सीबीआई उस राज्य के अधिकार क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकती है। अत: कथन 3 गलत है। इसी तरह सीबीआई खुद मामलों की जाँच शुरू नहीं कर सकती हैं अत: कथन 4 भी गलत है। इस संदर्भ में शेष सभी कथन सही हैं। ■

सात महत्वपूर्ण तथ्य

1. किसे भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?

- सुनील अरोड़ा

2. माउंटेन मेडिसिन पर 12वीं विश्व कांग्रेस की मेजबानी किस देश ने की?

- काठमांडू (नेपाल)

3. किस राज्य में 70 फीट लंबी भगवान बुद्ध की मूर्ति का अनावरण किया गया है?

- बिहार

4. किस महिला बॉक्सिंग खिलाड़ी ने 6वाँ महिला विश्व मुक्केबाजी चैम्पियनशिप जीती है?

- एम.सी मैरी कॉम

5. किस राज्य विधानसभा ने उत्तरी बंगाल के बस्तियों में निवास करने वाले लोगों को भूमि अधिकार देने के लिए एक विधेयक पारित किया है?

- पश्चिम बंगाल

6. किस राज्य सरकार ने भूमि अभिलेखों को लोगों के लिए सुलभ बनाने के लिए 'भुदर' पोर्टल लॉन्च किया है?

- आंध्रप्रदेश

7. किस राष्ट्र ने घरेलू स्वर्ण परिषद स्थापित करने का निर्णय लिया है?

- भारत

सात महत्वपूर्ण अंतरिक्ष मिशन

1. केपलर स्पेस टेलिस्कोप

- नासा का ग्रहों की खोज करने वाला केपलर स्पेस टेलिस्कोप मिशन समाप्त हो गया है। यह दूरबीन नौ साल की सेवा के बाद रिटायर होने वाली है। वैज्ञानिकों ने बताया है कि 2,600 ग्रहों की खोज में मदद करने वाली केपलर दूरबीन का ईंधन खत्म हो गया है इसलिए इसे रिटायर किया जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि 2009 में स्थापित इस दूरबीन ने अरबों छिपे हुए ग्रहों से अवगत कराया और ब्रह्मांड की समझ को बेहतर बनाया।
- नासा की ओर से जारी बयान के अनुसार, केपलर दूरबीन ने दिखाया कि रात में आकाश में दिखने वाले 20 से 50 प्रतिशत तारों के सौरमंडल में पृथ्वी के आकार के ग्रह हैं और वे अपने तारों के रहने योग्य क्षेत्र के भीतर स्थित हैं।
- केपलर का ईंधन पूरी तरह से खत्म होने से पहले ही वैज्ञानिक उसके पास मौजूद सारा डेटा एकत्र करने में सफल रहे। नासा का कहना है कि फिलहाल केपलर धरती से दूर सुरक्षित कक्षा में है। नासा ने केपलर के ट्विटर हैंडल से इसके बारे में डीटेल देते हुए ट्वीट भी किया गया। इसके मुताबिक यह टेलिस्कोप 9.6 साल स्पेस में रहा। 5,30,506 तारों का अवलोकन किया। इसमें से 2,663 ग्रहों की पुष्टि की गई।

2. स्पिट्जर दूरबीन

- नासा के स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप (दूरबीन) को अंतरिक्ष में 15 साल पूरे हो गए हैं। इस मिशन की अवधि शुरुआत में 2.5 वर्ष रखी गई थी।
- इस टेलीस्कोप ने 'TRAPPIST-1' तारे की परिक्रमा कर रहे सात ग्रहों की खोज के साथ-साथ शुरुआत में बनी आकाशगंगाओं के अध्ययन में भी विशेष योगदान दिया है।
- नासा ने यह प्रोग्राम अंतरिक्ष में मौजूद पराबैंगनी किरणों, एक्स रे, गामा रे आदि की वेवलेंथ व ऊर्जा की विभिन्न टेक्नोलॉजी की जांच के लिए भी लांच किया था। इस टेलीस्कोप की मदद से सौर मंडल के साथ ही अन्य तारों का चक्कर लगा रहे ग्रहों और अंतरिक्ष में होने वाली घटनाओं के बारे में कई रोचक जानकारियां मिलीं हैं।

सर्वाधिक आयु वाला दूरबीन

- यह अमेरिका के 'ग्रेट आब्जर्वेटरी कार्यक्रम' में शामिल सर्वाधिक आयु वाला दूरबीन है। ग्रेट आब्जर्वेटरी में चार बड़े दूरबीन हैं, जिनमें स्पिट्जर के अलावा हब्बल स्पेस टेलीस्कोप, कॉप्टन गामा रे आब्जर्वेटरी (सीजीआरओ) और चंद्र एक्स-रे आब्जर्वेटरी शामिल हैं।
- इन दूरबीनों के माध्यम से प्रकाश के अलग-अलग और पूरक तरंग आयामों से ब्रह्मांड का अवलोकन किया जाता है।
- 15 साल के मिशन के दौरान में स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप ने कई आकाशगंगाओं के बारे में डाटा एकत्र किया। शनि ग्रह का नया रिंग खोजने के साथ ही यह नए तारों और ब्लैक होल से भी संबंधित जानकारी भी जुटा रहा है। सौर मंडल के बाहर स्थित ग्रहों की खोज में भी इस टेलीस्कोप की अहम भूमिका रही।

स्पिट्ज़र स्पेस टेलीस्कोप

- स्पिट्ज़र स्पेस टेलीस्कोप (दूरबीन) एक खगोलीय दूरदर्शी है जो अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह के रूप में स्थित है।
- यह ब्रह्माण्ड की विभिन्न वस्तुओं की अवरक्त (Infrared) प्रकाश में जाँच करती है।
- इसे वर्ष 2003 में रॉकेट के जरिये अमेरिकी अंतरिक्ष अनुसन्धान संस्था ''नासा'' ने अंतरिक्ष में पहुँचाकर पृथ्वी के इर्द-गिर्द कक्षा (ऑरबिट) में डाला था।
- इसे चलते रहने के लिए अति-ठंडी द्रव हीलियम (Liquid Helium) की आवश्यकता थी जो 15 मई, 2009 को खत्म हो गया।
- उसके बाद से इस यान पर मौजूद अधिकतर यंत्रों ने काम करना बंद कर दिया लेकिन इसका कैमरा कुछ हद तक अभी भी खगोलीय वस्तुओं की तस्वीरें उतारने में सक्षम है।

3. आइससेट-2 उपग्रह

- अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने एक ऐसा उपग्रह लांच किया है, जो धरती पर बर्फ की परतों, ग्लेशियरों और समुद्री बर्फ में होने वाले बदलावों का पता लगाएगा। उपग्रह को आइससेट-2

(ICESat-2 = आइस, क्लाउड एंड लैंड एलीवेशन सेटेलाइट) नाम दिया गया है। इसे अमेरिका के वैंडेनबर्ग एयरफोर्स बेस से भारतीय समयानुसार दोपहर 3.32 बजे 'डेल्टा-2 रॉकेट' के जरिये लांच किया गया है। 'आइससेट-2' में वर्तमान में प्रयोग हो रही तकनीकों से बेहतर और आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। यह उपग्रह ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका को ढकने वाली बर्फ की ऊंचाई में औसत बदलाव का पता लगाएगा। साथ ही बताएगा कि इनके जलस्तर को बढ़ाने में बर्फ की कितनी भूमिका है। यह सेटेलाइट, नासा के 2003 में शुरु हुए 'आइससेट सेटेलाइट मिशन' (ICESat Satellite Mission) का एक हिस्सा है। इस मिशन के अन्तर्गत, प्रथम उपग्रह सन् 2003 में ही 'आइससेट-1' लाँच किया गया था।

- नासा के मुताबिक, एक अरब डॉलर की लागत से बना आइससेट-2 धरती पर बर्फ की परतों, ग्लेशियरों और समुद्री बर्फ में होने वाले बदलावों की सटीक जानकारी देगा। खास तकनीक के कारण यह बर्फ की ऊंचाई में आने वाले छोटे बदलाव का भी आसानी से पता लगा सकता है। इससे शोधकर्ताओं को काफी मदद मिलेगी।
- आइससेट-2, 'उन्नत टोपोग्राफिक लेजर एल्टीमीटर सिस्टम' (ATLAS) के जरिये बर्फ की ऊंचाई में बदलाव के साथ जंगलों की ऊंचाई का भी पता लगाएगा। 'ATLAS सिस्टम', फोटॉन का इस्तेमाल करके जानकारी एकत्र करता है। पृथ्वी की सतह पर मौजूद बर्फ आदि से जब फोटॉन परावर्तित होकर 'आइससेट-2' उपग्रह पर पहुँचेंगे, तो उसमें मौजूद 'ATLAS सिस्टम' उन्हें कैच (Catch) करके बर्फ के बारे में जानकारी एकत्र करेगा। इससे प्राप्त जानकारी से समुद्री लहरों और तूफानों के स्तर का भी पता लगाया जा सकेगा।
- आइससेट-1, कम उन्नत किस्म की एक लेजर बीम के जरिये धरती पर बर्फ की परतों की ऊंचाई का पता लगाता था, जबकि 'आइससेट-2' छह उन्नत किस्म की लेजर बीम के जरिए यह काम करेगा।
- आइससेट-1, फुटबॉल मैदान के बराबर बर्फ की परतों में बदलाव को मापने में ही सक्षम था, जबकि आइससेट-2 एक इंच के छठवें हिस्से यानी पेंसिल की चौड़ाई के बराबर बदलाव को भी माप सकता है।

4. नासा का गुब्बारा मिशन

- हाल ही में नासा ने 'गुब्बारा अभियान' (Balloon Mission) से खींचे गये छायाचित्रों का विश्लेषण करना आरम्भ कर दिया है।
- ज्ञातव्य है कि इस अभियान के तहत हाल ही में रात में ध्रुवों के ऊपर चमकने वाले बादलों, नॉक्टीलुसेंट बादल (Noctilucent Clouds) अथवा पोलर मीसोस्फेरिक बादल (Polar Mesospheric Clouds), के चित्र खींचे गए थे। इन चित्रों के अध्ययन से वैज्ञानिकों को वायुमंडल तथा समुद्रों, झीलों और अन्य ग्रहीय वायुमंडलों के क्षोभ (Turbulence) को अधिक अच्छे से समझने में सहायता मिलेगी।

गुब्बारा अभियान क्या है?

- 28 जुलाई, 2018 को नासा ने टर्बो अभियान के तहत एक विशाल गुब्बारा छोड़ा था जो धरातल से 50 मील ऊपर स्थापित किया गया था। यह गुब्बारा पाँच दिनों तक समताप मंडल में स्वीडन के 'Esrange' से लेकर कनाडा के 'Western Nunavut' तक आर्कटिक के ऊपर उड़ता रहा। इस दौरान गुब्बारे के ऊपर रखे कैमरों ने 60 लाख अत्यंत साफ (high resolution) चित्र खींचे, इनसे वायुमंडलीय क्षोभ की प्रक्रिया का पता चलता है।

पोलर मीसोस्फेरिक बादल (PMCs) क्या हैं?

- पोलर मीसोस्फेरिक बादल (PMCs), गर्मियों में ध्रुवों के ऊपर 50 मील की ऊँचाई पर बनते हैं। ये हिमकणों के बने होते हैं और आकाश में फीकी रेखाओं के समान दिखते हैं। ये बादल सायंकाल में तभी दिखाई पड़ते हैं जब सूरज के किरणों के कारण इनका रंग तेज नीला अथवा उजला हो जाता है।
- ये बादल वायुमंडलीय गुरुत्व लहरों से प्रभावित होते हैं, जो वायु के संवहन के कारण एवं वायु के ऊपर उठने के कारण बनती हैं। वायु के ऊपर उठने का कारण कभी-कभी पर्वतीय शृंखलाएँ भी होती हैं। ये लहरें निचले वायुमंडल की ऊर्जा को मीसीस्फेयर (मध्य वायुमंडल) तक ले जाने में बड़ी भूमिका निभाती हैं।

5. नासा का न्यू होराइजन प्रोब

- अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी 'नासा' एक नया कीर्तिमान स्थापित करने की दहलीज पर पहुंच गई है। उसका एक अंतरिक्ष यान अब तक की सबसे लंबी दूरी तय कर दूरस्थ पिंड तक पहुंचने वाला है। संभावना जताई जा रही है कि नए साल पर यह रिकॉर्ड बन जाएगा। दरअसल, नासा का 'न्यू होराइजन प्रोब' (New Horizons Probe) अंतरिक्ष यान सबसे दूर कुपियर बेल्ट में स्थित अल्टिमा थुले नामक पिंड तक पहुंचने वाला है, जो कि किसी अंतरिक्ष यान के सबसे दूर स्थित किसी पिंड तक पहुंचने का रिकॉर्ड होगा।
- नासा के मुताबिक, इस अंतरिक्ष यान ने तीन अक्टूबर को उस पिंड की स्थिति का पता लगाने में सफलता हासिल की। बयान में कहा गया है कि एक जनवरी, 2019 को इसके अल्टिमा

थुले नामक पिंड तक पहुंचने की उम्मीद है। वर्ष 2014 में इस पिंड का आधिकारिक नाम 'एमयू69' रखा गया था।

- पिंड जहां स्थित है वह दूरी प्लूटो से भी एक अरब मील अधिक है। अल्टिमा थुले, धरती से 6.6 अरब किलोमीटर दूर है यह सर्वाधिक दूर मौजूद पिंड है, जिस तरफ कोई अंतरिक्ष यान बढ़ रहा है।
- नासा के मुताबिक, पिछले सप्ताह जब न्यू होराइजन की स्थिति को सुधारा गया तब वह धरती से 6.35 अरब किलोमीटर दूर था। यह पहली बार है जब इतनी दूरी पर किसी अंतरिक्ष यान की स्थिति में सुधार किया गया है।
- इस अंतरिक्ष यान में लगे बेहद शक्तिशाली यंत्र तस्वीरें उतार रहे हैं। न्यू होराइजन के 'लॉन्ग रेंज रिकोनिसेंस इमेजर' (एलओआरआरआइ) से ली गई तस्वीरें, इस अंतरिक्ष यान को अल्टिमा थुले की स्थिति की जानकारी दे रही हैं। साथ ही पृथ्वी पर मौजूद टीम को भी बता रही हैं कि यह अंतरिक्ष यान सही दिशा में बढ़ रहा है या नहीं।

6. नासा का 'डॉन' अंतरिक्षयान

- क्षुद्रग्रहों की पट्टी में दो सबसे बड़े क्षुद्रग्रहों का चक्कर लगाने वाले नासा के 'डॉन' (Dawn) अंतरिक्षयान में ईंधन समाप्त होने के बाद, इसका ऐतिहासिक 11 साल पुराना मिशन समाप्त हो गया। इस मिशन ने हमारे सौरमंडल के कई रहस्यों को उजागर किया था। 46.7 करोड़ डॉलर की लागत वाला यह मिशन 2007 में शुरू किया गया था जिसका उद्देश्य क्षुद्रग्रहों 'वेस्टा' और 'केयर्स' का अध्ययन करना था। नासा के अनुसार, यह अंतरिक्षयान 31 अक्टूबर और एक नवंबर को नासा के 'डीप स्पेस नेटवर्क' के साथ निर्धारित संपर्क साधने में विफल रहा। जब विशेषज्ञों ने संपर्क नहीं होने के संभावित कारणों का पता लगाया तो यान के ईंधन (हाइड्रोजन) की समाप्ति का पता चला। नासा का कहना है कि हमने डॉन पर बहुत ज्यादा काम का बोझ डाला था, लेकिन उसने सभी काम बखूबी पूरे किए। इतने अच्छे अंतरिक्ष यान को रिटायर करना आसान कार्य नहीं है।

7. मिशन मरकरी

- जापान एवं यूरोपीय संघ का संयुक्त मिशन 'बेपीकोलंबो उपग्रह मिशन' (Bepicolombo Satellite Mission) 19 अक्टूबर, 2018 को बुध ग्रह (Mercury Planet) का अध्ययन करने के लिए फ्रेंच गुयाना के कौरू से एरियन रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया।
- इसमें संयुक्त रूप से दो उपग्रह प्रक्षेपित किए गए हैं जिनमें एक जापान की एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी का जबकि दूसरा यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का है।
- सात वर्षों की यात्रा के पश्चात यह वर्ष 2025 में बुध ग्रह पर पहुंचेगा। वहां पहुंचने के पश्चात ये दोनों उपग्रह अलग हो जाएंगे और बुध ग्रह का अध्ययन करेंगे।
- इस मिशन में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का 'मर्करी प्लैनेटरी ऑर्बिटर' (Murcury Planetary Orbiter: MPO) तथा जापान का 'मर्करी मैग्नेटोस्फेयरिक ऑर्बिटर' (Mercury Magnetospheric Orbiter: MMO) की अलग-अलग भूमिका होगी।
- बुध ग्रह का अध्ययन करने के लिए यह तीसरा मिशन है। 1970 के दशक के नासा के मैरिनर व 2004 में नासा के मैसेंजर के पश्चात् यह मर्करी मिशन लॉन्च किया गया है।
- बेपीकोलंबो मिशन, बुध की कक्षा में महज कुछ महीनों में ही पहुंच सकता था परंतु इसकी अधिक गति इसे सूर्य के गुरुत्वाकर्षण में फंसा देती जिससे यह बुध ग्रह के पास नहीं रूक पाता इसलिए यह वृत्तीय पथ से यात्रा करेगा।

सात महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न (मुख्य परीक्षा हेतु)

1. भारत एवं ऑस्ट्रेलिया, दोनों ने ही औपनिवेशिक प्रणाली से मुक्ति पाकर अपने यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था को सफलतापूर्वक स्थापित किया है। उन आधारभूत सिद्धांतों का परीक्षण कीजिए जिनपर ये दोनों राजनीतिक तंत्र विस्तारवादी व आक्रामक नीति से हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में सामना कर सकें।

2. 'हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केन्द्र (ISS) को 20 वर्ष पूरे हुए हैं। आईएसएस को रूस ने प्रक्षेपित किया था और अमेरिका ने इसका वित्तीय पोषण किया था। असीम संभावनाओं से युक्त अंतरिक्ष क्षेत्र में इस प्रकार का वैश्विक सहयोग ही दुनिया को आगे ले जायेगा।' उपर्युक्त कथन का परीक्षण कीजिए।

3. आदिवासी संस्कृति की रक्षा करने हेतु सरकार जनजातीय क्षेत्रों को संरक्षित करने का प्रयास करती है। एक मानव के रूप में आदिवासियों को किसी परिधि में बाँधना कहाँ तक उचित है? आलोचनात्मक मूल्यांकन करें।

4. पर्यटन किसी देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में किस प्रकार महत्वपूर्ण होता है? हाल ही में त्रिपुरा में आयोजित हाने वाले 7वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का उत्तर-पूर्व में पर्यटन गतिविधियों में योगदान का मूल्यांकन कीजिए।

5. हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 'शी-बॉक्स' को सभी प्रमुख सरकारी प्राधिकारियों से लिंक कर दिया है। मंत्रालय का यह प्रयास महिला सुरक्षा में कहाँ तक योगदान दे पायेगा? परीक्षण कीजिए।

6. सिविल सेवाओं के संदर्भ में सार्विक प्रकृति (Universal Nature) के, तीन आधारिक मूल्यों (Basic Values) को बताइए और उनके महत्त्व को उजागर कीजिए।

7. ''सूचना का अधिकार अधिनियम केवल नागरिकों के सशक्तिकरण के बारे में नहीं है, अपितु यह आवश्यक रूप से जवाबदेही को पुन: परिभाषित (Redefines) करता है।'' विवेचना कीजिए।

ध्येय IAS®
most trusted since 2003
Dhyeya IAS has been writing success stories for one and a half decades. Once again Dhyeya IAS has scripted new saga of success with 120+ selections.
SHIVANI GOYAL AIR-15
GAURAV KUMAR AIR-34
VISHAL MISHRA AIR-49
AMOL SHRIVASTAVA AIR-83
PRATEEK JAIN AIR-86
SUNNY KUMAR SINGH AIR-91
PRIYANKA BOTHRA AIR-106
SURAJ KUMAR RAI AIR-117
DEEPANSHU KHURANA AIR-120
SAURABH SABHLOK AIR-124
ABHINAV CHOUKSEY AIR-143
ANIRUDH AIR-146
DESHMUKH YATISH VAJIRAO AIR159
SAURABH GUPTA AIR-192
SAI PRANEETH AIR-196
SHUBHAM AGGARWAL AIR-202
HARSH SINGH AIR-244
KATYAYANI BHATIA AIR-246
SHIV NARAYAN SHARMA AIR-278
SHAKTI MOHAN AWASTHY AIR-296
LAVANYA GUPTA AIR-298
BUDUMAJJI SATYA PRASAD AIR-313
GAURAV GARG AIR-315
SHAIKH SALMAN AIR-339
YOGNIK BHAGEL AIR-340
SAKSHI GARG AIR-350
AMIT KUMAR AIR-361
PUNEET SINGH AIR-383
ANUPAMA ANJALI AIR-386
VIJAY TANEJA AIR-388
NSR REDDY AIR-417
DHEERAJ AGARWAL AIR-423
VIKRANT SAHDEO MORE AIR-430
ADITYA JHA AIR-431
KIRTI GOYAL AIR-432
VIKAS SINGH AIR-438
FURQAN AKHTAR AIR-444
SHIVANI KAPUR AIR-469
P SAINATH AIR-480
JAGPRAVESH AIR-483
POOJA SHOKEEN AIR-516
ASHUTOSH SHUKLA AIR-548
LAKHAN SINGH YADAV AIR-565
VIKAS MEENA AIR-568
MONIKA RANA AIR-577
OMPRAKASH JAT AIR-582
SWAPNIL YADAV AIR-591
CHETAN KUMAR MEENA AIR-594
UTSAHA CHAUDHARY AIR-599
MALYAJ SINGH AIR-601
GANESH TENGALE AIR-614
AKSHAY KUMAR TEMRAWAL AIR-615
DINESH KUMAR AIR-638
VIJAYNDRA R AIR-666
J SONAL AIR-638
SHAHID T KOMATH AIR-693
SHINDE AMIT LAXMAN AIR-705
ANIL KUMAR VERMA AIR-732
NILESH TAMBE AIR-733
ANUPAM JAKHAR AIR-739
RATANDEEP GUPTA AIR-767
JAI KISHAN AIR-768
PANKAJ YADAV AIR-782
SHEERAT FATIMA AIR-810
MANOJ KUMAR RAWAT AIR-824
ARIF KHAN AIR-850
SANDEEP MEENA AIR-852
ABHINAV GOPAL AIR-865
SHIV SINGH MEENA AIR-909
& many more...

ध्येय IAS most trusted since 2003

EDGE for IAS

Dhyeya Student Portal

FREE REGISTRATION

ध्येय IAS (most trusted since 2003) संस्थान ने सिविल सेवा परीक्षा की वर्तमान मांगों को समझते हुए अंग्रेजी के साथ-साथ हिन्दी माध्यम, विशेषकर **ग्रामीण पृष्ठभूमि** के अभ्यर्थियों को लाभान्वित करने हेतु, ''ध्येय स्टुडेन्ट पोर्टल'' के रूप में एक ई-प्लेटफार्म का प्रारंभ किया है।

''ध्येय स्टुडेंट पोर्टल'', अंग्रेजी एवं विशेषकर हिन्दी में, **प्रतिदिन उत्तर लेखन अभ्यास** एवं उनका **मूल्यांकन** तथा **निबंध लेखन** व **समसामयिक मुद्दों** पर सटीक सामग्री उपलब्ध करवाने के साथ-साथ उनकी चर्चा के लिए एक प्रभावी प्लेटफार्म उपलब्ध करवाता है।

ON LINE TEST : VIDEOS: CURRENT AFFAIRS: DISCUSSION	DAILY Q & A CHECKING ARTICLE ANALYSIS ESSAY AND MUCH MORE

अन्य संस्थानों एवं ई-पोर्टलों की अपेक्षा ध्येय पोर्टल की विशिष्टता–

IAS/PCS परीक्षाओं में सफलता हेतु अपेक्षित मानदण्ड		ध्येय स्टुडेन्ट पोर्टल	अन्य पोर्टल एवं साइट्स
● उत्तर लेखन अभ्यास (प्रतिदिन)	हिन्दी	✓	✕
	अंग्रेजी	✓	✓
● उत्तर का मूल्याकंन (प्रतिदिन)	हिन्दी	✓	✕
	अंग्रेजी	✓	✓ (कुछ साइट्स)
● मॉडल उत्तर (प्रतिदिन)	हिन्दी	✓	✕
	अंग्रेजी	✓	✕
समसामयिक घटनाएं/मुद्दे ● विश्लेषण व प्रश्नोत्तर (दैनिक एवं साप्ताहिक)	हिन्दी	✓	✓ (कुछ साइट्स)
	अंग्रेजी	✓	✓
निबंध-लेखन और Ethics case study ● अभ्यास एवं मूल्यांकन (पाक्षिक)	हिन्दी	✓	✕
	अंग्रेजी	✓	✕

For details Login www.Dhyeyaias.com ⟶ Students Portal Login

Toll Free: 18004194445, 9205274741/42/43/44

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

UPPCS Mains Test Series 2018

Date	Test	Subjects
02 Dec.	Test-1 - (12:00Noon-3:00pm)	Modern India, India After Independence, World History, History of Uttar Pradesh
09 Dec.	Test-2 - (12:00Noon-3:00pm)	Social Issues, Art & Culture , Uttar Pradesh (Social Issues, Art & Culture)
16 Dec.	Test-3 - (12:00Noon-3:00pm)	World Geography, Indian Geography, Geography of Uttar Pradesh
23 Dec.	Test-4 - (12:00Noon-3:00pm)	Indian Polity, Constitution, In special reference of Uttar Pradesh
30 Dec.	Test-5 - (12:00Noon-3:00pm)	Governance and Public Policy, International Relation In Special Reference of Uttar Pradesh
06 Jan.	Test-6 - (12:00Noon-3:00pm)	Indian Economy, Internal Security in Special Reference of Uttar Pradesh
13 Jan.	Test-7 - (12:00Noon-3:00pm)	Science & Tech., Disaster Management, Ecology & Environment
20 Jan.	Test-8 - (12:00Noon-3:00pm)	Ethics (Paper-I) Ethics and Human Interface, Attitude, E.I. and Thinkers with Case Study
27 Jan.	Test-9 - (12:00Noon-3:00pm)	Ethics (Paper-II) Aptitude and Value of Civil Services, Ethics in P.A., Probity in Govt. with Case Study
03 Feb.	Test-10 - (12:00Noon-3:00pm)	General Studies (Paper-I) Full Test
	Test-11 - (3:30pm-6:30pm)	Hindi Full Test
10 Feb.	Test-12 - (12:00Noon-3:00pm)	General Studies (Paper-II) Full Test
	Test-13 - (3:30pm-6:30pm)	Essay
17 Feb.	Test-14 - (12:00Noon-3:00pm)	General Studies (Paper-III) Full Test
	Test-15 - (3:30pm-6:30pm)	Hindi Full Test
24 Feb.	Test-16 - (12:00Noon-3:00pm)	General Studies (Paper-IV) Full Test
	Test-17 - (3:30pm-6:30pm)	Essay

635, Ground Floor, Main Road,
Dr. Mukherjee Nagar, Delhi

011-49274400 | dhyeyaias.com

Registration Starts

ध्येय IAS अब व्हाट्सएप पर
Dhyeya IAS Now on Whatsapp

ध्येय IAS **के व्हाट्सएप ग्रुप से जुडने के लिए 9205336039 पर "Hi Dhyeya IAS" लिख कर मैसेज करें**

आप हमारी वेबसाइट के माध्यम से भी जुड सकते हैं

www.dhyeyaias.com
www.dhyeyaias.in

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 011-47354625/ 26 , 9205274741/42, 011-49274400